खण्ड-210, अंक-1
शुक्रवार, 7 फाल्गुन, शक संवत् 1881
(26 फरवरी, 1960 ई0)

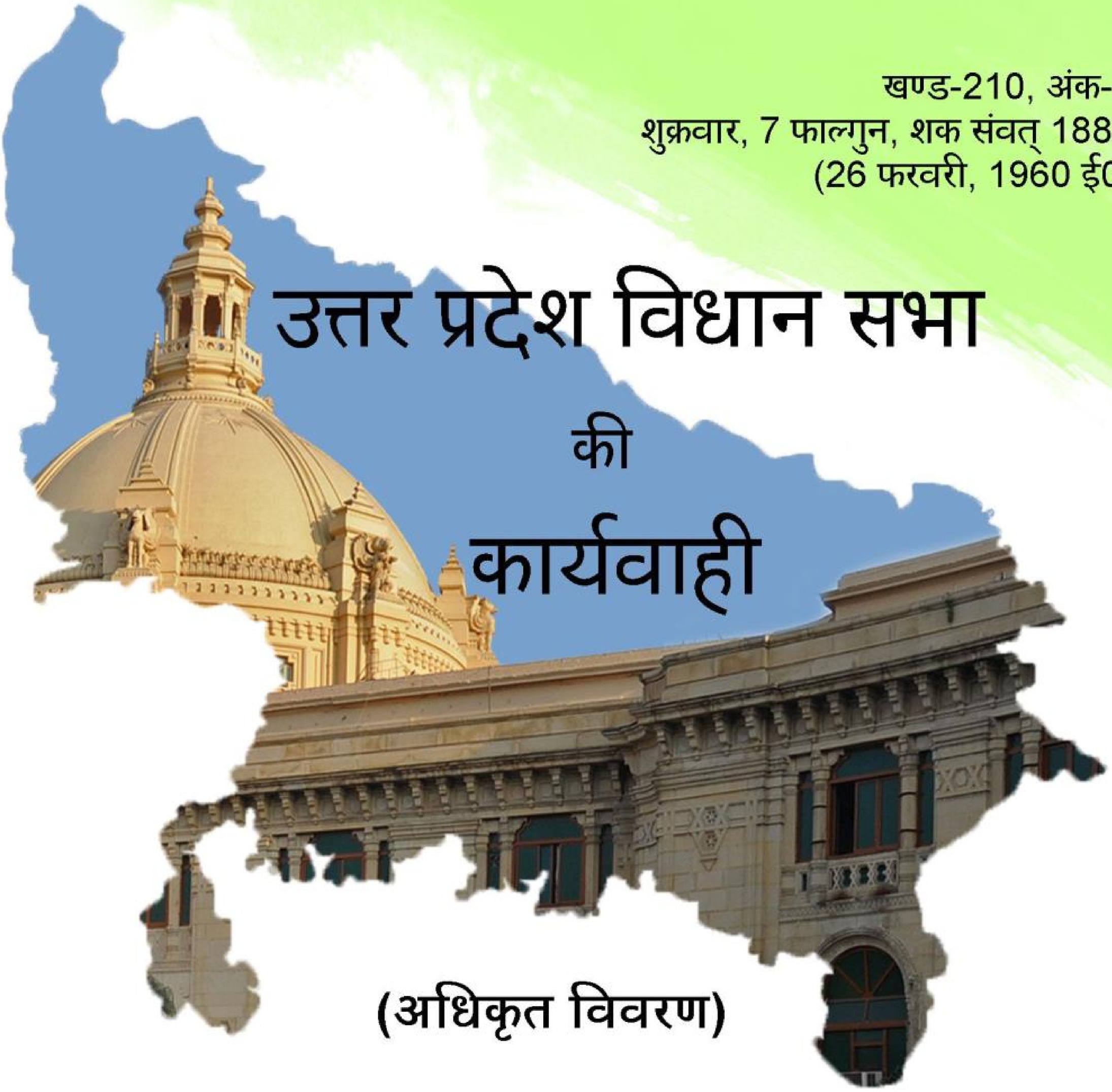

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 210 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६०

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

R.A. 2088
LEGISLATIVE ASSEMBLY UTTAR PRADESH
JAN 1960
132533

विषय-सूची

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
प्रश्नोत्तर	५–४०
"नया भारत" के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय	४०–४४
गृह मन्त्री के विरुद्ध असत्य उत्तर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (निर्णय स्थगित)	४४
श्री राजनारायण द्वारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	४४
सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित 'आबपाशी रेट घटाओ' आन्दोलन में किये गये जुर्माने की वापसी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत न्याय मन्त्री का वक्तव्य	४५–४६
बिहार सरकार द्वारा स्थायी सीमा निर्धारण सम्बन्धी सर्वेक्षण में बलिया जिले की भूमि के कथित अपहरण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत राजस्व उप-मन्त्री का वक्तव्य	४६–४७
ओयलपुर ग्राम में ५ मजदूरों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मन्त्री का वक्तव्य	४७–५०
नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी ..	५०
१९६०–६१ के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ४६—लेखा शीर्षक ६३—क —योजना और एकीकरण-युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनाएं, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य (स्वीकृत) ..	५०-९८
नत्थियां	९९-१०२

शनिवार, २७ फरवरी, १९६०

उपस्थित सदस्य	१०३-१०६
उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) (द्वितीय) (संशोधन) आज्ञा, १९६० (मेज पर रखी गयी)	१०६–१०७
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य (अनर्हता निवारण) (अनुपूरक) संशोधन) विधेयक, १९५९ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	१०७
उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशियों की वसूली (अर्जित आस्थान तथा अवसित पट्टा) विधेयक, १९५९ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	१०७

विषय	पृष्ठ-संख्या
"सत्य आश्रम" के सम्बन्ध में खाद्य मन्त्री द्वारा सत्य का उद्घाटन न किये जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना (अनुमति नहीं दी गयी)	१०७-१०८
गृह मन्त्री द्वारा असत्य उत्तर के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न उठाने की सूचना (अनुमति नहीं दी गयी)	१०८-११४
सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार के २ अन्य प्रश्न (निर्णय स्थगित) ..	११४-११५
श्री बन्शीधर शुक्ल द्वारा अभिसूचित कार्य-स्थगन प्रस्ताव (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	११५
अन्तरिम जिला परिषदों के सरकारी सदस्यों को विधान परिषद् के निर्वाचन में निर्वाचक मान लेने के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	११५-११८
१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १८–लेखा शीर्षक २९–पुलिस (जारी)	११८-१७२

सोमवार, २९ फरवरी, १९६०

उपस्थित सदस्य	१७३-१७६
प्रश्नोत्तर	१७७-१९७
'सूचना की आवश्यकता है' उत्तर पर आपत्ति	१९७
पुलिस विभाग के वार्षिक कार्य-विवरण में आपत्तिजनक वाक्य छापने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	१९७-१९८
प्रश्नों के उत्तर पर मन्त्री के हस्ताक्षर न होने पर आपत्ति	१९८
'नया भारत' में विधेयक का प्रारूप छापने के सम्बन्ध में तीन मन्त्रियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना ..	१९८-२०५
प्रश्नों के उत्तर पर मन्त्री के हस्ताक्षर न होने पर आपत्ति	२०५
अन्तरिम जिला परिषदों के सरकारी सदस्यों को विधान परिषद् के निर्वाचन में निर्वाचक मान लेने की रीति में सत्य प्रतिनिधित्व न करने के कारण स्वायत शासन मन्त्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	२०६-२०८
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	२०८
मुरादाबाद के बर्तन उद्योग के स्याह कलम मजदूरों (engravers) की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत श्रम उपमंत्री का वक्तव्य	२०८-२११
१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या १८––लेखा शीर्षक २९––पुलिस (स्वीकृत)	२११-२२४
अनुदान संख्या २०–लेखा शीर्षक ३६––वैज्ञानिक विभाग और ३७––शिक्षा (जारी)	२२४-२५४
नत्थियां	२५५-२५८

मंगलवार, १ मार्च, १९६०

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	२५९-२६३
प्रश्नोत्तर	२६३-२८७
प्रश्नों के स्थगन के सम्बन्ध में आपत्ति	२८७-२८९
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य हरिप्रसाद टमटा के निधन पर शोकोद्गार ..	२८९-२९०
"भारत चीन सम्बन्ध" पुस्तिका की प्रतियों के वितरण पर आपत्ति ..	२९०–२९२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ के अधीन प्रख्यापित संशोधन ..	२९२
हरगांव, जिला सीतापुर में आयोजित सोशलिस्ट पार्टी की सभा में पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	२९२-२९
१९६०-६१ के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-- अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७-- शिक्षा (स्वीकृत)	२९३-३४२
नत्थियां	३४३-३४९

बुद्धवार, २ मार्च, १९६०

उपस्थित सदस्य	३५१-३५५
प्रश्नोत्तर	३५५-३७६
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९५९–६० का द्वितीय पूरक) विधेयक, १९६० (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	३७६
खीरी जिले में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर विवादार्थ कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	३७६
पाठ्य पुस्तक "विश्व क्रांति की लहरें" में कथित आपत्तिजनक अंश छापने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मन्त्री का वक्तव्य	३७६-३७९
हरगांव, जिला सीतापुर में आयोजित सोशलिस्ट पार्टी की सभा में पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत गृह मन्त्री का वक्तव्य	३७९-३८०
"भारत चीन सम्बन्ध" पुस्तिका की प्रतियों के वितरण पर आपत्ति का स्पष्टीकरण	३८१
जिला परिषद् विधेयक की वापसी के सम्बन्ध में पूछताछ	३८२
१९६०–६१ के आय-व्ययक के अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या ४३–लेखा शीर्षक: ५७–अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियों का सुधार और उत्थान (स्वीकृत)	३८२–४३३
नत्थियां	४३४-४४०

वृहस्पतिवार, ३ मार्च, १९६०

उपस्थित सदस्य	४४१–४४५
प्रश्नोत्तर	४४५–४७८

विषय	पृष्ठ संख्या
मथुरा नगर में डाक्टर गणपतराय का मकान पुलिस द्वारा जबरदस्ती खाली कराये जाने के कारण उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	४७९
मथुरा नगर में डाक्टर गणपतराय का मकान पुलिस द्वारा जबरदस्ती खाली कराये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत खाद्य मंत्री का वक्तव्य	४७९–४८१
डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा तथा श्री मूलचन्द द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	४८१
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना के बजाय अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछने के सुझाव के संबंध में जानकारी	४८२
मंत्रियों की परामर्शदात्री समितियों, प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के लिये प्राप्त नामांकन पत्रों के संबंध में सूचना ..	४८२–४८४
डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा द्वारा जानकारी की मांग ..	४८४
१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३–लेखा शीर्षक ४०–कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और शोध, अनुदान संख्या २५–लेखा शीर्षक ४१–पशु पालन तथा अनुदान संख्या ४८–लेखा शीर्षक ७१–कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (जारी)	४८४–५३०
नत्थियां	५३५–५४८

शुक्रवार, ४ मार्च, १९६०

उपस्थित सदस्य	५४९–५५३
प्रश्नोत्तर	५५३–५९२
अनुपूरक प्रश्नों के लिये समय न मिलने पर आपत्ति ..	५९२–५९४
नैनीताल जिले की सितारगंज तहसील में जेल फार्म बनाने हेतु किसानों की जमीन पर पुलिस द्वारा कब्जा करने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	५९४–५९६
२ सितम्बर, १९५९ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ७–८ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	५९६–५९७
१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २३—लेखा शीर्षक ४०–कृषि संबंधी विकास, अभियंत्रण और शोध, अनुदान संख्या २५—लेखा शीर्षक ४१—पशुपालन तथा अनुदान संख्या ४८—लेखा शीर्षक ७१—कृषि योजनाओं पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	५९७–६४९
नत्थियां	६५०–६७३

शनिवार, ५ मार्च, १९६०

उपस्थित सदस्य	६७५–६७९
नार्दर्न इंडिया फेरीज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५९ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	६७९

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य-स्थगन प्रस्तावों तथा नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनायें (प्रस्तुत करने को अनुज्ञा नहीं दी गयी)	६७९–६८०
मथुरा नगर में डाक्टर गणपतराय का मकान पुलिस द्वारा जबरदस्ती खाली कराये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत (खाद्य मंत्री का वक्तव्य)	६८०–६८१
१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४०—उपनिवेशन तथा अनुदान संख्या २८—लेखा शीर्षक ४२—सहकारिता (स्वीकृत)	६८१–७४५
सोमवार, ७ मार्च, १९६०	
उपस्थित सदस्य	७४७–७५१
प्रश्नोत्तर	७५१–७७३
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न को स्थगित करने पर संबंधित मंत्री की आपत्ति	७७३
प्रश्न का संतोषजनक उत्तर न मिलने के संबंध में आपत्ति ..	७७४
कार्यक्रम में परिवर्तन के संबंध में पूछताछ	७७४
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों के संबंध में सूचनायें ..	७७४
कार्यक्रम में परिवर्तन के संबंध में सूचना	७७५
मथुरा नगर में डाक्टर गणपतराय का मकान पुलिस द्वारा जबरदस्ती खाली कराये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत खाद्य मंत्री का वक्तव्य	७७५–७८०
१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या २९—लेखा शीर्षक ४३—उद्योग तथा अनुदान संख्या ४९—लेखा शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत (स्वीकृत)	७८०–८२९
नत्थियां	८३०–८४३
मंगलवार, ८ मार्च, १९६०	
उपस्थित सदस्य	८४५–८४९
प्रश्नोत्तर	८४९–८७४
उत्तर प्रदेश बाट तथा माप (प्रचलन) नियमावली, १९६० (मेज पर रखी गयी)	८७४
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	८७४–८७५
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ विषयों की सूचनाएं ..	८७५–८७६
रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा	८७६
१९६०–६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ३०—लेखा शीर्षक ४७—श्रम (स्वीकृत) ..	८७६–९३२
कार्यक्रम में परिवर्तन	९३२–९३३
नत्थियां	९३४–९४०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शासन

राज्यपाल

श्री वराहगिरि वेंकटगिरि

मन्त्रि—परिषद्

मन्त्री (जो मन्त्रि-मंडल के सदस्य हैं)

डाक्टर सम्पूर्णानंद, बी० एस०-सी०, विधान-सभा-सदस्य, मुख्य मंत्री, उद्योग, श्रम, सामान्य प्रशासन एवं नियोजन मंत्री।

श्री हुकुमसिंह विसेन, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान-सभा-सदस्य, न्याय, स्वास्थ्य, राजस्व, सहायता तथा पुनर्वासन मंत्री।

श्री गिरधारीलाल, एम० ए०, विधान-सभा-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, विधान-सभा-सदस्य, वित्त तथा वन मंत्री।

श्री कमलापति त्रिपाठी, विधान-सभा-सदस्य, गृह, शिक्षा, हरिजन कल्याण तथा सूचना मंत्री।

श्री विचित्रनारायण शर्मा, विधान-सभा सदस्य, स्वायत्त शासन मंत्री।

श्री मोहनलाल गौतम, विधान-सभा-सदस्य, कृषि तथा सहकारिता मंत्री।

मन्त्री (जो मन्त्रि-मन्डल के सदस्य नहीं हैं)

डाक्टर सीताराम, एम०एस-सी० (विस), पी० एच० डी०, विधान-सभा-सदस्य, मादक कर तथा परिवहन मंत्री।

श्री जगमोहनसिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल०बी०, विधान सभा, सदस्य, खाद्य मंत्री।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य, विधान-सभा-सदस्य, समाज कल्याण मंत्री।

उप-मंत्री

श्री सुल्तान आलम खां, विधान-सभा-सदस्य, नियोजन उप-मंत्री।

श्री बलदेवसिंह आर्य, विधान-सभा-सदस्य, स्वास्थ्य उप-मंत्री।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा, विधान-सभा-सदस्य, श्रम उप-मंत्री।

श्री रामस्वरूप यादव, विधान-सभा-सदस्य, गृह उप-मंत्री।

श्री वीरेंद्र वर्मा, विधान-सभा-सदस्य, सहकारिता उप-मंत्री।

श्री जयराम वर्मा, विधान-सभा-सदस्य, स्वायत्त शासन उप-मंत्री।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल, विधान-सभा-सदस्य, राजस्व उप-मंत्री।

श्री दीनदयालु शास्त्री, विधान-सभा-सदस्य, शिक्षा उप-मंत्री।

श्री कालीचरण अग्रवाल, विधान-सभा-सदस्य, कृषि उप-मंत्री।

श्री नरेंद्रसिंह विष्ट, विधान-सभा-सदस्य, संसदीय विषयक उप-मंत्री।

श्री महावीरसिंह, विधान-परिषद्-सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री।

उदय पुस्तक विक्रेता सभा

सभा–सचिव

मुख्य मन्त्री के सभा–सचिव

श्री कृपाशंकर, विधान-सभा-सदस्य ।

श्री राजबिहारी सिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के सभा–सचिव

श्री धर्मसिंह, विधान-सभा-सदस्य ।

गृह मन्त्री के सभा–सचिव

श्री इस्तफा हुसेन, विधान-सभा-सदस्य ।

परिवहन मन्त्री के सभा-सचिव

श्री धर्मदत्त वैद्य, विधान-सभा-सदस्य ।

वित्त मन्त्री के सभा-सचिव

श्री महमूद अली खां, विधान-सभा-सदस्य ।

विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश विधान सभा

R.A 2088
132523

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन क्षेत्र

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१	अक्षयवरसिंह, श्री	पिपराइच
२	अजीज इमाम, श्री	कंतित
३	अतीकुल रहमान, श्री	नजीबाबाद
४	अनन्तराम वर्मा, श्री	अलीगढ़
५	अब्दुल रऊफ लारी, श्री	विनायकपुर
६	अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री	कोपागंज
७	अब्दुस्समी, श्री	बरौसा
८	अभयराम यादव, श्री	जसवंतनगर
९	अमरनाथ, श्री	महराजगंज
१०	अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री	मिर्जापुर
११	अमोलादेवी, श्रीमती	अठेहा
१२	अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री	सलेमपुर (पूर्व)
१३	अली जरीर जाफरी, श्री	उतरौला
१४	अलीजहीर, श्री सैयद	लखनऊ शहर (पश्चिम)
१५	अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर	मिसरिख
१६	अवधेशचन्द्रसिंह, श्री	भोजपुर
१७	अवधेशप्रतापसिंह, श्री	बीकापुर (पूर्व)
१८	असलम खां, श्री	रामपुर
१९	अहमद बख्श, श्री	जानसठ
२०	आत्माराम गोविन्द खेर, श्री	झांसी
२१	आत्माराम पांडेय, श्री	सैदपुर
२२	आदिराम सिंघल, श्री	आगरा शहर
२३	आनन्दब्रह्म शाह, श्री	राबर्ट्सगंज
२४	ओंकारनाथ, श्री	चुनार
२५	आर्थर सी० ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित (आंग्ल भारतीय)
२६	इन्दुभूषण गुप्त, श्री	सगरी
२७	इरतजा हुसैन, श्री	सियाना
२८	इस्तफा हुसैन, श्री	गोरखपुर
२९	उग्रसेन, श्री	सलेमपुर (पश्चिम)
३०	उदयशंकर दुबे, श्री	बस्ती
३१	उबैदुर्रहमान, श्री	बांसी (पूर्व)
३२	उमाशंकर शुक्ल, श्री	कानपुर शहर
३३	उल्फतसिंह, श्री	सहसवान
३४	ऊदल, श्री	कोलासला
३५	एस० अहमद हसन, श्री	कानपुर शहर
३६	कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री	शाहाबाद
३७	कमरुद्दीन, श्री	बुधना
३८	कमलकुमारी गोईदी, कुमारी	करछना
३९	कमलापति त्रिपाठी, श्री	चन्दौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४०	कमलेशचन्द्र, श्री, उपनाम कमले	पुवायां
४१	कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु	इलाहाबाद शहर (दक्षिण)
४२	कल्याणराय, श्री	शाहाबाद
४३	कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री	महाइच
४४	कालीचरण अग्रवाल, श्री	कासगंज
४५	काशीप्रसाद पांडेय, श्री	कादीपुर
४६	किशनसिंह, श्री	ठाकुरद्वारा
४७	कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
४८	केशभान राय, श्री	मगहर
४९	केशव पांडेय, श्री	मनीराम
५०	केशवराम, श्री	बिसोली
५१	कैलाशकुमार सिंह, श्री	इस्लामनगर
५२	कैलाशनारायण गुप्त, श्री	इलाहाबाद शहर (उत्तर)
५३	कैलाशप्रकाश, श्री	मेरठ शहर
५४	कैलाशवती, श्रीमती	छिल्लुपुर
५५	कोतवालसिंह भदौरिया, श्री	छिबरामऊ
५६	कृपाशंकर, श्री	नगर
५७	खजानसिंह, चौधरी	उन्नाव
५८	खमानीसिंह, डाक्टर	मुरादाबाद (देहात)
५९	खयालीराम, श्री	मोहनलालगंज
६०	खुशीराम, श्री	पिथौरागढ़
६१	खूबसिंह, श्री	धामपुर
६२	गंगाधर जाटव, श्री	एतमादपुर
६३	गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)	गोंडा (दक्षिण)
६४	गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)	एटा
६५	गंगाप्रसादसिंह, श्री	रसरा
६६	गजेन्द्रसिंह, श्री	बिधूना
६७	गज्जूराम, श्री	ललितपुर
६८	गणेशप्रसाद पांडेय, श्री	बांसगांव
६९	गनेशचन्द्र काछी, श्री	भोगांव
७०	गनेशीलाल चौधरी, श्री	बिस्वां
७१	गयाप्रसाद, श्री	कुन्डा
७२	गयाबख्शसिंह, श्री	इसौली
७३	गयूर अली खां, श्री	भवन
७४	गरीबदास, श्री	कालपी
७५	गिरधारी लाल, श्री	धामपुर
७६	गुप्तारसिंह, श्री	सरेनी
७७	गुरुप्रसादसिंह, श्री	मुसाफिरखाना
७८	गुलाबसिंह, श्री	मसूरी
७९	गेंदादेवी, श्रीमती	खलीलाबाद
८०	गेंदासिंह, श्री	पडरौना (पूर्व)
८१	गोकुलप्रसाद, श्री	चायल

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
८२	गोपीकृष्ण आजाद, श्री	नारायनी
८३	गोविन्दनारायण तिवारी, श्री	जालौन
८४	गोविंद सहाय, श्री	नगीना
८५	गोविंदसिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
८६	गौरीराम गुप्त, श्री	फरेंदा (पश्चिम)
८७	गौरीशंकर राय, श्री	बलिया
८८	घनश्याम डिमरी, श्री	बद्रीनाथ
८९	घासीराम जाटव, श्री	भरथना
९०	चन्द्रजीत यादव, श्री	मोहम्मदाबाद गोहना
९१	चन्द्रदेव, श्री	पडरौना (उत्तर)
९२	चन्द्रबलीशास्त्री ब्रह्मचारी, श्री	निजामाबाद
९३	चन्द्रसिंह रावत, श्री	पौड़ी
९४	चन्द्रहास मिश्र, श्री	बिलग्राम
९५	चन्द्रावती, श्रीमती	बिजनौर
९६	चन्द्रिकाप्रसाद, श्री	बछरावां
९७	चरणसिंह, श्री	कोटना
९८	चित्तरसिंह निरंजन, श्री	कौंच
९९	चिरंजीलाल जाटव, श्री	जलेसर
१००	छत्तरसिंह, श्री	खुर्जा
१०१	छत्रपति अम्बेश, श्री	आगरा शहर
१०२	छेदीलाल, श्री	श्रीनगर
१०३	छोटेलाल पालीवाल, श्री	सिरहपुरा
१०४	जंगबहादुर वर्मा, श्री	हैदरगढ़
१०५	जगदीशनारायण, श्री	बिलारी
१०६	जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री	मोहम्मदी
१०७	जगदीश प्रसाद, श्री	हसनपुर
१०८	जगदीशशरण अग्रवाल, श्री	बरेली शहर
१०९	जगन्नाथ, चौधरी	सिकन्दरपुर
११०	जगन्नाथ प्रसाद, श्री	धौरेहरा
१११	जगन्नाथ लहरी, श्री	फिरोजाबाद
११२	जगपतिसिंह, श्री	करवी
११३	जगमोहनसिंह नेगी, श्री	गंगा सलाण
११४	जगबीरसिंह, श्री	अगोटा
११५	जमुनासिंह, श्री	गुन्नौर
११६	जयगोपाल, डाक्टर	हरौरा
११७	जयदेवसिंह आर्य, श्री	धिरोर
११८	जयराम वर्मा, श्री	टांडा
११९	जरंगाम हैदर, श्री सैयद	बहराइच (उत्तर)
१२०	जवाहरलाल, श्री	मंझनपुर
१२१	जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर	कानपुर शहर
१२२	जागेश्वर, श्री	किशनपुर
१२३	जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	कांठ

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१२४	जुगलकिशोर, आचार्य	गोवर्धन
१२५	जोखई, श्री	मेजा
१२६	ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री	घाटमपुर
१२७	झारखंडे राय, श्री	घोसी
१२८	टम्बरेश्वर प्रसाद, श्री	खैराबाद
१२९	टीकाराम, श्री	बदायूं
१३०	टीकाराम पुजारी, श्री	सादाबाद
१३१	डूंगरसिंह, श्री	राठ
१३२	ताराचन्द माहेश्वरी, श्री	सिधौली
१३३	तारादेवी, डाक्टर	मड़ियाहूं
१३४	तिरमलसिंह, श्री	सहावर
१३५	तेजबहादुर, श्री	लालगंज
१३६	तेजासिंह, श्री	गाजियाबाद
१३७	त्रिलोकीसिंह, श्री	लखनऊ-शहर (पूर्व)
१३८	दत्त, श्री एस०जी०	कानपुर-शहर
१३९	दर्शनसिंह, श्री	शाहजहांपुर
१४०	दशरथप्रसाद, श्री	बलरामपुर
१४१	दाताराम, चौधरी	नकुड़
१४२	दीनदयालु करुण, श्री	बलरामपुर
१४३	दीनदयालु शर्मा, श्री	अनूपशहर
१४४	दीनदयालु शास्त्री, श्री	रुड़की
१४५	दीपंकर, आचार्य	बड़ौत
१४६	दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री	देवरिया (दक्षिण)
१४७	दुर्योधन, श्री	महाराजगंज
१४८	देवकीनन्दन विभव, श्री	आगरा शहर
१४९	देवदत्तसिंह, श्री	टप्पल
१५०	देवनारायण भारतीय, श्री	जमौर
१५१	देवराम, श्री	शादियाबाद
१५२	देवीप्रसाद मिश्र, श्री	अकबरपुर
१५३	द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री	मुजफ्फरनगर
१५४	द्वारिकाप्रसाद, श्री	कन्नौज
१५५	द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री	फरेंदा (पूर्व)
१५६	धनीराम, श्री	लालगंज
१५७	धनुषधारी पांडेय, श्री	महुली
१५८	धरमपालसिंह, श्री	तुलसीपुर
१५९	धर्मदत्त वैद्य, श्री	सिरौली
१६०	धर्मसिंह, श्री	अनूपशहर
१६१	नत्थाराम रावत, श्री	बाराबंकी
१६२	नत्थूसिंह, श्री (बरेली)	फरीदपुर
१६३	नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)	करहल
१६४	नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री	हाथरस
१६५	नन्दराम, श्री	कुण्डा
१६६	नरदेव दतियानवी, श्री	चाँदपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
१६७	नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री	केदारनाथ
१६८	नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
१६९	नवलकिशोर, श्री	आंवला
१७०	नागेश्वरप्रसाद, श्री	गरवारा
१७१	नारायणदत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
१७२	नारायणदास पासी, श्री	बीकापुर (पश्चिम)
१७३	निरंजनसिंह, श्री	पीलीभीत
१७४	नेकराम शर्मा, श्री	अतरौली
१७५	पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री	अतरौलिया
१७६	पब्बरराम, श्री	गाजीपुर
१७७	परमात्मानन्द सिनहा, श्री	सोरांव (पश्चिम)
१७८	परमेश्वरदीन वर्मा, श्री	पुर्वा
१७९	पहलवानसिंह, चौधरी	बांदा
१८०	प्रकाशवती सूद, श्रीमती	मेरठ (छावनी)
१८१	प्रतापबहादुरसिंह, श्री	फखरपुर
१८२	प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री	लहरपुर
१८३	प्रतापसिंह, श्री	टनकपुर
१८४	प्रभावती मिश्र, श्रीमती	लम्भुआ
१८५	प्रभुदयाल, श्री	बानगंगा (पश्चिम)
१८६	फतेहसिंह राणा, श्री	सरधना
१८७	बंशीधर शुक्ल, श्री	श्रीनगर
१८८	बलदेवसिंह, श्री	महदेवा
१८९	बलदेवसिंह आर्य, श्री	शाहाबाद
१९०	बलवानसिंह, श्री	अकबरपूर
१९१	बसन्तलाल, श्री	लखनऊ (छावनी)
१९२	बादामसिंह, श्री	शिकारपुर
१९३	बाबूराम, श्री	भोजीपुरा
१९४	बाबूलाल कुसुमेश, श्री	प्रतापगंज
१९५	बालकराम, श्री	तिलहर
१९६	बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री	डोमरियागंज (दक्षिण)
१९७	बिन्दुमती दास, श्रीमती	प्रतापगंज
१९८	बिशम्बरसिंह, श्री	हस्तिनापुर
१९९	बिहारीलाल, श्री	बीसलपुर
२००	बुलाकीराम, श्री	हरदोई
२०१	बुद्धीलाल, श्री	नानपारा
२०२	बुद्धीसिंह, श्री	बहजोई
२०३	बृजबासीलाल, श्री	बीकापुर (पश्चिम)
२०४	बृजरानी मिश्र, श्रीमती	बिल्हौर
२०५	बेचनराम, श्री	ज्ञानपुर
२०६	बेचनराम गुप्त, श्री	ज्ञानपुर
२०७	बेनीबाई, श्रीमती	मऊ
२०८	बैजूराम, श्री	सिधौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम		निर्वाचन-क्षेत्र
२०९	ब्रजनारायण तिवारी, श्री	..	पडरौना (पश्चिम)
२१०	ब्रजभूषणशरण, श्री	..	देहरादून
२११	ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री	..	कानपुर शहर
२१२	भगवतीप्रसाद दुबे, श्री	..	भावापुर
२१३	भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री	..	प्रतापगढ़ (दक्षिण)
२१४	भगवतीसिंह विशारद, श्री	..	भगवन्तनगर
२१५	भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री	..	बाराबंकी
२१६	भजनलाल, श्री	..	औरैया
२१७	भीखालाल, श्री	..	हसनगंज
२१८	भुवनभूषण शर्मा, श्री	..	इटावा
२१९	भूपकिशोर, श्री	..	अलीगंज
२२०	मंगलाप्रसाद, श्री		मेजा
२२१	मंजूरुलनबी, श्री	..	सहारनपुर
२२२	मथुराप्रसाद पांडेय, श्री	..	नौगढ़
२२३	मदनगोपाल वैद्य, श्री	..	अमीसन
२२४	मदन पांडेय, श्री	..	तिलपुर
२२५	मदनमोहन, श्री	..	फैजाबाद
२२६	मन्नालाल, श्री	..	मोहमदी
२२७	मलखानसिंह, श्री	..	सिकन्दराराव
२२८	मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)	..	मैनपुरी
२२९	महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)	..	दसना
२३०	महमूद अली खां, श्री (रामपुर)	..	स्वार टांडा
२३१	महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)	..	मुजफ्फरबाद
२३२	महमूद हुसैन खां, श्री	..	सम्भल
२३३	महादेवप्रसाद, श्री	..	फखरपुर
२३४	महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री	..	केबाई
२३५	महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री	..	लखनऊ शहर (मध्य)
२३६	महीलाल, श्री	..	बिलारी
२३७	महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा	..	बाह
२३८	महेशसिंह, श्री	..	हरदोई
२३९	माताप्रसाद, श्री	..	शाहगंज
२४०	मान्धातासिंह, श्री	..	कोपाचीत
२४१	मिहरबानसिंह, श्री	..	भरथना
२४२	मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री	..	रुदौली
२४३	मुक्तिनाथ राय, श्री	..	गोपालपु
२४४	मुजफ्फर हसन, श्री	..	चायल
२४५	मुनीन्द्रपालसिंह, श्री	..	बीसल
२४६	मुबारकअली खां, श्री	..	उसेहट
२४७	मुरलीधर, श्री	..	माहुल
२४८	मुरलीधर कुरील, श्री	..	बिल्हौर
२४९	मुल्लाप्रसाद हंस, श्री	..	सफीपुर
२५०	महम्मद अब्दुस्समद, श्री	..	वाराणसी शहर (उत्तर)

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२५१	मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री	.. देवरिया (उत्तर)
२५२	मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री	.. बानगंगा (पूर्व)
२५३	मुहम्मद हुसैन, श्री	.. बरेली छावनी
२५४	मूलचन्द, श्री	.. मिसरिख
२५५	मोतीलाल अवस्थी, श्री	.. कानपुर (देहात)
२५६	मोहनलाल, श्री	.. महोबा
२५७	मोहनलाल गौतम, श्री	.. कोयल
२५८	मोहनलाल वर्मा	.. सन्डीला
२५९	मोहनसिंह मेहता, श्री	.. दानपुर
२६०	यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री	.. रायबरेली (उत्तर)
२६१	यमुनासिंह, श्री	.. शादियाबाद
२६२	यशपालसिंह, श्री	.. देवबन्द
२६३	यशोदादेवी, श्रीमती	.. बांसगांव
२६४	यादवेन्द्रदत्त दूबे, राजा	.. जौनपुर
२६५	रऊफ जाफरी, श्री	.. मछली शहर
२६६	रघुनाथसहाय यादव, श्री	.. किशनपुर
२६७	रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री, उपनाम लाल साहब	.. सादुल्ला नगर
२६८	रघुराजसिंह चौधरी, श्री	.. बुलन्दशहर
२६९	रघुवीर राम, श्री	.. मोहम्मदाबाद
२७०	रघुवीसिंह, श्री (एटा)	.. जलेसर
२७१	रघुवीरसिंह श्री (मेरठ)	.. बागपत
२७२	रणबहादुरसिंह, श्री	.. हरैया (पश्चिम)
२७३	रमाकांतसिंह, श्री	.. अमेठी
२७४	रमानाथ खैरा, श्री	.. ललितपुर
२७५	रमेशचन्द्र शर्मा, श्री	.. बरसाथी
२७६	राघवराम पांडेय, श्री	.. गोंडा (दक्षिण)
२७७	राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री	.. मनकापुर
२७८	राजकिशोर राव, श्री	.. इकौना
२७९	राजदेव उपाध्याय, श्री	.. सिधुवाजोबना
२८०	राजनारायण, श्री	.. कसवरसरकारी
२८१	राजनारायणसिंह, श्री	.. अहरौरा
२८२	राजबिहारीसिंह, श्री	.. कसंवर राजा
२८३	राजाराम शर्मा, श्री	.. खलीलाबाद
२८४	राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती	.. डोमरियागंज (उत्तर)
२८५	राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती	.. मौदहा
२८६	राजेन्द्रदत्त, श्री	.. शिकारपुर
२८७	राजेन्द्रसिंह, श्री	.. गोंडवा
२८८	राजेन्द्रसिंह यादव, श्री	.. शमसाबाद
२८९	रामअधार तिवारी, श्री	.. प्रतापगढ़ (उत्तर)
२९०	रामअभिलाख, श्री	.. गोंडा (उत्तर)
२९१	रामकिंकर, श्री	.. पट्टी

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
२९२	रामकुमार वैद्य, श्री	अमरोहा
२९३	रामकृष्ण जैसवार, श्री	कंतित
२९४	रामकृष्ण सारस्वत, श्री	फर्रुखाबाद
२९५	रामचन्द्र उनियाल, श्री	रवाईं
२९६	रामचन्द्र विकल, श्री	सिकन्दराबाद
२९७	रामजीलाल सहायक, श्री	सरधना
२९८	रामजीसहाय, श्री	सिलहट
२९९	रामदास आर्य, श्री	जानसठ
३००	रामदीन, श्री	करहल
३०१	रामनाथ पाठक, श्री	दोआबा
३०२	रामनारायणत्रिपाठी, श्री	सुरहुरपुर
३०३	रामपाल त्रिवेदी, श्री	मलीहाबाद
३०४	रामप्रसाद, श्री	सलोन
३०५	रामप्रसाद देशमुख, श्री	कोयल
३०६	रामप्रसाद नौटियाल, श्री	लैंसडाउन
३०७	रामबली, श्री	मुसाफिरखाना
३०८	राममूर्ति, श्री	बहेड़ी
३०९	रामरतनप्रसाद, श्री	रसरा
३१०	रामरती देवी, श्रीमती	अकबरपुर
३११	रामलक्षण तिवारी, श्री	बांसडीह (पूर्व)
३१२	रामलखन, श्री (वाराणसी)	चन्दौली
३१३	रामलखन मिश्र, श्री	बांसी (पश्चिम)
३१४	रामलखन सिंह, श्री	रारी
३१५	रामलाल, श्री	नगर
३१६	रामवचन यादव, श्री	माहुल
३१७	रामशरण यादव, श्री	मोहनलालगंज
३१८	रामसनेही भारतीय, श्री	बबेरू
३१९	रामसमझावन, श्री	केराकत
३२०	रामसिंह चौहान, श्री वैद्य	एतमादपुर
३२१	रामसुन्दर पांडेय, श्री	नत्थूपुर
३२२	रामसूरत प्रसाद, श्री	पिपराइच
३२३	रामस्वरूप यादव, श्री	जसराना
३२४	रामस्वरूप वर्मा, श्री	भोगनीपुर
३२५	रामहेतसिंह, श्री	छाता
३२६	रामायणराय, श्री	पडरौना (दक्षिण)
३२७	रामेश्वरप्रसाद, श्री	बछरावां
३२८	रुकनुद्दीन खां, श्री	कोंहडौर
३२९	रूमसिंह, श्री	खेरा बजेहरा
३३०	लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री	काशीपुर
३३१	लक्ष्मणराव कदम, श्री	गरोथा
३३२	लक्ष्मणसिंह, श्री	रानीखेत (दक्षिण)
३३३	लक्ष्मीनारायण, श्री	पहाड़पुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३३४	लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री	फतेहाबाद
३३५	लखमीसिंह, श्री	इगलास
३३६	लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री	माट
३३७	लायकसिंह, चौधरी	शिकोहाबाद
३३८	लालबहादुर, श्री	शिवपुर
३३८	लालबहादुरसिंह, श्री	केराकत
३४०	लुत्फअली खां, श्री	हापुड़
३४१	लोकनाथसिंह, श्री	कटेहर
३४२	बजरंगविहारीलाल रावत, श्री	हैदरगढ़
३४३	वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री	जमानिया
३४४	वसी नकवी, श्री	रोखा
३४५	वासुदेव दीक्षित, श्री	खागा
३४६	विचित्रनारायण शर्मा, श्री	मोदीनगर
३४७	विजयशंकरसिंह, श्री	मुहम्मदाबाद
३४८	विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती	शाहाबाद
३४९	विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती	देवप्रयाग
३५०	विशालसिंह, श्री	भिटौली
३५१	विश्राम राय, श्री	आजमगढ़
३५२	विश्वनाथसिंह गौतम, श्री	करांद
३५३	विश्वेश्वरानन्द, स्वामी	फतेहपुर-सीकर
३५४	वीरसेन, श्री	हापुड़
३५५	वीरेन्द्र वर्मा, श्री	कैराना
३५६	वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री	बहराइच (दक्षिण)
३५७	वीरेन्द्र शाह, राजा	कालपी
३५८	व्रजगोपाल सक्सेना, श्री	महोबा
३५९	व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री	घाटमपुर
३६०	शंकरलाल, श्री	कादीपुर
३६१	शकुन्तला देवी, श्रीमती	हरौरा
३६२	शब्बीरहसन, श्री	खजुहा
३६३	शमशुल्ल इस्लाम, श्री	निधपुर
३६४	शम्भूदयाल, श्री	संडीला
३६५	शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री	हरद्वार
३६६	शिवगोपाल तिवारी, श्री	सफीपुर
३६७	शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)	सिधुवाजोबना
३६८	शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)	खीरी
३६९	शिवमंगलसिंह, श्री	बांसडीह (पश्चिम)
३७०	शिवमूर्ति, श्री	फूलपुर
३७१	शिवराजबली सिंह, श्री	फतेहपुर
३७२	शिवराजबहादुर, श्री	नवाबगंज
३७३	शिवराजसिंह यादव, श्री	बिसौली
३७४	शिवराम, श्री	अफजलगढ़
३७५	शिवराम पांडेय, श्री	डरापुर

अवधी अकादमी सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
३७६	शिववचन राव, श्री	सलेमपुर (दक्षिण)
३७७	शिवशंकरसिंह, श्री	डलमऊ
३७८	शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री	इकौना
३७९	शीतलाप्रसाद, श्री	तरबगंज
३८०	शोभनाथ, श्री	राबर्ट्सगंज
२८१	श्याम मनोहर, श्री	लखनऊ छावनी
३८२	श्यामलाल, श्री	माट
३८३	श्यामलाल यादव, श्री	मुगलसराय
३८४	श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी	किथोर
३८५	श्रीकृष्णगोयल, श्री	उझानी
३८६	श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री	खैरागढ़
३८७	श्रीनाथ, श्री	मोहम्मदाबाद गोहना
३८८	श्रीनाथ भार्गव, श्री	मथुरा
३८९	श्रीनिवास, श्री	गांगिरी
३९०	श्रीपालसिंह, कुंवर	शाहगंज
३९१	संग्रामसिंह, श्री	सोराव (पूर्व)
३९२	सईद अहमद अन्सारी, श्री	ज्वालापुर
३९३	सजीवनलाल, श्री	हसनगंज
३९४	सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती	दादरी
३९५	सम्पूर्णानन्द, डाक्टर	वाराणसी शहर (दक्षिण)
३९६	सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती	सरजू
३९७	सियादुलारी, श्रीमती	करवी
३९८	सीताराम, डाक्टर	सिलहट
३९९	सीताराम शुक्ल, श्री	हरैया (पूर्व)
४००	सुक्खनलाल, श्री	हसनपुर
४०१	सुखरानी, श्रीमती	फतेहपुर
४०२	सुखराम दास, श्री	टांडा
४०३	सुखलाल, श्री	औरैया
४०४	सुखीराम भारतीय, श्री	फूलपुर
४०५	सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री	मऊ
४०६	सुनीता चौहान, श्रीमती	सलोन
४०७	सुन्दरलाल, श्री	फरीदपुर
४०८	सुरथरबहादुरशाह, श्री	निघासन
४०९	सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री	हमीरपुर
४१०	सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार	पुवायां
४११	सुरेशप्रकाशसिंह, श्री	बिसवां
४१२	सुल्तानआलम खां, श्री	कायमगंज
४१३	सूरतचन्द्र रमोला, श्री	टेहरी
४१४	सूर्यबली पांडेय, श्री	हाटा
४१५	सोहनलाल धुसिया, श्री	बांसी (पूर्व)
४१६	हमीदुल्ला खां, श्री	चारदा
४१७	हरकेशबहादुर, श्री	पट्टी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	सदस्य का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र
४१८	हरदयालसिंह, श्री	जलालाबाद
४१९	हरदयालसिंह पिपल, श्री	हाथरस
४२०	हरदेवसिंह, श्री	देवबन्द
४२१	हरिदत्त कांडपाल, श्री	रानीखेत (उत्तर)
४२२	हरिश्चन्द्रसिंह, श्री	दातागंज
४२३	हरिहरबख्श सिंह, श्री	पाली
४२४	हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री	सीतापुर
४२५	हरीसिंह, श्री	किथौर
४२६	हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री	मुरादाबाद शहर
४२७	हिम्मतसिंह, श्री	डिबाई
४२८	हुकुमसिंह विसेन, श्री	कैसरगंज
४२९	हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री	मंझनपुर
४३०	होरीलाल यादव, श्री	कन्नौज

विधान सभा पुस्तकालय

बिहार सरकार मुंगेर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

के

पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री आत्माराम गोविन्द खेर, बी० ए०, एल-एल० बी० ।

उपाध्यक्ष

श्री रामनारायण त्रिपाठी, बी० एस-सी० ।

सचिव, विधान मण्डल

श्री रूपचन्द्र, एच० जे० एस० ।

सचिव, विधान सभा

श्री देवकीनन्दन मित्थल, एम० ए०, एल-एल० बी० ।

सहायक सचिव

श्री रामप्रकाश, बी० काम०, एल-एल० बी० ।

कमेटी आफिसर

श्री भोलादत्त उपाध्याय ।

अधीक्षक

श्री अहीन्द्रनाथ मित्र ।

श्री श्रीपति सहाय, बी० ए० ।

श्री गिरधारीलाल, बी० ए० ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६०

132523

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३१८

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अहमद बख्श, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
ग़रीबदास, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोविन्द सहाय, श्री

गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजबहादुर, श्री
तेजसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपंकर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदास पासी, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बाशमसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्भरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री

बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भूपकिशोर , श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक , श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री

लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिशचन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २६ फरवरी, १९६०

तारांकित प्रश्न

लक्ष्मीगंज में बालिका नार्मल विद्यालय खोलने की प्रार्थना तथा हाटा तहसील में बालिका विद्यालयों पर व्यय

*१—श्री अमरनाथ—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के लक्ष्मीगंज नामक स्थान पर कोई बालिका नार्मल विद्यालय खोलने का सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री दीनदयालु शास्त्री)—जी नहीं ।

*२—श्री अमरनाथ—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद की हाटा तहसील में इस समय कुल कितनी बालिका विद्यालय हैं तथा उन पर सरकार का प्रति वर्ष क्या व्यय होता है ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—ऐसे तीन विद्यालय हैं, उन पर लगभग ५,५०८ रु० वार्षिक व्यय होता है ।

श्री अमरनाथ—प्रदेश में अध्यापिकाओं की कमी देखते हुये उक्त स्थान पर नार्मल बालिका विद्यालय खोलने का सरकार प्रबन्ध करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री अमरनाथ—यह विचार कब हो जायगा ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—इस साल हम प्रदेश में कन्याओं के लिये ६ नार्मल स्कूल खोलेंगे। जरूरत पड़ी तो अगले साल अधिक खोलने पर विचार करेंगे ।

श्री अमरनाथ—इन विद्यालयों में कितने प्रारम्भिक और कितने माध्यमिक हैं और कहां-कहां हैं ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—१ माध्यमिक कन्या पाठशाला हाटा में, २ प्रारम्भिक कन्या पाठशालायें रामकोला और कप्तानगंज में हैं।

श्री अमरनाथ—इस क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा में कमी महसूस करते हुये क्या सरकार पर्याप्त बालिका विद्यालय खोलने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री दीनदयालु शास्त्री—ये तीनों पाठशालायें सरकारी नहीं हैं । अन्तरिम जिला परिषद् की हैं और अगले साल विचार यह है कि कन्या पाठशालायें सारे प्रदेश में अधिक की जायं।

ट्रेन डकैतियां

*३—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार को पता है कि गत ९ नवम्बर को फिरोजाबाद के इधर रिवाल्वरों से सुसज्जित डकैतों के एक गैंग ने डिब्बे के बारह व्यक्तियों के हाथों को बांध कर तथा उनको लूटकर मखनपुर स्टेशन के पास जंजीर को खींच कर गाड़ी को खड़ी करके उतर कर भाग गये थे और दिल्ली व कानपुर के बीच में गत मास में होने वाली इस प्रकार की यह दूसरी दुर्घटना है ?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—जी हां। उस दिन फीरोजाबाद स्टेशन के समीप गाड़ी में लूट की एक घटना हुई थी किन्तु यात्रियों को हाथ बांधकर नहीं लूटा गया। इसके पूर्व अक्तूबर मास के अंत में अलीगढ़ और दाऊद खां स्टेशनों के बीच एक घटना और हुई थी।

*४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि गत ९ नवम्बर को ही इटावा स्टेशन के पास ४० डाउन जनता एक्सप्रेस के एक यात्री को चलती ट्रेन में उसके तेईस तोले सोने से वंचित कर दिया गया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। १० नवम्बर को एक यात्री ने यह रिपोर्ट लिखाई कि जब वह ४० डाउन जनता एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे, तो उनका एक सूटकेस जिसमें २३ तोले सोना था, इटावा व फफूंद स्टेशनों के बीच खो गया है।

*५—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि वाराणसी-इलाहाबाद लाइन पर फाफामऊ व फूलपुर के बीच गत ११ नवम्बर को रिवाल्वर व खंजरों से सुसज्जित एक गैंग एक सेकन्ड क्लास के डिब्बे के यात्रियों के हाथ पैर बांधकर लगभग दो हजार रुपये की सम्पत्ति लूट ली गई थी और उनका मुकाबिला करने वाली एक महिला को खंजर से घायल कर दिया था ? यदि हां, तो उक्त घटनाओं के अपराधियों को पकड़ने तथा उनको रोकने के लिये उसने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी हां। इस प्रकार की एक घटना हुई है। इस घटना में डाकू लोग जब एक महिला के आभूषण चाकू से काट कर निकाल रहे थे उस समय चाकू से अथवा आभूषण के कटे हुये भाग से उक्त महिला को मामूली चोट पहुंची है।

इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये जिला पुलिस से कुछ विशेष गाड़ियों पर सशस्त्र गार्ड तैनात किये गये हैं। साथ ही संदिग्ध अपराधियों पर अथवा अन्य सन्देहजनक व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस विषय में सशस्त्र पुलिस बढ़ाने के लिये भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

प्रश्न में उल्लिखित घटना से संबंधित तीन अभियुक्त सब माल सहित पकड़े जा चुके हैं।

श्री लक्ष्मणराव कदम—प्रश्न ५ से संबंधित जो तीन आदमी गिरफ्तार हुये हैं वे कौन लोग हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—नाम के लिये तो सूचना की आवश्यकता है। वैसे जांच जारी है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को यह भी शिकायतें मिली हैं कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, उसके सिपाही ज्यादातर सोते रहते हैं और इसलिये अपराधियों को नहीं रोक पाते ?

श्री रामस्वरूप यादव—रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का काम तो रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा करना है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—इन दुर्घटनाओं की जांच करते समय क्या इस बात का पता चला कि जिन लोगों ने यह दुर्घटनायें कीं वह कोई पेशेवर गैंग है या ये आकस्मिक दुर्घटनायें हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—आकस्मिक तो नहीं है। ये लोग इस तरह के अपराध करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा अभी जांच जारी है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या यह सही है कि इन डाकों का सम्बन्ध किसी अन्तर्देशीय गिरोह से है जो देश में आतंक फैलाने के लिये ही इस प्रकार के कार्य कर रहा है ?

श्री राम स्वरूप यादव—ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है ।

श्री मदन पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—इस बात को देखते हुये कि ट्रेन डकैतियों की संख्या बहुत बढ़ गई है क्या सरकार किसी विशेष प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था करने पर विचार कर रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने तो उत्तर में कहा कि भारत सरकार को लिखा गया है कि कुछ धन दे जिससे हम आर्म्ड पुलिस रेलों में भेज सकें ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि जो ३ व्यक्ति पकड़े गये हैं उनका सुराग कैसे लगा अथवा उन पर संदेह कैसे हुआ जिससे गिरफ्तारी की जा सकी ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसी रात को जब पता चला कि इस तरह लूट कर भागे हैं तो पुलिस ने चारों तरफ नाकेबन्दी कर दी और यह लोग ट्रक द्वारा भागने की कोशिश कर रहे थे तो मय माल के वहीं पकड़े गये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—जैसा मंत्री जी ने बताया कि फाफामऊ वाली घटना में तीन आदमी पकड़े गये तो ऊपर वाली जो दो घटनायें हुई हैं, फिरोजाबाद और इटावा स्टेशनों के पास, इनमें भी कुछ लोग पकड़े गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—इनका अभी पता नहीं चल पाया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि यह दुर्घटनायें आकस्मिक नहीं हैं तो जो यह दुर्घटनायें पेशेवर कर रहे हैं, उनका पता लगाने के लिये कोई विशेष जांच की जा रही है, या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव—मैंने निवेदन किया कि कुछ लोग प्लेन क्लोद्स में रख दिये जाते हैं जो ऐसे अपराधियों को देखते रहे और साथ-साथ कुछ पुलिस भी, जब गाड़ियां चलती हैं, बढ़ा दी गई है और भारत सरकार से और आर्थिक सहायता के लिये लिखा जा रहा है ताकि और पुलिस बढ़ा सकें ।

मौरावां-पुरवा सड़क पर बस लूटने की घटना

*६—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन् १९५८ में जिला उन्नाव बस-स्टेशन मौरावां के अन्तर्गत डाकुओं ने बस लूटने का प्रयत्न किया था ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं । सन् १९५८ में उक्त बस-स्टेशन पर कोई बस नहीं लूटी गई ।

*७—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—यदि हां, तो बस के मुसाफिरों का कितना नुकसान हुआ और क्या डाकू पकड़े गये थे ?

श्री रामस्वरूप यादव—प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य प्र० सं० ६ में यह पूछ रहे हैं कि लूटी तो नहीं गई, लूटने का प्रयत्न किया कि नहीं किया ? इसकी कोई सूचना आपको नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव—इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या मंत्री जी जांच करके बतायेंगे कि २८ अप्रैल, १९५८ को ७२३५ नम्बर की बस को मौरावां-पुरवा सड़क के २ से ३ मील के फासले पर बसहा पुल पर लूटा गया और इसकी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज हुई है ?

श्री राम स्वरूप यादव---मैंने तो उत्तर दे दिया। आप नम्बर बता रहे हैं बस का तो मैं नम्बर पुछवा लूंगा ।

श्री अध्यक्ष---आप तारीख दोहरा दें किस तारीख को घटना हुई ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---२८-४-५८ को ।

श्री अध्यक्ष---यानी फाइनेंशियल ईयर के अन्दर भी आ जाता है, और दोनों प्रकार के ईयर के अन्दर आ जाता है ।

मैनपुरी अस्पताल में स्थानाभाव

*८---श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी के सरकारी अस्पताल में कितने रोगियों के रहने की व्यवस्था है और इस वक्त कितने रोगी रह रहे हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---मैनपुरी के सरकारी अस्पताल में ३६ रोगियों के रहने की व्यवस्था है तथा ५ जनवरी, १९६० को वहां ४४ रोगी रह रहे थे।

श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतायेगी कि मैनपुरी अस्पताल में जो कमरे बने हुए हैं उनमें कभी कभी रोगी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए और कमरे बनाने का विचार करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य---अभी सरकार के सामने कमरे बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री मदन पाण्डेय---३६ आदमियों की जगह है और ४४ रोगी उसमें भरती हैं, तो इन ८ रोगियों की व्यवस्था किस प्रकार हो रही है ? जमीन पर लेटते हैं या खाट पर ?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---खाट पर लेटते हैं वराण्डा में और रात को कमरे में चले जाते हैं ।

करहल तहसील में चकबन्दी

*९---श्री गनेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में चकबन्दी किस तारीख से शुरू की जायेगी ?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुल्क)---मैनपुरी जिले की तहसील करहल में चकबन्दी योजना दिनांक १७ फरवरी, १९६० से लागू कर दी गई है ।

डौकली निवासी एक सरदार की सब-इन्स्पेक्टर विजयसिंह वर्मा के हाथों हत्या

*१०---श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३०-१०-५९ को तहसील सितारगंज, जिला नैनीताल, ग्राम डौकली के एक नागरिक को खटीमा थाना, जिला नैनीताल के सब-इंस्पेक्टर ने जान से मार दिया ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---जी हां । सब-इन्सपेक्टर विजय सिंह वर्मा के विरुद्ध ऐसा आरोप है ।

*११---श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)---क्या यह सही है कि मृतक व्यक्ति एक सरदार था जिसकी दाढ़ी पर आग लगाई गई और उसको बालों के बल उलटा टांगा गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसा भी आरोप है।

*१२—**श्री प्रतापसिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या सरकार मृतक व्यक्ति के बच्चे को आर्थिक सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपठी—सब-इन्सपेक्टर विजयसिंह वर्मा व ओमप्रकाश सिपाही को मुअत्तल और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और उनके ऊपर भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अन्तर्गत मुकदमा अदालत में चल रहा है। मृतक के बच्चों को आर्थिक सहायता देने का यदि प्रार्थना-पत्र आयेगा तो उस पर नियमानुसार विचार किया जायगा।

चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा के लिये भवन

*१३—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—शल्य चिकित्सा को पृथक करने के बारे में २८-२-५९ के प्रश्न संख्या २८ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन अस्पतालों में उक्त योजना अमल में लाई जा रही है क्या उन अस्पतालों में आवश्यक भवन निर्माण किया जा चुका था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित जिला चिकित्सालयों में उनके सामने दी गई तिथियों से चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा (medical and surgical facilities) का कार्य अलग-अलग किया जा रहा है और उनमें भवन निर्माण की परिस्थिति निम्न प्रकार है :

मुजफ्फरनगर, एटा, जौनपुर	.. १४-७-५६	भवन निर्माण हो चुके हैं।
बस्ती	.. १४-७-५६ ..	बाहर वाले भाग (Out Patients. Deptt.) के लिये जहां रोगियों को देखा जाता है आवश्यक भवन पहले ही से मौजूद है।
टेहरी-गढ़वाल	.. १४-७-५६ ..	धनाभाव के कारण भवन निर्माण कार्य अभी चालू नहीं हुआ है।
बिजनौर, बलिया, इटावा	.. १४-११-५७ ..	इन स्थानों में भवन निर्माण के नक्शे तथा तखमीने सरकार द्वारा पास किये जा चुके हैं और काम चालू है।
गोंडा	.. दिसम्बर, १९५७	बाहर वाले भाग (Out Patients, Deptt.) के लिये जहां रोगियों को देखा जाता है आवश्यक भवन पहले ही से मौजूद है।
बुलन्दशहर, देवरिया, सीतापुर	.. १०-३-५९ ..	भवन निर्माण के नक्शे इत्यादि सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांगे जा चुके हैं, नक्शे पास होने पर भवन निर्माण के लिये आदेश दे दिये जायेंगे।

हरदोई मिर्जापुर	.. १०-३-५९ ..	भवन निर्माण के नक्शे तथा तखमीने सरकार द्वारा पास किये जा चुके हैं और काम चालू है ।

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित स्थानों में चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा पृथक कर दी जायेगी जिसके लिये आवश्यक भवन निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है और भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद आवश्यक स्टाफ नियुक्त किया जायेगा । इन स्थानों में भवन निर्माण की परिस्थिति इस प्रकार है :

१९५९-६०

मथुरा मैनपुरी	..	भवन निर्माण के नक्शे तथा तखमीने सरकार द्वारा पास किये जा चुके हैं और काम चालू है ।
फर्रुखाबाद गाजीपुर	..	भवन निर्माण के नक्शे इत्यादि सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांगे जा चुके हैं और नक्शे पास होने पर भवन निर्माण के लिये आदेश दे दिये जायेंगे ।
शाहजहांपुर	..	भवन निर्माण के नक्शे और तखमीने की जांच हो रही है और यदि ठीक पाये गये तो स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ।

१९६०-६१

खीरी सुल्तानपुर प्रतापगढ़ उरई बांदा	..	भवन निर्माण के नक्शे इत्यादि सार्वजनिक निर्माण विभाग से मांगे जा चुके हैं और उनके पास होने पर भवन निर्माण के लिये आदेश दे दिये जायेंगे ।
फतेहपुर	..	भवन निर्माण के नक्शों और तखमीनों की जांच हो रही है और यदि वे ठीक पाये गये तो स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जब इतना लम्बा जवाब हो और एक स्टेटमेंट दिया हुआ हो तो स्टेटमेंट न पढ़ा जाय, क्योंकि सब सदस्य उतनी दिलचस्पी उसमें नहीं रखते हैं ।

श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी--क्या सरकार को ऐसी सूचनायें प्राप्त हुई हैं कि बिना भवन निर्माण के ही जहां चिकित्सा कार्य अलग-अलग किये गये हैं दोनों प्रकार के कार्यों में रुकावट पड़ रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--ऐसी इत्तला मुझे नहीं है । कार्य चल रहा है बड़े सुचारु रूप से ।

श्री ऊदल--जिस फर्रुखाबाद के लिये उन्होंने कहा है तो वहां क्षय रोग के लिये कोई इमारत बनाने की योजना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--क्षय रोग के बारे में सवाल नहीं है । सर्जरी और मेडिकल के बारे में है ।

पुरुषोत्तमनगर में बेदखलियां

*१४—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उन्नाव में पुरुषोत्तम नगर ग्राम में भूदान समिति द्वारा प्राप्त कितनी भूमि भूमिहीनों को कृषि के लिये दी गई है और इस भूमि पर कितने परिवार कहां-कहां से लाकर और कब बसाये गये ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—पुरुषोत्तम नगर में भूदान समिति को ५०० बीघा भूमि प्राप्त हुई थी, जिसको उन्होंने भूमिहीनों में बांट कर उनकी एक सहकारी समिति बना दी जिससे कि सहकारी ढंग से खेती की जा सके तथा सारी भूमि की रजिस्ट्री पुरुषोत्तम नगर सहकारी समिति के नाम भूदान समिति ने कर दी। जो भूमिहीन परिवार वहां पर कृषि के लिए आ कर बसा उनमें ३ कानपुर से तथा ५ गोंडा, बस्ती, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से सन् १९५५ में, १२ कानपुर से सन् १९५६ में, तथा २ कानपुर व ८ उन्नाव जिले से सन् १९५७ में आकर वहां बसे।

*१५—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साल सन् १९५९ में उक्त ग्राम के कुछ किसानों के विरुद्ध बेदखली के मुकदमे दायर किये गये और उनको बेदखल किया गया ? यदि हां, तो यह किन परिस्थितियों में करना पड़ा ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से भूमि, समिति द्वारा, नहीं दी गई थी क्योंकि जैसा ऊपर कहा गया है सारी भूमि की रजिस्ट्री सहकारी समिति के नाम कर दी गई थी। तब भी ५ किसानों ने अपना व्यक्तिगत अधिकार भूमि पर जमाने की चेष्टा की और १९५९ में उनके विरुद्ध बेदखली के मुकदमे दायर किये गये और अदालत के आदेश से वे बेदखल किये गये।

श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी समिति का गठन कब किया गया और इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री भीखा लाल—क्या यह सही है कि जो भूमिहीन यहां पर बसाये गये उनको इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया गया था कि वे सहकारी समिति में शामिल नहीं किये जायंगे और सहकारी समिति बना कर उनको मजबूर किया गया कि उसमें शामिल हों और जिन काश्तकारों ने इनकार किया तो उनके ऊपर बेदखली दायर की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी मेरी इत्तला नहीं है। वह तो भू-दान समिति सब करती है। उस पर सरकार का कोई नियन्त्रण भी नहीं है। वह तो गैर-सरकारी संस्था है और मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि पहले आश्वासन दिया गया था कि अलग-अलग करेंगे और बाद को मजबूर किया गया कि कोआपरेटिव में शामिल हों।

श्री भीखालाल—प्रश्न १४ के उत्तर में बताया गया है कि ३० परिवार वहां बसाये गये थे। तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस समय वहां पर कितने परिवार मौजूद हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि उनकी तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से बराबर यह घोषणा जारी की गयी है कि जबरदस्ती सहकारी समितियां नहीं संगठित की जायंगी, जो माननीय कम्युनिस्ट सदस्य ने आरोप लगाया है कि जबरदस्ती उनको शामिल किया गया, इसकी जांच करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया भू-दान समिति बिलकुल स्वतंत्र है, सरकार का उस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। लिहाजा उनकी कार्यवाही की जवाबदेही सरकार नहीं ले सकती। जहां तक हमारी पार्टी का सम्बन्ध है हम तो किसी को मजबूर करेंगे नहीं यह तो कई बार कहा जा चुका है।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो किसान बेदखल किये गये वे अपने उन जिलों को लौट गये जहां से आये थे अथवा वे वहीं पर अब फिर से बसाये जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है या नहीं कि किसी प्रकार की ज्यादती किसी की भी तरफ से, सरकार या भू-दान समिति की तरफ से की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी नहीं।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुरुषोत्तमनगर को बसाने के सिलसिले में सरकार की ओर से कुछ अनुदान भी दिया गया था और इस समय उस ग्राम में केवल दो ही घर रह गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अनुदान की इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है, सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मदन पाण्डेय---माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर दिया है कि भू-दान समिति का अपना निजी मामला है, उसमें सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है लेकिन सहकारी समिति बनाने के लिये माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि सरकार का विभाग है और रजिस्ट्रार सरकार की तरफ से नियुक्त है जिसकी आज्ञा के बिना कोई कोआपरेटिव संस्था बन नहीं सकती, इसलिये क्या उस विभाग को जानकारी है कि वहां पर इस तरह की जबरदस्ती की गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---भूदान समिति कोआपरेटिव ऐक्ट के अन्दर खुद कार्यवाही करती है। उस विभाग को इसकी जानकारी है या नहीं यह जब मेरे मित्र सवाल करेंगे तो सम्बन्धित विभाग उसका उत्तर देगा।

इजरही निवासी लखन हरिजन की भुखमरी का समाचार

*१६---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री के पास सितम्बर, १९५९ में देवरिया जनपद की कोतवाली शाखा में स्थित ग्राम इजरही में एक व्यक्ति के भूख से मरने की खबर आई है ? यदि हां, तो उन्होंने उस सम्बन्ध में क्या किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१२ सितम्बर, १९५९ के दैनिक 'आज' में इजरही ग्राम, जिला देवरिया के निवासी श्री लखन हरिजन के भूख से मरने का समाचार प्रकाशित हुआ था जिस पर जिलाधीश देवरिया ने उसी समय हाकिम परगना देवरिया द्वारा मौके पर जांच कराई। जांच से यह सिद्ध हुआ कि श्री लखन के भूख से मरने का जो समाचार उक्त पत्र में प्रकाशित हुआ था वह सर्वथा गलत था।

*१७---**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि इजरही ग्राम, जिला देवरिया के अकाल ग्रस्तों की गत ३ माह में क्या सहायता की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई व्यक्ति जिले में अकालग्रस्त नहीं है। इस ग्राम के असमर्थ व्यक्तियों को उनकी आवश्यकतानुसार ५९० रु० तकावी व ३५ रु० अहेतुक सहायता तथा ४४४.८५ रु० की मालगुजारी में सहायता की गयी।

कानपुर में हत्यायें

*१८--श्री मदन पाण्डेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य के कानपुर नगर में गत सितम्बर, अक्तूबर मास में कितनी हत्यायें हुईं ?

श्री रामस्वरूप यादव---९।

*१९--श्री मदन पाण्डेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये ?

श्री राम स्वरूप यादव---ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये विशेष रात्रि गश्त और सामान्य गश्त का प्रबन्ध किया गया और थानाध्यक्षों को विशेष सतर्क रहने का आदेश भी दिया गया ?

श्री मदन पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो ९ हत्यायें हुई हैं इन सबकी हत्या करने का मोडस आपरेंडाई एक ही था या भिन्न-भिन्न था ?

श्री रामस्वरूप यादव---अलग-अलग।

श्री मदन पाण्डेय---इस सम्बन्ध में क्या कुछ व्यक्ति गिरफ्तार भी किये गये हैं ? यदि हां, तो कौन ?

श्री रामस्वरूप यादव---इस सम्बन्ध में गिरफ्तारियां भी हुई हैं, मुकदमे भी चल रहे हैं और कुछ में जांच हो रही है ?

श्री अध्यक्ष---९ के ९ में जांच हो रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने बताया कि जांच २ में हो रही है। कुछ में सी० आई० डी० जांच कर रही है जो मिस्ट्री किलर के नाम से है उस सम्बन्ध में। दो, एक में मुकदमे चल रहे हैं जो अदालत के विचाराधीन हैं।

श्री मदन पाण्डेय---क्या माननीय मंत्री जी यह सूचना सदन को देंगे कि क्या इनमें से अधिकांश हत्याओं का मोडस आपरेंडाई एक ही प्रकार का था ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने अभी निवेदन किया ९ में अलग-अलग था।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर) क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो हत्यायें ९ हैं उनमें क्या वह हत्याएं भी सम्मिलित हैं जो किसी कनपटीमार ने की थीं ?

श्री रामस्वरूप यादव--- जी हां। मैंने अभी निवेदन किया कि तीन हत्याएं वह भी हैं।

*२०--श्री उग्रसेन---[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

मछलीशहर में 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे

*२१--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दौरान बारावफात सितम्बर, १९५९ के जुलूस पर जौनपुर जिले में कहां-कहां पर दफा १४४ लगायी गयी थी और कहां-कहां दफा १४४ भंग करने की रिपोर्ट सरकार के पास आई और क्या कार्यवाही हुई तथा कितने लोगों के चालान हुये ?

श्री रामस्वरूप यादव---जौनपुर शहर व कस्बा शाहगंज में धारा १४४ जा० फौ० के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे। केवल जौनपुर शहर में उपर्युक्त आदेशों का उल्लंघन किया गया और इस सम्बन्ध में ८ व्यक्तियों का चालान धारा १८८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत किया गया।

*२२--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या यह सही है कि मछलीशहर बाजार, जिला जौनपुर में बारावफात के जुलूस में पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये गये ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां। कुछ लोगों ने यह नारे लगाए। उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या यह सही है कि मछलीशहर में जुलूस निकालने के पहले इस सदन के एक माननीय सदस्य ने कलेक्टर को यह लिख कर दे दिया था कि इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, तब जुलूस की पर्मीशन हुई, और उसके बाद फिर "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाये गये ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी कि इस आदरणीय सदन के कोई सदस्य लिख कर दे आये थे लेकिन कुछ लोग लिख कर दे आये थे।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार यह बतायेगी कि जिन लोगों ने इस प्रकार के नारे लगाये उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री रामस्वरूप यादव--क्योंकि कानूनी सलाहकारों के अनुसार नारे लगाने से जुर्म नहीं बनता था।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--क्या यह सही है कि स्थानीय मंडल कांग्रेस कमेटी ने, स्थानीय टाउन एरिया कमेटी ने और वहां के स्थानीय निवासियों और इस सदन के माननीय सदस्य श्री माताप्रसाद जी ने बयान दिया है कि यह नारे लगाने की घटना मिथ्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन यह रिपोर्ट है कि नारे लगाये गये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि "पाकिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाना कोई जुर्म है या नहीं और अगर है तो किस कानून के मुताबिक ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बता दिया कि नारा लगाना कानूनन जुर्म नहीं है, इसलिए मुकदमा नहीं चलाया गया।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे--उन्होंने यह कहा कि यह पता तो नहीं कि इस सदन के किसी माननीय सदस्य ने इत्तला दी थी, यह कहा कि कुछ लोगों ने इत्तला दी थी--वह लोग कौन थे ?

श्री रामस्वरूप यादव--नामों के लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि बारावफात में "पाकिस्तान जिन्दाबाद" का नारा लगाने की जो बात है, उसके सम्बन्ध में जितनी भी बारावफात की जिम्मेदार संस्थाएं थीं, वहां की मंडल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं मंत्री ने, वहां की टाउन एरिया कमेटी ने, जिसमें जनसंघ के भी सदस्य हैं, सब ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया कि वहां पर इस तरह का कोई भी नारा नहीं लगा ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसके लिए तो नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट है कि यह नारा लगाया गया।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह उनको किस सूत्र से मालूम हुआ कि वहां पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये गए ?

श्री अध्यक्ष--जवाब दे दिया उन्होंने।

श्री मदन पाण्डेय--क्या माननीय मंत्री जी को यह सूचना मिली है कि इन नारे लगाने वालों के पीछे विदेशी जासूसों का भी कुचक्र था ?

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसी कोई सूचना नहीं मिली।

*२३-२५--आचार्य दीपंकर (जिला मेरठ)--[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बिल्हौर थाने के हल्के में श्री देवीदयाल कटियार की हत्या

*२६--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या थाना बिल्हौर, जिला कानपुर के हल्के में ३०-४-५९ को किसी व्यक्ति का कत्ल जिसके खतरे की सूचना जिला अधिकारियों को पहले से प्राप्त हो गयी थी, हो गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--थाना बिल्हौर, जिला कानपुर के हल्के में दिनांक ३०-४-५९ को श्री देवीदयाल कटियार का कत्ल हुआ किन्तु इस बारे में जिला अधिकारियों को कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी।

*२७--श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या यह सही है कि उपरोक्त कत्ल की जांच के बाद कुछ विभागीय कार्यवाही भी हुई थी ? यदि हां, तो यह कार्यवाही क्या हुई ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी नहीं। कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि यह देवीदयाल कटियार जो सोशलिस्ट वर्कर थे, उनके कत्ल होने की सम्भावना को लेकर श्री जगदीश अवस्थी, जो एम० पी० हैं, उन्होंने एक हफ्ता पहले उनको जिलाधीश के पास लिवा जाकर मुकाबिला करा दिया था और दरख्वास्त भी लिखकर दे दी थी ?

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मैंने तो उत्तर में ही कहा है कि जिला अधिकारियों को कोई पूर्व सूचना नहीं मिली थी।

श्री मोतीलाल अवस्थी--श्रीमन्, जरा एक व्यवस्था का सवाल है जो मैं कह रहा हूं वह साधिकार बात कह रहा हूं और उस पर जो यह कहा जा रहा है कि अधिकारियों को सूचना नहीं मिली थी तो इस चीज को नोट कर लिया जाय। आगे चल कर मैं इसे प्रूव करूंगा कि यह बात गलत है।

श्री अध्यक्ष--वह तो ठीक है। आप इस समय प्रश्न करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--क्या सरकार बतायेगी कि इन देवीदयाल कटियार के कत्ल के पश्चात् स्थानीय सब-इन्सपेक्टर को डिपार्टमेंटल कार्यवाही करके पहले लाइन हाजिर किया गया और फिर उसका ट्रांसफर किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी तो दूसरे प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई। हां, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। अन्य और भी बहुत से इन्तजामात हुआ करते हैं, उसमें स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री मोती लाल अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस स्थानीय अधिकारी सब-इन्सपेक्टर पुलिस की रिपोर्ट लिखने के सम्बन्ध में जांच की गई और उसके बाद ही उन पर यह कार्यवाही की गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--अभी तो मुकदमा कायम हो गया है। उस सिलसिले में अभी कोई जांच नहीं की गई है। मुकदमा फैसल हो जाने के बाद अगर आवश्यक समझा जायगा तो जांच होगी।

श्री मोतीलाल अवस्थी---मैं सब-इन्सपेक्टर के बारे में कह रहा हूं, डिपार्टमेंटल कार्यवाही के सम्बन्ध में...

श्री अध्यक्ष---आप फिर से स्पष्ट कर दें।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह सब-इन्सपेक्टर पुलिस जिनके बारे में आपने अभी बताया है कि साधारण तौर से ट्रांसफर किया गया उनके विरुद्ध गलत रिपोर्ट लिखने की शिकायत की गई और जिसकी जांच जिलाधीश ने की, इसी मुकदमे के सम्बन्ध में, देवीदयाल कटियार के सम्बन्ध में गलत रिपोर्ट लिखी गई, जो लिखाई गई वह नहीं लिखी गई, इस सम्बन्ध में जांच डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने सब-इन्सपेक्टर के खिलाफ की और उसके अनुसार ही उसका ट्रांसफर किया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने निवेदन किया कि मुकदमा अदालत के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में फैसले के बाद ही जो आवश्यक होगा वह किया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय अवस्थी जी की इस सूचना के आधार पर कि एक एम० पी० ने अधिकारियों को उसकी सूचना दी थी, सरकार इस बात की जांच करायेगी कि यह बात सही है या गलत ? और अगर यह बात सही पायी जाय तो जिन अधिकारियों ने सरकार को गलत सूचना दी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जायगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---मुकदमे के फैसले के बाद यदि आवश्यक समझा जायगा तो जरूर जांच की जायगी।

कुर्क अमीनों का यात्रा भत्ता

*२८---**श्री गयाप्रसाद** (जिला प्रतापगढ़)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक तहसील में कलेक्ट्रेट से एक-एक कुर्क अमीन नियत किये गये हैं जिनका काम पूरी तहसील में दौरा करके दखलदिहानी, कुर्की, नीलाम आदि करना है ?

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---जी हां। ऐसे कुर्क अमीन प्रत्येक तहसील में नियत हैं, किन्तु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक तहसील में एक ही एक कुर्क अमीन हो, कई तहसीलों में कुर्क अमीनों की संख्या एक से अधिक भी है।

*२९---**श्री गयाप्रसाद**---यदि हां, तो क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कुर्क अमीनों को यात्रा-भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---कुर्क अमीनों को केवल रेल से यात्रा करने का भत्ता दिया जाता है। सड़क से यात्रा करने का भत्ता आरम्भ से ही नहीं दिया जाता है। और वित्तीय कठिनाइयों के कारण शासन, सड़क से यात्रा करने का भत्ता देने की नई प्रथा चलाने में असमर्थ है।

श्री गयाप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह व्यवस्था कब से की गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---शुरू से ही यह व्यवस्था चालू है।

श्री गयाप्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---किस बात की आवश्यकता ? शुरू से ही भत्ता दिया जाता है, कोई नई बात नहीं हुई।

*३०---**श्री मोतीलाल अवस्थी**---[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*३१-३२---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---[हटा दिये गये।]

चुनार तहसील में अधिवासी से सीरदार बनने वालों का रोस्टर रेट

*३३—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील में अधिवासी से सीरदार बनने वाले लोगों से अधिक से अधिक और कम से कम कितना लगान लिया जाता है और उक्त तहसील में किरियाद, हवेली और मुइली परगनों का क्रमशः रोस्टर रेट क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—किसी अधिवासी के सीरदार बन जाने पर उसके द्वारा देय मालगुजारी इस प्रकार निश्चित की जाती है कि ऐसी दशा में जब कि देय लगान की धनराशि निर्धारित न हुई हो अथवा लगान जिन्स के रूप में देय हो, तो मालगुजारी लागू होने वाली मौरूसी दरों के अनुसार निकाली हुई धनराशि के दुगुने के बराबर हो और अन्य दशाओं में खतौनी में दर्ज लगान की धनराशि के बराबर अथवा लागू होने वाली मौरूसी दरों के अनुसार निकाली हुई धनराशि के दुगुने के बराबर, इनमें से जो भी कम हो, उसके बराबर हो। मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील में अधिवासी से सीरदार बनने वाले लोगों की जो मालगुजारी निश्चित की गई है वह अधिक से अधिक कितनी और कम से कम कितनी है, यह सूचना जिलाधीश से मंगाई गई है और अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। जिलाधीश से प्राप्त होते ही यह सूचना सदन में प्रस्तुत कर दी जावेगी। किरियाद, हवेली और मुइली परगनों का क्रमशः रोस्टर रेट संलग्न† सूची में दिया हुआ है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुये कि इस डिवीजन का रोस्टर रेट पौने सत्तरह रुपया फी बीघा है, उस पर विचार करेंगे कि इस लगान में पुनः संशोधन हो ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो कुछ है वह नियम के अनुसार है उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि वहां के किसानों ने इस सम्बन्ध में निवेदन किया था कि वहां का लगान बहुत अधिक है और प्रदेश में जो और जगह दर प्रचलित हैं उससे वहां ज्यादा है और फिर जमीन भी उर्वरा नहीं है इसलिये किसानों के हित को देखते हुये उनके लगान की दर कम की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिस वक्त रोस्टर बना था उस वक्त प्राइस लेविल बहुत नीचा था और अब प्राइस लेविल बहुत ऊंचा हो गया है। लिहाजा इस वक्त उसमें कमी करने की जरूरत महसूस नहीं होती।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि खतौनी में जो लगान दर्ज है वह किस आधार पर दर्ज है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आपस में ऐग्रीमेंट होगा उसी, के आधार पर दर्ज है।

श्री राजनारायण—किसमें ऐग्रीमेंट होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहले के जमींदार और किसानों के दरमियान रहा होगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, इसमें यह लिखा है कि या तो जो लगान खतौनी में दर्ज है वह रोस्टर रेट के दुगुने से कम होगा तो वह माना जायगा और अगर रोस्टर रेट दुगुने से कम होगा खतौनी में जो वह माना जायगा। मेरा निवेदन यह है कि खतौनी में किस आधार पर लगान दर्ज हुआ ?

---

† सूची छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष--इसका उत्तर बिलकुल स्पष्ट है। यह जो नियम की बात उन्होंने कही उसके अनुसार है। रोस्टर रेट डबल से कम होगा तो वह माना जायगा या रोस्टर रेट के डबल से यह कम होगा तो वह माना जायगा। मतलब यह है कि जो एग्रीमेंट पहले किसान और जमींदार के बीच में हुआ है वही कम होने की बेसिस है और वही बढ़ाने की बेसिस है। उसी के बेसिस पर वह बाद में हुआ।

श्री राजनारायण--क्या सरकार को यह मालूम है कि जो काश्तकार का सबकाश्तकार होता है वह भी अधिवासी हो सकता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके जवाब में मैं माननीय प्रश्नकर्त्ता महोदय की तवज्जह उत्तर प्रदेश जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं और वह उसको देख लें। मैं कानूनी प्रश्न का उत्तर देने के लिये यहां नहीं आया हूं।

श्री रामस्वरूप वर्मा--इस बात को देखते हुये कि रेट के जिस तरह से खतौनी में इंदराज हो गये हैं और वर्तमान रेट जो भी है वह प्रदेश के तमाम जिलों को देखते हुए मिर्जापुर के इस इलाके के लिये अधिक है, तो क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि इनको कम किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जो कायदे से ज्यादा है वह कम हो जायंगे, लेकिन जो कायदे के अन्दर है उनके कम होने का सवाल नहीं पैदा होता।

*३४-३५--**श्री इन्दुभूषण गुप्त** (जिला आजमगढ़)--[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

जालौन जिले में हत्यायें

*३६--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी** (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अगस्त, १९५९ से १ दिसम्बर, १९५९ तक जिला जालौन में कितनी हत्यायें हुईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--८ हत्याएं।

*३७--**श्री गोविन्दनारायण तिवारी**--[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले में बाग भूमि का लगान

*३८--**कुंवर श्रीपालसिंह**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि जौनपुर जिले में बाग, भूमि तथा बिना लगान भूमि पर रोस्टर रेट का दुगुना लगान लगा कर एक साथ पिछले सात वर्षों का लगान वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--जी नहीं। बाग भूमि पर जिसके पेड़ कट गये हैं या नष्ट हो गये हैं और बाग की शक्ल नहीं रही है पर्ता-मौरूसी की दर से मालगुजारी निर्धारित की गई है। यह मालगुजारी उसी वर्ष से लगाई गई है जब से बाग की हैसियत नहीं रही है। सरकारी आदेशों के अनुसार वर्तमान वर्ष की मालगुजारी के अतिरिक्त केवल एक वर्ष की बकाया मालगुजारी वसूल की जा रही है।

बिना लगान भूमि पर मालगुजारी निम्नलिखित रूप से लगाई गई है--

(क) ऐसी भूमि जो जमींदारी उन्मूलन के पूर्व बिला लगानी खाते की थी और अब तक बिला मालगुजारी चली आ रही थी उस पर रोस्टर रेट के ही अनुसार मालगुजारी लगाई गई है।

(ख) गांव समाज की भूमि जिसके अध्यासीन बेदखल नहीं किये जा सकते उस पर मालगुजारी रोस्टर रेट के दूने तक के हिसाब से लगाई गई है।

(ग) वह भूमि जिसके अध्यासीन अधिवासी की परिभाषा में आते हैं और जिनके नाम खतौनी में कोई मालगुजारी दर्ज नहीं थी उस पर भी रोस्टर रेट के दूने की दर से मालगुजारी लगाई गई है।

(घ) भूमिधर के अध्यासीन जो बेदखल नहीं किये जा सकते उन पर मालगुजारी पर्ता मौरूसी के दुगुने दर पर लगाई गई है।

उपरोक्त (क) से (घ) तक की श्रेणियों की भूमि के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों के अनुसार वर्तमान वर्ष की मालगुजारी के अतिरिक्त केवल दो साल की बकाया मालगुजारी वसूल की जा रही है।

कुंवर श्रीपालसिंह--श्रीमन्, उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मालगुजारी उसी वर्ष से लगायी गयी है जब से बाग की हैसियत नहीं रही, यह सत्य है या यह सत्य है कि वर्तमान वर्ष की मालगुजारी से अतिरिक्त केवल एक वर्ष की ही बकाया मालगुजारी वसूल की जा रही है ? इन दोनों में से कौन सी बात सत्य है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--दोनों सत्य हैं। जब आप पढ़ कर देखेंगे तो दोनों सत्य मालूम होंगी।

कुंवर श्रीपालसिंह--श्रीमन्, इससे यह सिद्ध होता है कि मालगुजारी जब से बाग की हैसियत खत्म हुई तब से वसूल की जा रही है। पहले उत्तर से यह सिद्ध होता है और दूसरे उत्तर से यह सिद्ध होता है कि एक वर्ष पहले की मालगुजारी ली जा रही है। तो मेरे पूछने का मतलब यह है कि . . . .

श्री अध्यक्ष--यह कहां पर लिखा हुआ है ?

कुंवर श्रीपालसिंह--श्रीमन्, उत्तर के शुरू में चौथी लाइन देखें कि मालगुजारी उसी वर्ष से लगायी गयी है बाग की हैसियत नहीं रही. . . .

श्री अध्यक्ष--एक वर्ष वाली बात कहां है ?

कुंवर श्रीपालसिंह--उसके नीचे आगे देखें कि सरकारी आदेशों के अनुसार वर्तमान वर्ष की मालगुजारी से अतिरिक्त केवल एक वर्ष की बकाया मालगुजारी वसूल की जा रही है। मेरा प्रश्न था श्रीमन् . . . .

श्री अध्यक्ष--(श्री हुकुमसिंह विसेन से) इसको जरा स्पष्ट कर दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जैसे १० या ७ वर्ष पहले से बाग की हैसियत नहीं रही तो मालगुजारी वहीं से वसूल होगी लेकिन वसूली के लिये मालगुजारी एक साल पीछे की और एक साल करेंट ईयर की, ली जायगी और उसके बाद फिर दूसरे साल एक साल करेंट ईयर की और एक साल पीछे की मालगुजारी ली जायगी। तो इसमें कोई गलती नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह--यानी लेंगे दसों साल की, एक एक साल की मालगुजारी के साथ पिछले एक एक साल की। यही मेरे पूछने का मतलब था। वह स्पष्ट नहीं था इसीलिये मैंने स्पष्ट करा लिया। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं एक बात यह और बता दूं कि अगर फसल अच्छी हुई तो दो साल का इकट्ठा भी वसूल किया जा सकता है।

कुंवर श्रीपालसिंह--श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि क्या ७ साल का इकट्ठा लगान वसूल किया जा रहा है ? इसका उत्तर मिला "जी नहीं।" तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसकी जांच माननीय मंत्री जी ने किस अधिकारी द्वारा करायी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मेरी तवज्जह इस तरफ बिलायी गयी थी। अत: मैंने आदेश जारी कर दिया था और उस पर पालन हो रहा है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री महोदय को पता है कि जौनपुर जिले में उन बागों से लगान वसूल ७-८ और दस-दस साल का किया जा रहा है जहां बाग की शक्ल में पेड़ मौजूद है और उनमें यदि एक साल उसकी मरम्मत के लिये कुछ बो दिया गया, उस पर क्या ७-८ साल का लगान वसूल किया जा रहा है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है। अगर माननीय सदस्य कोई ऐसी सूचना देंगे तो उसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि यह आदेश, जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी के उत्तर में है, उस बात की सूचना मिलने के बाद निकाला गया था या उसके पहले ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां तक मेरा खयाल है सूचना मिलने के पहले ही निकाला गया था। (एक क्षण के अनन्तर) सूचना मिलने के बाद निकाला गया था किन्तु पहले से विचाराधीन था।

कुंवर श्रीपालसिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि उनके लिखित उत्तर में जो यह 'क' से लेकर नीच तक के आइटम्स है, इसमें रोस्टर रेट दुगुना लिखा गया है ? यह किस आधार पर लिखा है ?

श्री राजनारायण--कह दीजिये कि कानून के अनुसार।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, आपने जो कानून पास किया है और उसके मुताबिक जो रूल्स बने हैं उनके ही आधार पर लगाया गया है ?

(हंसी)

श्री राजनारायण--क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत जिलों के बार एसोसिएशन ने सरकार के पास यह सूचना भेजी है कि सरकार पिछले सालों का लगान फिक्स नहीं कर सकती है, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मुझे याद नहीं पड़ता है, शायद कहीं से आया हो।

श्री भीखालाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो लगान बकाया निकाला गया है या जो नया तशखीस किया गया है, उसकी वसूलयाबी के लिये कुर्क अमीन जाते हैं, तो कुर्क अमीन के जाने से पेश्तर संबंधित किसान को क्या यह सूचना दी जाती है कि इतना बकाया लगान तशखीस हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जब मालगुजारी तशखीस होती है तो उसका नोटिस किसान को दिया जाता है ताकि अगर वह चाहे तो आब्जेक्शन्स वगैरह यदि कोई हों तो वह पेश करे। उस पर विचार भी किया जाता है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी जरा गम्भीरता से इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि जो ८–१० साल का लगान एक साथ वसूल किया जा रहा है, उस समय यह बाकी था और अब भी बाकी है, यह भी कह रहे हैं कि बाकी नहीं रहेगा, तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इसके लिये कोई एक कमेटी बिठा दी जाय जो इस पर विचार करे कि ८ वर्ष या १० वर्ष या ७ वर्ष पीछे का लगान किस नियम के मातहत वसूल किया जा रहा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई कमेटी बिठाने की जरूरत नहीं मालूम होती है, कानून बने हुये हैं लोग उसको कन्सल्ट कर लें ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार ने ला डिपार्टमेंट को कन्सल्ट किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारा खयाल है कि हमने किया है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि यह लगान तशखीस होने के पहले, यानी जो लगान लगाया गया था, उसकी इत्तला किसानों को दी गयी थी । तो क्या सरकार प्रश्नकर्त्ता के प्रश्न को आधार मान कर इस बात की जांच कराने की कोशिश करेंगे कि इस बात की पूर्व सूचना किसी को नहीं दी गयी थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहले लैन्ड मैनेजमेंट के प्रधान को दी जाती थी, अब मैंने आदेश दिया है कि जहां तक हो सके इंडिविजुअल केसेज में सब को देनी चाहिए ।

जमनिया तहसील कार्यालय में रुपयों का गोलमाल

*३९—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या उसके पास कोई ऐसी सूचना आई है कि तहसील कार्यालय जमनियां तहसील, जिला गाजीपुर में काफी बड़ा रुपयों का गोलमाल हुआ ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—तहसील जमनिया के सम्बन्ध में जो सूचना प्राप्त हुई वह यह थी कि कुछ अनधिकृत व्यक्तियों ने उस तहसील के कुछ मध्यवर्तियों का प्रतिकर धोखा देकर ले लिया है । सरकार द्वारा जांच कराने पर पता चला कि उक्त भुगतान के लिये तहसील का कोई कर्मचारी दोषी नहीं था बल्कि मुख्तारों ने उक्त भुगतान मुख्तारनामों के आधार पर लिया था जिनपर सही मध्यवर्तियों के हस्ताक्षर नहीं थे । मुख्तारों ने ग ती मालूम होने पर प्रतिकर की धनराशि या तो खजाने में दाखिल कर दी या सही मध्यवर्तियों को प्रतिकर देकर उनकी रसीदें प्राप्त कर ली हैं । सम्बद्ध व्यक्तियों में से कुछ के विरुद्ध अदालत में अभियोग-पत्र दाखिल कर दिये गये हैं और कुछ के विरुद्ध पुलिस द्वारा जांच जारी है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—खजाने से रुपया निकालने के पहले जो चेकिंग की पद्धति है खजाने की कि जिस फार्म पर रुपया निकाला जाता है वह खजाने के अधिकारियों द्वारा चेक किया जाता है तब रुपया मिलता है, लेकिन इस मामले में क्या खजाने के अधिकारियों ने ठीक से चेक नहीं किया उसी कारण यह गोल-माल हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन्होंने चेक किया था लेकिन तसदीक वकील और मुख्तार लोगों ने की, त. खजाने के आदमियों को कैसे पता चल सकता है कि फर्जी है या नहीं । उन्होंने जितनी कार्यवाही थी वह तो कर ली, लेकिन मुख्तार लोगों ने गलत शख्शों के वकालत-नामे लगा कर दिये । अब कुछ दे रहे हैं, कुछ रसीदें दाखिल कर रहे हैं और कुछ पर मुकदमा चल रहा है ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन मुख्तारों ने गलत तसदीक किया ऐसे कितने मुख्तारों पर इस प्रकार के मुकदमे चल रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने कलेक्टर से कहा कि वे इसके डिटेल्स भेज दें। उन्होंने कहा है कि वह पूरे डिटेल्स भेजेंगे।

*४०-४१—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय** (जिला आजमगढ़)—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*४२—**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

इटावा जिले के कम्पलेंट आफिसर के पास थानेदारों के विरुद्ध शिकायतें

*४३—**श्री भुवनेशभूषण शर्मा** (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के कम्पलेंट आफिसर के पास १ जनवरी, सन् ५८ से ३१ दिसम्बर, ५९ तक कितनी शिकायतें जिले के थानेदारों के खिलाफ आईं और जो शिकायतें आईं उनकी जांच करने पर कम्पलेंट आफिसर ने कितनी शिकायतें सही पाईं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त अवधि में १२१ शिकायतें प्राप्त हुईं, इनमें से केवल ११ सही पायी गईं।

इटावा जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*४४—**श्री भजन लाल** (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में १ अगस्त, सन् ५९ से दिसम्बर, १९५९ तक कितनी सशस्त्र डकैतियां, चोरियां, नकबजनी, राहजनी और फौजदारियां हुई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—उक्त अवधि में इटावा जिले में ५ सशस्त्र डकैतियां, २०२ चोरियां, ११९ नकबजनियां, २ राहजनी, तथा ३६ फौजदारियां हुईं।

*४५—**श्री भजनलाल**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन विभिन्न जरायमों में अब तक कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और कितने गिरफ्तार होने को शेष हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—डकैती, चोरी, नकबजनी, राहजनी तथा फौजदारी में क्रमशः ३७, १९५, १००, २ तथा २४९ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और इन्हीं जुर्मों में क्रमशः ३, १०, ९, ० तथा ३ व्यक्ति गिरफ्तार होने को शेष हैं।

*४६—**श्री भजनलाल**—उपर्युक्त जरायमों में कुल कितने धन व जन की क्षति हुई है ?

श्री रामस्वरूप यादव—१,१२,३३० रु० ७४ न० पै० के धन की क्षति हुई। जनक्षति नहीं हुई।

श्री भजनलाल—क्या माननीय मंत्री जी इतने थोड़े समय में ५ सशस्त्र डकैतियां, २०२ चोरियां, ११९ नकबजनियां और राहजनियां होने को प्रशासन के ढीलेपन का प्रमाण मानकर इटावा जिले के प्रशासन की ओवरहालिंग करने का कष्ट करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव—ओवरहालिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रयत्न करेंगे कि इस तरह के जुर्म न हों।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—यह देखते हुए कि इतने थोड़े समय में इतने ज्यादा क्राइम्स हुए, क्या सरकार ने वहां के संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और आगे के लिये कोई स्टेप लेने का मंत्री जी विचार कर रहे हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--इसकी जरूरत नहीं समझी गयी, क्योंकि इटावा ऐसा जिला है जहां पहले भी इसी तरह के केसेज हुआ करते थे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--इस बात को देखते हुए कि वहां के पुलिस प्रशासन के खिलाफ अनशन हुआ था, वहां के लोगों में असंतोष था और सरकार के पास भी शिकायत आई थी कि वहां के पुलिस अधिकारी ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी वहां के पुलिस प्रशासन की ओवरहालिंग करने पर विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतायेगी, मंत्री जी ने अभी जैसा कहा कि इतने क्राइम्स का इटावा में बढ़ना नार्मल है कि यह जो डकैती और दूसरी क्राइम्स की संख्या बढ़ रही है वह सब नार्मल ही है ऐबनार्मल नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव--इटावा के पास यमुना नदी की ओर कुछ गैंग भी काम कर रहे हैं और इटावा उन जिलों में है जहां पर अपराध पहले भी ज्यादा हुआ करते थे इसलिये कोई ऐबनार्मलिटी नहीं है। यह सम्भव हो सकता है कि जरायम पहले से कुछ ज्यादा हो गये हों।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि इटावा में इतने जरायम आमतौर पर होते हैं और यह उस जिले के लिये कोई नयी बात नहीं है तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इटावा में ज्यादा क्राइम्स होते हैं, सरकार वहां पर अपने अधिकारी भेजते समय इस बात को ध्यान में रखती है कि ऐसे अधिकारी वहां पर भेजे जायं जो क्राइम्स को कम करने और उन्हें मिटाने में दक्ष हों ?

श्री रामस्वरूप यादव--अच्छे अधिकारी वहां पर भेजे जाते हैं। कुछ दिनों से तो वहां पर पी० ए० सी० भी लगी हुई है।

श्री भजनलाल--प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर में मंत्री जी ने बतलाया कि कोई जनक्षति नहीं हुई लेकिन बड़पुरा, ग्राम तीरथ सिंह का नगला में डकैती पड़ी और एक परिवार के ७ आदमी मारे गये, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह गलत सूचना क्यों दी गई ?

श्री रामस्वरूप यादव--यह बात सही है, शायद नवम्बर के महीने में बड़पुरा में एक घटना अवश्य हुई थी लेकिन उसके डिटेल्स क्या हैं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि जब माननीय सदस्य कहते हैं कि जनक्षति हुई और आप कहते हैं कि नहीं हुई तो इसके लिये आप कृपा करके जानकारी हासिल करके किसी दूसरे रोज दें। आपको †स्टेटमेंट देना पड़ेगा।

श्री रामस्वरूप यादव--मैं स्टेटमेंट भी दे दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे याद पड़ता है, कत्ल का मामला था।

श्री अध्यक्ष--तो वह स्पष्ट हो जाना चाहिये। वह कहते हैं कि डकैती में हुआ और आप समझते हैं कि कत्ल में हुआ।

श्री भजनलाल--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब वह इटावा में उसी कत्ल के निरीक्षण के संबंध में उस ग्राम में गये थे तो पूर्व योजना के अनुसार उन्हीं संबंधित कत्लियों को आपको रास्ते में मुलाकात कराई गई थी तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कराया गया?

---

†वक्तव्य २५ मार्च, १९६० को दिया गया।

श्री रामस्वरूप यादव--ऐसा तो मुझे याद नहीं लेकिन मैं उस गांव में जरूर गया था जहां पर कि डाकुओं ने कुछ लोगों को मारा था, एक परिवार के कई आदमी मारे गये थे और उनके लड़के ने एक शख्स को चोट भी पहुंचाई थी। यह श्रीमन्, स्वाभाविक था कि अगर मैं जिले में जाता तो ऐसे स्थान पर जाना आवश्यक था जहां पर कि ऐसी घटना हो गई हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सदन में यह कई बार कहा जा चुका है कि अधिकारी सरकार के पास जो सूचना भेजते हैं वह सर्वथा सही नहीं होती इसलिये क्या सरकार इस ओर विशेष ध्यान देगी कि जो अधिकारी सही सूचना न दें उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री रामस्वरूप यादव--इस प्रश्न के संबंध में तो कोई गलत सूचना नहीं आई है, वैसे जब गलत सूचना सरकार को हो सकती है तो कार्यवाही भी की जा सकती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा--जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि वह वहां गये थे और जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, उनकी मुलाकात डाकुओं से भी हुई थी, वहां पर लोग मारे भी गये थे तब फिर मंत्री जी ने प्रश्न ४६ के उत्तर में कैसे कह दिया कि जनक्षति नहीं हुई ? क्या इसका स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने कहा कि मेरे पास कत्ल के बारे में भी बात आई है इसलिये जानकारी करके इसका वे उत्तर देंगे।

श्री राजनारायण--मूल उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि जनक्षति नहीं हुई। मंत्री जी ने यह भी कहा कि मैं गांव पर भी गया और वहां मालूम हुआ कि कत्ल हुआ, तो क्या कत्ल का होना जनक्षति में नहीं आता है ?

श्री अध्यक्ष--मानी जायगी।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--प्रश्न ४६ में फौजदारी भी है और अगर कत्ल और फौजदारी हुए हैं तो वे उसमें आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--"जनक्षति नहीं हुई" यह उत्तर भ्रमात्मक है। इसकी जांच कराके माननीय मंत्री जी किसी दूसरे दिन जवाब दें।

श्री रामस्वरूप यादव--श्रीमन्, मैं उत्तर तो दूंगा लेकिन फौजदारी का मतलब रायटिंग होता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--इसमें नियम ५० के अनुसार हमें आधे घंटे का विवाद का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--वह बाद में देखा जायगा।

कानपुर जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*४७--**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पंचांग वर्ष १९५९ में कानपुर जिले में कुल कितनी डकैतियां, कत्ल और चोरियां हुई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--१९५९ में कानपुर जिले में ३३ डकैतियां, ८४ कत्ल और १,५९९ चोरियां हुई हैं।

*४८--श्री अब्दुल रऊफ़ लारी--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष राज्य में कत्ल और चोरियां गत वर्ष से कितनी ज्यादा हुई हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--१९५९ में १९५८ की अपेक्षा ६४ कत्ल अधिक हुए लेकिन चोरियां १,९९४ कम हुईं ।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले साल से अबकी साल कत्ल ज्यादा क्यों हुए ?

श्री रामस्वरूप यादव--कत्ल के कई कारण हुआ करते हैं, इस साल ज्यादा हो गये ।

श्री अध्यक्ष--चोरियां १,९९४ कम, क्या सारे प्रदेश की हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जी हां, केवल कानपुर की ही नहीं हैं ।

श्री अब्दुल रऊफ़ लारी--क्या मंत्री जी ने कत्ल की बढ़ती हुई दुर्घटनाओं के बारे में कोई आर्डर जारी किये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव--जरायम को रोकने का प्रयत्न किया जाता है । कानपुर में विशेष तौर से विशेष पुलिस लगाई हुई है जो रात्रि में चक्कर करती है।

सहायल थाने के दरोगा के विरुद्ध शिकायत

*४९--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् ५९ में सरकार के पास ऐसी कितनी शिकायतें आई हैं कि जिला इटावा के सहायल थाने के दरोगा पार्टीबन्दी में पड़कर अपने क्षेत्र में बड़ा उत्पात मचा रहे हैं और बदमाशों को खुलकर बदमाशी करने का मौका दे रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जिला अधिकारियों के पास १९५९ में ८ व्यक्तियों ने थानेदार के पार्टीबन्दी में पड़ने एवं अन्य आरोपों से युक्त प्रार्थना-पत्र दिये, सभी प्रार्थना-पत्रों की जांच की गई, लेकिन किसी में भी लगाये गये आरोप सही नहीं पाये गये ।

*५०-५१--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)--[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

फर्रुखाबाद जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*५२--श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फर्रुखाबाद में सन् ५७, ५८ तथा ५९ में कितने कत्ल, कितनी डकैती तथा कितनी राहजनी हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सन् ५७ में २७ कत्ल, १३ डकैती, ७ राहजनी सन् ५८ में ३८ कत्ल, १६ डकैती, ८ राजहनी और सन् ५९ में ४३ कत्ल, ३३ डकैती, १४ राहजनी हुई ।

पीलीभीत जिले के एक नर्सिंग असिस्टेंट को यात्रिक भत्ता न मिलना

*५३--श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) तथा यमुना प्रसाद शुक्ल (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला पीलीभीत में १९५७-५८ का भत्ता व वेतन स्वास्थ्य विभाग के कितने कर्मचारियों को नहीं दिया गया है ? उसके न देने का क्या कारण है ?

नोट--तारांकित प्रश्न ४८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला पीलीभीत के केवल एक नर्सिंग असिस्टेन्ट के वर्ष १९५७-५८ के यात्रिक भत्ते के दो बिलों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। यह देर जिला कर्मचारियों के कारण प्रतीत होती है। इस देर की जांच के लिये आदेश दिये जा रहे हैं और जांच के फलस्वरूप जो भी कसूरवार पाए जायेंगे उनको उचित दंड दिया जायेगा।

उन्नाव जिले की मालगुजारी

*५४---**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले की मालगुजारी साल १३६७ फसली में क्या है और इसी वर्ष की मालगुजारी प्रत्येक तहसील की अलग-अलग क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिले की संपूर्ण मालगुजारी लगभग ५१,५८ ५५० रुपया १४ नये पैसे है और तहसीलवार ब्योरा संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९९ पर)

लालापुर में अस्पताल न खुल सकना

*५५---**श्री जोखई** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार को ज्ञात है जिला इलाहाबाद, तहसील करछना, परगना बारा, मौजा लालापुर में कोई अस्पताल खोलने की स्वीकृति सरकार ने दी थी ? यदि हां, तो आज तक अस्पताल न खुल सकने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---लालापुर डिसपेन्सरी की इमारत बनने के लिये स्वीकृति प्रदान हुई थी परन्तु बिल्डिंग मैटीरियल की कमी के कारण कन्सट्रक्शन प्रोग्राम में कमी कर दी गई थी और उसके फलस्वरूप लालापुर में डिसपेन्सरी बिल्डिंग नहीं बनी।

*५६-५७---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू अस्पताल पर व्यय

*५८---**श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद में जो अस्पताल मलाका जेल में बन रहा है उसमें अब तक कितना धन व्यय हुआ और कितना धन अब और लगेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इलाहाबाद में मलाका जेल वाली जमीन पर जो मोतीलाल नेहरू अस्पताल बन रहा है उसमें ३१-१-६० तक २०,२१,०५५ रु० ११ नये पैसे खर्च हो चुका है और ९,२२,९४४ रु० ८९ नये पैसे और खर्च होने हैं।

ग्राम सुरक्षार्थ बन्दूकों का लाइसेन्स देने की प्रार्थना

*५९---**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामों में रक्षार्थ लोगों को बन्दूक का लाइसेन्स देने एवं बन्दूक चलाने की शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में देने की कोई योजना सरकार ने बनाई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं।

*६०—श्री मुक्तिनाथराय—यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले में कान्स्टेबुलों का चुनाव

*६१—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या गृहमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी में सन् १९५७, ५८, ५९ ई० में प्रत्येक सन् में कुल कितने कांस्टेबुलों का चुनाव हुआ था और उनमें कितने हरिजन व पिछड़ी जाति के लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला बाराबंकी में सन् १९५७ में पांच, १९५८ में एक तथा १९५९ में आठ व्यक्ति कांस्टेबुल के पद के लिये चुने गये। उनमें से कोई भी हरिजन या पिछड़ी जाति का नहीं था ।

*६२—श्री जंगबहादुर वर्मा—[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

पिपरदेउरा के ओलापीड़ितों को सहायता

*६३—श्री अमरनाथ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या २७–२८ जनवरी, १९५८ को अति वर्षा तथा भारी ओलावृष्टि से तहसील महराजगंज, जिला गोरखपुर के पिपर देउरा गांव में रबी की फसल का नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो जिन किसानों की फसलें बरबाद हुई हैं उन्हें क्या सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, क्षतिग्रस्त किसानों को मालगुजारी में २४६ रु० ८ नये पैसे की छूट दी गई और उनमें २,५६० रु० की तकावी बांटी गई ।

चकबन्दी कार्य

*६४—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—क्या सरकार को वर्ष १९५९ के उत्तरार्द्ध में ग्राम भटगवां (पोस्ट गौर बाजार, जिला बस्ती) के निवासियों का इस आशय का आवेदन मिला है कि उनके ग्राम की चकबन्दी करा दी जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस आवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस आशय का कोई आवेदन-पत्र उक्त अवधि में शासन को प्राप्त नहीं हुआ ।

*६५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य की किन-किन तहसीलों में (जिलावार) चकबन्दी का काम ३१–१२–५९ तक पूरा हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दिनांक ३१ दिसंबर, १९५९ तक प्रदेश की किसी भी तहसील में चकबन्दी का कार्य पूर्णरूप से समाप्त नहीं हुआ था किन्तु १२,७१३ ग्रामों में से जिनमें चकबन्दी हो रही है, ९,३११ ग्रामों में खातेदारों को नये चकों पर कब्जा दिलाया जा चुका था ।

*६६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में १९५९ के उत्तरार्द्ध में कितनी और किन-किन तहसीलों में चकबन्दी का काम शुरू किया गया और किन-किन तहसीलों में १९६० के पूर्वार्द्ध में शुरू किये जाने की संभावना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--सन् १९५९ के उत्तरार्द्ध में प्रदेश की निम्नलिखित १० तहसीलों में चकबन्दी का कार्य आरम्भ किया गया था:--

(१) सदर (जिला फर्रुखाबाद),
(२) सदर (जिला बस्ती),
(३) मलिहाबाद (जिला लखनऊ),
(४) हसनगंज (जिला उन्नाव),
(५) सदर (जिला आगरा),
(६) सदर (जिला बदायूं),
(७) सदर (जिला शाहजहांपुर),
(८) घाटमपुर (जिला कानपुर),
(९) सदर (जिला सीतापुर),
(१०) सदर (जिला बहराइच)।

सन् १९६० के पूर्वार्द्ध में अब तक निम्नलिखित तहसीलों में चकबन्दी का कार्य आरम्भ हो चुका है:--

(१) तरबगंज (जिला गोंडा),
(२) महराजगंज (जिला रायबरेली),
(३) कड़हल (जिला मैनपुरी),
(४) बिन्दकी (जिला फ़तेहपुर)।

इसके अतिरिक्त इस अवधि में निम्नलिखित तहसीलों में कार्य आरम्भ होने की सम्भावना है:--

(१) चायल (जिला इलाहाबाद)
(२) सदर (जिला इटावा)
(३) सदर (जिला हरदोई)
(४) बलिया जिले की एक तहसील
(५) शिकोहाबाद (जिला मैनपुरी)

रायल होटल में नये विधायक निवासों के साथ रसोई कक्ष की व्यवस्था

*६७--**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायल होटल के नये विधायक निवासों में, जो बन चुके हैं या बन रहे हैं, भोजन बनाने के लिये किसी स्थान का प्राविधान किया गया है? यदि हां, तो किस प्रकार? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--रायल होटल के अहाते में २४ कमरे विधायकों के लिये बन चुके हैं, उनके साथ एक रसोई कक्ष संलग्न करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अन्य ३२ कमरे जो बन रहे हैं उन हर एक के साथ एक रसोई कक्ष संलग्न किया जा रहा है।

शहादतगंज थाने के अन्तर्गत बम विस्फोट

*६८--**कुंवर श्रीपालसिंह**--फैजाबाद के शहादतगंज थाने में ३-१-६० को हुये विस्फोट के सम्बन्ध में दिनांक १९-२-६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२५ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह विस्फोट किस चीज का था तथा कैसे हुआ था?

श्री कमलापति त्रिपाठी--फैजाबाद छावनी में आई हुई मिलिट्री की चांदमारी हो रही थी। किसी यूनिट का एक "ब्लाइन्ड बम" वहीं रह गया। उसका पीतल व सीसा निकालने के लोभ से एक घसकरा उसे अपने घर ले गया और उस बम के फटने से उक्त दुर्घटना हुई।

पुलिस कुत्तों की प्रत्येक जिले में आवश्यकता

*६९--श्री मुक्तिनाथराय--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजधानी के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस के कुत्ते (Police Dogs) की व्यवस्था सरकार करने जा रही है जिनकी सहायता से जुर्मों का शीघ्र पता लगाया जा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रकार का एक प्रस्ताव इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से प्राप्त हुआ था परन्तु उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

*७०-७२--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*७३-७४--श्री ऊदल [४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

लखीमपुर सदर अस्पताल में शिकायतों की जांच

*७५--श्री शिवप्रसाद नागर--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३-१-६० को लखनऊ से चिकित्सा विभाग के वह कौन से उच्च अधिकारी जिला खीरी में गये थे जिन्होंने लखीमपुर सदर अस्पताल में जनता की शिकायतों की जांच की है और जांच का परिणाम क्या हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा संचालक, उत्तर प्रदेश, डाक्टर प्रभूदयाल श्रीवास्तव। उनकी जांच रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

लखनऊ में कुमारी अनीसा का अपहरण

*७६--श्री मदन पाण्डेय--क्या सरकार को ज्ञात है कि २६ नवम्बर, १९५९ को लखनऊ शहर के हुसेनाबाद मुहल्ले की कुमारी अनीसा का अपहरण दिन दहाड़े कर लिया गया ? क्या यह सत्य है कि कुमारी अनीसा की मां द्वारा अपहरण कर्ताओं के पहचानने की तथा नामजद रिपोर्ट दी गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुमारी अनीसा का अपहरण दिनांक २३ नवम्बर, १९५९ को हुआ और उसकी मां ने नामजद रिपोर्ट दी है।

हरदोई जिले में डकैतियां

*७७--श्री बुलाकीराम (जिला हरदोई)--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५९ की जनवरी से लेकर अब तक जिला हरदोई के विभिन्न थानों में कुल कितनी डकैती पड़ी जिनकी डकैती की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--२१।

*७८--श्री बुलाकीराम--क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवधि में कुल ऐसी कितनी डकैती पड़ी जिनकी रिपोर्ट ४५७/३२३, ३८०/३२३, ४५२/३२३, ४५७ तथा ३८० भारतीय दंड विधि संग्रह की धाराओं के अन्तर्गत दर्ज की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कोई नहीं।

*७९--श्री बुलाकीराम--[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

करहल थाने के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध लांछन

*८०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार का ध्यान जनवरी, १९६० के दूसरे सप्ताह में मैनपुरी के एडीशनल सेशन जज, श्री ए० पी० भटनागर ने नाबालिग लड़की के भगाये जाने और बेइज्जत किये जाने के मुकदमें में जो फैसला दिया है, उसकी इस बात की ओर गया है कि करहल थाने के पुलिस अधिकारियों ने इस जुर्म में मुलजिमों की सहायता और एबेटमेंट की ? अगर हां, तो सरकार ने इन उपर्युक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। इस सम्बन्ध में जिलाधीश, मैनपुरी से पुलिस रेगुलेशन्स के प्रस्तर ५०० के अन्तर्गत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले पर विचार किया जायगा और यदि पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध की गई टीका-टिप्पणी सही पाई जायेगी तो उन्हें समुचित दण्ड दिया जाएगा।

*८१-८२--श्री माताप्रसाद--[४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले के निरीक्षण में कमिश्नर का यात्रा भत्ता

*८३--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कमिश्नर महोदय जिला बाराबंकी का मुआइना करने सन् १९५७, ५८, ५९ ई० में कितने बार आये और प्रत्येक वर्ष कितना रुपया टी० ए० (भत्ता) में खर्च हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कमिश्नर फैजाबाद, खंड बाराबंकी जिले का मुआइना करने निम्नलिखित बार गये तथा उसके सामने दिया हुआ रुपया टी० ए० (भत्ते) में खर्च हुआ :

वर्ष			दौरों की संख्या	भत्ता रु० न० पैसे
१९५७	..	..	८	२१६.१३
१९५८	..	..	३	६५.३९
१९५९	..	..	१२	७१६.४४

*८४--श्री बादामसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--[हटा दिया गया।]

आजमगढ़ जिले में सड़कों पर टेस्ट वर्क्स

*८५--श्री मुरलीधर तथा श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत तीन वर्षों में जिला आजमगढ़ में कौन-कौन-सी सड़कों पर टेस्ट वर्क हुआ है और प्रत्येक पर कब से कब तक काम हुआ है और प्रत्येक सड़क पर कुल कितना धन व्यय हुआ और प्रति साल कुल कितने लोगों ने काम किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--अपेक्षित सूचना संलग्न† सूची में दिखा दी गई है।

सूखापीड़ितों को सहायता

*८६--श्री उग्रसेन, राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे तथा श्री मदन पाण्डेय--क्या न्याय मंत्री कृपया प्रदेश में व्यापक सूखे से गत खरीफ १३६७ फसली की फसल की क्षति का विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आवश्यक विवरण संलग्न† तालिका के कालम ३ में दिखा दिया गया है।

---

† सूचियां छापी नहीं गयीं।

*८७—श्री उग्रसेन, राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे तथा श्री मदन पाण्डेय—क्या न्याय-मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में व्यापक सूखा जन्य अकाल पीड़ितों के सहायतार्थ जिलेवार क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षतिग्रस्त जिलों में सहायतार्थ जो कार्यवाही की गई है वह संलग्न तालिका के कालम ४, ५, ६ और ७ में दिखा दी गयी है। इसके अतिरिक्त सहायतार्थ जो और भी कार्यवाही की गई हैं वे इस प्रकार हैं :—

(१) प्रदेश के सभी जिलों में मालगुजारी तकावी, सिंचाई-कर तथा कृषि बीज गोदामों के मतालबों की वसूली को ३०-११-५९ तक रोकने के लिये आदेश जारी किये गये थे।

(२) इस आशय के भी आदेश जारी किये गये हैं कि खरीफ १३६७ फसली में जिन खातों में क्षति की मात्रा रुपये में ८ आना या उससे अधिक थी उनमें मालगुजारी व लगान की पूरी पुरानी बकाया की वसूली, तथा जिन खातों में क्षति की मात्रा रुपये में ६ आना और ८ आना के बीच रही हो उनमें पुरानी बकाया मालगुजारी व लगान के आधे की वसूली रबी १३६७ फसली की वसूली तक स्थगित की जाय।

(३) यह भी आदेश जारी किये गये थे कि सारे प्रदेश में ट्यूबवेल्स और नहरें निरन्तर चालू रखें जायं और उनमें पानी की पूरी मात्रा रखी जाय। इसके अतिरिक्त यह भी आदेश किये गये थे कि पूरे प्रदेश में १९५९ की खरीफ की धान की फसल तथा रबी पलेवा के लिये ट्यूबवेल्स जो डीजिल इंजिन अथवा डीजिल से चलाये गये पावर हाउसेज से प्राप्त होने वाली बिजली से चलाये जाते हैं उनका दर घटा कर २०,००० गैलन प्रति रुपया, तथा ट्यूबवेल्स जो भाप अथवा जल विद्युत् पावर हाउसेज से चलाये जाते हैं उनका दर घटा कर ३०,००० गैलन प्रति रुपया किया जाय। इसमें छूट (Rebate) भी सम्मिलित थी। ट्यूबवेल्स की दर में यह रियायत रही पलेवा तथा खरीफ १९५९ की धान की फसल के लिये नवम्बर ३०, १९५९ ई० तक के लिये प्राप्त थी।

कलेक्टरी के मालखानों से आग्नेय अस्त्रों का विक्रय

*८८—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक उत्तर प्रदेश की कलेक्टरी के मालखानों से कितने रिवाल्वर, पिस्तौल, दुनाली तथा इकनाली कारतूसी तथा टोपीदार बन्दूकें जिलाधीशों अथवा सरकार द्वारा बेची गईं और उनकी कुल कितनी कीमत वसूल हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी— सूचना संलग्न तालिका में दी है। इसमें प्रदेश के ६ जिलों की सूचना सम्मिलित नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०० पर)

हाथरस के कोतवाल द्वारा एक अध्यापक का पीटा जाना

*८९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या यह सत्य है कि हाथरस के कोतवाल द्वारा बाजार तथा थाने में लोगों को बुरी तरह पीटने और अस्पताली चोटों की रिपोर्ट सहित कई घटनाओं की शिकायतें गृह मंत्री को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—एक अध्यापक को रामलीला मैदान तथा थाने में पीटे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच जिलाधीश ने की। जिलाधीश की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

मैंसार की डकैती में नादिर मीर खां की हत्या

*९०—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या २५-२६ फरवरी, १९५९ की रात में ग्राम कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद में डकैतों का पीछा करते हुये डाकुओं की गोली से एक ग्रामीण मारा गया था? यदि हां, तो मृतक का नाम क्या है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। दिनांक २४-२५ फरवरी, १९५९ को एक डकैती मौजा मैंसार, थाना कैम्पिल में पड़ी थी जिसमें डाकुओं का मुकाबला करते हुए श्री नादिर मीर खां को गोली लगी, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

*९१—**श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त मृतक के परिवार को सरकार ने क्या सहायता दी है अथवा देने का विचार है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रश्न जिलाधीश के विचाराधीन है।

भूमिदान कमेटी, जिला एटा के विरुद्ध शिकायत

*९२—**श्री भूप किशोर** (जिला एटा) तथा **श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार के पास १ जनवरी, सन् १९५८ ई० से १ नवम्बर, सन् १९५९ तक कितने प्रार्थना-पत्र आये हैं जिनमें लिखा है कि भूमिदान कमेटी, जिला एटा ने धोखा देकर भूमिदान करा लिया है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—इस प्रकार का केवल एक प्रार्थना-पत्र आया था जिसको जिलाधीश, एटा के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया था। उक्त प्रार्थना-पत्र पर जिलाधीश द्वारा जांच की जा रही है।

सुल्तानपुर जिले में सूखा पीड़ितों को तकावी

*९३—**श्री गुरुप्रसादसिंह** (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में गत खरीफ की फसल में सूखे के कारण प्रत्येक तहसील में धान और जड़हन की फसल को कितनी हानि हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सुल्तानपुर जिले की प्रत्येक तहसील में गत खरीफ की फसल में सूखे के कारण धान की फसल को प्रति रुपया ५० नया पैसा से ८७ नया पैसा तक की तथा जड़हन की फसल को ५० नया पैसा से ६२ नया पैसा तक की हानि हुई।

*९४—**श्री गुरुप्रसादसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में सूखे के अवसर पर कुल कितनी तकावी बांटी गई और फिर जिलाधीश द्वारा कितनी और तकावी बांटने के लिये धनराशि सरकार से मांगी गई और वह अभी तक क्यों नहीं पहुंची?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सुल्तानपुर जिले में सूखे के सम्बन्ध में अभी तक कुल १,५५,१५२ रु० की तकावी बांटी जा चुकी है तथा जिलाधीश के पास इस मद में अभी पर्याप्त धन वितरणार्थ उपलब्ध है। अतएव प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

ऊसर, नौतोड़ भूमि की चकबन्दी न करने की प्रार्थना तथा सैदपुर तहसील में चकबन्दी कार्य

*९५—**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी के उन ग्रामों में से जहां चकबन्दी प्रारम्भ है ऊसर, नवतोड़ जमीन चक से बाहर निकालने के प्रश्न पर वह शीघ्र विचार करने की कृपा करेगी?

R.T. 2088
13523

श्री हुकुमसिंह विसेन---जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा ३ (२) के स्पष्टीकरण ५ के अन्तर्गत ऊसर भूमि के संहत क्षेत्र जिसमें उस क्षेत्र के अन्दर की कृषि भूमि भी सम्मिलित है, जोत की परिभाषा में नहीं आती है। अतएव ऐसे क्षेत्रों की चकबन्दी किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जहां तक नवतोड़ भूमि का प्रश्न है यदि ऐसी भूमि उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अन्तर्गत आती है तो उसे चकबन्दी से बाहर कर दिया जाता है।

*९६---**श्री यमुनासिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में कितना प्रतिशत चकबन्दी का कार्य दिसम्बर सन् १९५९ तक खत्म हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस तहसील में दिनांक ३१ दिसम्बर, १९५९ तक ५३.३ प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है।

*९७---**श्री यमुना सिंह**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में चकबन्दी खतम होने पर किस तहसील में चकबन्दी प्रारम्भ होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया है।

खिरिया ग्रामवासियों का कप्तान को पत्र तथा तम्बौर थाने में कत्ल व डाके

*९८---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या गोंडा जिले के अन्तर्गत थाना वजीरगंज के ग्राम खिरिया के किसानों ने पुलिस कप्तान को २० दिसम्बर, १९५९ को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया है कि भूतपूर्व जमींदार ने एक हरिजन का घर लूट लिया है और मार डालने की धमकी दी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---एक व्यक्ति ने ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया था।

*९९---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जांच से शांति एवं सुरक्षा भंग की कोई आशंका न होने से पुलिस को किसी कार्यवाही की आवश्यकता न हुई।

उस व्यक्ति ने इस संबंध में भारतीय दंड विधान की धारा ४६७ व ४२० के अन्तर्गत एक दावा दायर कर दिया है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

*१००---**श्री गनेशीलाल चौधरी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जिले के थाना तम्बोर व लहरपुर में पिछले ११ महीनों में अलग-अलग कितने डाके पड़े, कितने आदमियों का कत्ल हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---गत ११ महीनों में (१-३-५९ से ३१-१-६० तक) थाना तम्बोर के अन्तर्गत ४ डाके पड़े और ५ व्यक्तियों का कत्ल हुआ। उक्त अवधि में थाना लहरपुर के अन्तर्गत ३ व्यक्तियों का कत्ल हुआ। डकैती की कोई घटना नहीं हुई।

आप्थलमिक ऐडवाइजरी कौंसिल के सदस्य तथा वाराणसी क्षेत्र में नेत्र चिकित्सा कैम्प पर व्यय

*१०१---**श्री ऊदल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में आंख बनाने की स्कीम सरकार ने कब से लागू की है और इस वर्ष सन् १९५९-६० में इस स्कीम पर प्रदेश में कितना रुपया खर्च किया जा रहा है तथा स्कीम की रूप रेखा क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---१९३९-४० से। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस स्कीम पर १,७४,०२० रु० खर्च किया जा रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत पूरे प्रदेश को ६ जोन्स (क्षेत्रों) में बांट दिया गया है। प्रत्येक जोन के मुख्य नेत्र चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सक अन्य नेत्र चिकित्सकों की सहायता से अपने जोन में नेत्र चिकित्सा कैम्पों की व्यवस्था करता है। इस योजना के सम्बन्ध में सरकार को परामर्श देने के लिये एक आप्थलमिक ऐडवाइजरी कौंसिल और प्रत्येक जिले में आई रिलीफ की व्यवस्था करने के लिये आई० रिलीफ सोसाइटी बनाई गई है। यही इस स्कीम की मुख्य रूपरेखा है।

*१०२---**श्री ऊदल**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कोई सरकार ने एडवाइजरी कौंसिल गठित की है? यदि हां, तो उस कौंसिल के कौन-कौन सदस्य हैं तथा कौंसिल किस नियम के मातहत गठित की गई है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां। इस कौंसिल के सदस्यों के नाम तालिका में दिये हुये हैं जिसकी एक प्रतिलिपि माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। यह कौंसिल शासनाज्ञा सं० ५५९६-बी/५---१४०६-५२, दिनांक जनवरी १६,१९५३ के अन्तर्गत गठित की गई थी जो हर ३ वर्ष के बाद पुनः संगठित होती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०१ पर)

*१०३---**श्री ऊदल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कार्य के लिये वाराणसी जोन को कितना रुपया इस वर्ष दिया गया है, उसमें कितना सिविल सर्जन के मातहत और कितना-कितना प्रत्येक ब्लाकों को तथा और किसके द्वारा खर्च करने को दिया गया है? क्या आपरेशन के लिये औजार भी दिये जाते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---२९,४०० रु०। इसमें से जोन के २६ ब्लाकों में से प्रत्येक ब्लाक को ५०० रु० आई रिलीफ के कार्य के लिये दिया गया। जिसमें से ४०० रु० जोन के आई रिलीफ इंचार्ज डा० एस० नाथ के द्वारा और १०० रु० सम्बन्धित बी० डी० ओ० के द्वारा रोगियों के रहने की जगह, रोशनी और पब्लिसिटी पर खर्च करने को दिया गया। आपरेशन के लिये औजार सरकार द्वारा अलग से नहीं दिये जाते बल्कि उपरोक्त धनराशि से आवश्यकतानुसार खरीद लिये जाते हैं।

फर्रुखाबाद जिले के पुलिस इंस्पेक्टर के स्थानान्तरण का आदेश

*१०४---**श्री राजेन्द्रसिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य में कितने पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो एक ही क्षेत्र में ५ वर्ष या ५ वर्ष से अधिक समय से हैं और वे किन-किन जिलों में हैं? क्या सरकार उनका स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी---प्रदेश में केवल एक पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा है जो एक ही क्षेत्र (सर्किल) में ५ वर्ष से अधिक समय से फर्रुखाबाद जिले में नियुक्त है। इसको स्थानान्तरित किये जाने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

सादाबाद-हाथरस सड़क पर गाड़ी वालों पर आक्रमण

*१०५---**श्री टीकाराम पुजारी** (जिला मथुरा)---क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तारीख १७-१२-५९ को रात्रि में तहसील सादाबाद, जिला मथुरा में सादाबाद से हाथरस की सड़क पर दो फर्लांग के करीब कुछ बदमाशों ने कुछ गाड़ी वालों पर हमला किया? उस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां। जांच द्वारा ज्ञात हुआ कि १६ व्यक्ति अपराध में सम्मिलित थे जिनमें से ९ व्यक्ति गिरफ्तार होचुके हैं, जांच जारी है।

मथुरा जिले में पांच एकड़ से कम जोत के किसान

*१०६—श्री टीकाराम पुजारी—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में ऐसे कितने किसान हैं जिन पर पांच एकड़ से भी कम जमीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक लाख नौ हजार चार सौ दस ।

त्यागपत्र देने वाले अध्यापकों का शेष वेतन

*१०७—श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने व्यक्तियों ने शिक्षा विभाग के अध्यापक वर्ग से १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में त्याग-पत्र दिये तथा उनमें से कितने व्यक्तियों के तनख्वाह के शेष धन अभी तक अदा नहीं किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१०८—श्री वीरसेन—क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अदायगी में देरी के क्या कारण हैं तथा कौन अधिकारी उक्त देरी के लिये उत्तरदायी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

*१०९—श्री वीरसेन—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भविष्य में ऐसी देरी को रोकने के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है ।

नानपारा में जनाना अस्पताल के लिये भूमि

*११०—श्री बुद्धीलाल (जिला बहराइच)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नोटीफाइड एरिया नानपारा ने जनाना अस्पताल के खुलने के लिये भूमि देने का आश्वासन दिया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी कोई निश्चित आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है ।

*१११—श्री बुद्धीलाल—यदि हां, तो अस्पताल के कब तक खुल जाने की संभावना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता ।

*११२—श्री रामबली (जिला सुल्तानपुर)—[१८ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

कलेक्टरियों की पुनर्गठन योजनान्तर्गत बचत

*११३—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या न्यायमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५७ को प्रदेश में कलेक्टरियों के पुनः संगठन की योजना लागू की गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

*११४—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त योजना के लागू किये जाने के समय से ३० जून, १९५९ तक क्या आर्थिक बचत हुई और कर्मचारियों की संख्या में भी क्या कुछ कमी हुई ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी किस पद से कम किये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रु० ५,३६,६८२.४० की बचत हुई और ३१० पदों की कमी की गई जिनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०२ पर)

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा नार्मल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति

*११५—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालय तथा नार्मल स्कूलों के प्रधान अध्यापकों के स्थायी तथा अस्थायी कितने स्थान रिक्त पड़े हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कोई स्थान रिक्त नहीं है।

*११६—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५७ म विभागीय चुनाव प्रधान अध्यापकों का हुआ है ? यदि हां, तो उसमें कितनों को स्थान मिल सके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। सब को स्थान मिल गये हैं।

*११७—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे कितने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा नार्मल स्कूल के प्रधान अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति बिना राज्य सेवा आयोग की स्वीकृति लिये की गई है और उनको कार्य करते हुए एक साल से अधिक हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२४।

जे० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालयों में हरिजन तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की भर्ती

*११८—श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)—१२-२-६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३१ के उत्तर के क्रम में क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १९५९-६० वर्ष में अब तक जे० टी० सी० के लिये सरकार ने कितने विद्यार्थियों को नामजद किया है ? उनमें से कितने हरिजन व कितने पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जे० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सन् १९५९-६० में कुल १९६ विद्यार्थी मनोनीत किए गए जिनमें कुल ११२ विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया जिनमें हरिजन विद्यार्थियों की संख्या ३ तथा पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों की संख्या ३० है।

ग्रामोद्योग इंटर कालेज, पुखरायां के प्रबन्ध के संबंध में शिकायत

*११९—श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्रामोद्योग इंटर कालेज, पुखरायां में अनधिकृत रूप से शिक्षकों को इन्क्रीमेंट देने और हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद उक्त कालेज की मैनेजिंग कमेटी द्वारा अध्यापकों को पुनः न नियुक्त करने की शिकायतें गृह मन्त्री के पास विगत तीन माह के अन्दर प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन्क्रीमेन्ट सम्बन्धी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। पुनः नियुक्त न करने के सम्बन्ध की एक अध्यापक से शिकायत प्राप्त हुई थी। सम्बन्धित अध्यापक की अब पुनः नियुक्ति हो गई है।

उन्नाव जिले के प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल

*१२०—श्री मुल्लाप्रसाद 'हंस' (जिला उन्नाव)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन्नाव जिले में कितने प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं जिनको स्थायी व अस्थायी मान्यता प्राप्त है और क्या कोई ऐसा भी विद्यालय है जिसे अस्थायी मान्यता सन् १९४९ से १९५६ तक मिलती रही है परन्तु अब मान्यता नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उन्नाव जिले में ७ प्राइवेट जूनियर हाई स्कूल चल रहे हैं, जिनमें ४ को स्थायी तथा ३ को अस्थायी मान्यता प्राप्त है।

ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है, जिसे १९४९ से १९५६ तक मान्यता मिलती रही हो और अब नहीं दी गई है।

विधायक निवास ए० ब्लाक का भोजनालय तथा मैनपुरी जिले के अध्यापकों के मामले

*१२१—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या विधायक निवास ए० ब्लाक के भोजनालय की देख-भाल के लिये कोई कमेटी बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या उसने कोई रिपोर्ट दी है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नहीं। रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता।

*१२२—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी के कौन-कौन से हायर सेकेन्डरी अथवा इन्टरमीडियेट कालिज के अध्यापकों के वेतन सम्बन्धी अथवा अन्य प्रकार के मामले शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर के यहां विचाराधीन हैं और वे कितने-कितने पुराने हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, सूचना निम्नलिखित है :

विद्यालय का नाम	अवधि
१—लोधी राजपूत हायर सेकेन्डरी स्कूल, जसराना, मैनपुरी	.. २ वर्ष ४ माह
२—अमर शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल, बेवर, मैनपुरी	.. १ वर्ष ७ माह
३—चित्रगुप्त हायर सेकेन्डरी स्कूल, मैनपुरी	.. १ वर्ष ५ माह
४—नारायण हायर सेकेन्डरी स्कूल, शिकोहाबाद, मैनपुरी	.. ९ माह

बुलन्दशहर जिले में लेखपालों व प्रधान को जेल तथा कलेक्टरी में हरिजन व पिछड़े वर्ग के चपरासी

*१२३—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक कितने लेखपाल व प्रधान को दफा २१८ ता० हिन्द के अन्तर्गत जिला बुलन्दशहर में सजा हुई और क्या जेलखाना भेजते समय उनसे चार्ज नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—दो लेखपालों और एक प्रधान को सजा हुई। इनमें से एक लेखपाल का चार्ज जेलखाना भेजते समय ले लिया गया। दूसरा लेखपाल अवकाश पर था, अतः उसका चार्ज जेल जाने से पहले नहीं लिया जा सका। बाद को ले लिया गया। प्रधान से भी जेल जाने के पूर्व चार्ज नहीं लिया गया। इसके कारण की जांच हो रही है।

*१२४—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में कलेक्टरी कचेहरी में कुल कितने चपरासी हैं और उनमें से कितने हरिजन अथवा पिछड़े वर्ग के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

*१२५—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर ४ मार्च, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

सादुल्लानगर अस्पताल में डाक्टर का न होना

*१२६—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के सादुल्ला नगर अस्पताल में कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस अस्पताल में ३१ मार्च, १९५९ अपरान्ह से डाक्टर नहीं है ।

*१२७—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सादुल्ला नगर अस्पताल में डाक्टर भेजने हेतु कोई सूचना प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद शल्यक गोंडा एवं एडीशनल डाइरेक्टर, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई, और अब तक डाक्टर न भेजने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां । ऐसी सूचना जनपद शल्यक के कार्यालय में २९ जुलाई, १९५९ को और स्वास्थ्य सेवा संचालक के कार्यालय में ३१ अगस्त, १९५९ को प्राप्त हुई थी । उस पर सिविल सर्जन गोंडा को यह आज्ञा दी गई थी कि यदि वह सादुल्लानगर अस्पताल में तुरन्त डाक्टर भेजना आवश्यक समझें तो जिले की और किसी कम आवश्यक डिस्पेन्सरी से डाक्टर वहां भेज दें । इसके उत्तर में सिविल सर्जन गोंडा ने यह बताया कि जिले की जिन डिस्पेन्सरियों में डाक्टर हैं वह सभी सादुल्लानगर डिस्पेन्सरी से अधिक आवश्यक हैं । चिकित्सकों की कमी के कारण सादुल्लानगर में चिकित्सक भेजा जाना अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है ।

सदर अस्पताल, खीरी के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायतें

*१२८—श्री शिवप्रसाद नागर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५८ से अब तक जिला खीरी के सरकारी सदर चिकित्सालय के डाक्टरों के खिलाफ सरकार के पास कितनी शिकायतें आई हैं और वह किस प्रकार की हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसी शिकायतों की संख्या पांच है । वे निम्न प्रकार की हैं:

पहली शिकायत—मेडिको लीगल चोटों की ठीक से जांच न करने तथा ठीक तरह से दर्ज न करने के बारे में ।

दूसरी शिकायत—एक मरीज के चिकित्सालय में भरती करने में विलम्ब और ठीक से देखभाल न होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाने के विषय में ।

तीसरी शिकायत—अस्पताल में भरती किये गये एक मरीज की ठीक से देख-रेख न होने से उसकी मृत्यु होने के बारे में ।

चौथी शिकायत—(१) अस्पताल में जितने भी पेट के आपरेशन सिविल सर्जन डाक्टर एम० पी० माथुर द्वारा किये गये सभी को जान से हाथ धोना पड़ा ।

(२) जिला परिषद् के एक कर्मचारी जिसको टी० बी० का मरीज घोषित किया और तीसरे व चौथे दिन उसी मरीज को फिटनेस (fitness) देकर ड्यूटी के योग्य घोषित किया जिससे उसके काम पर जाने के तीसरे या चौथे दिन मृत्यु हो गई ।

(३) मेडिकल सर्टिफिकेट देते समय बालिग लड़कियों को नाबालिग और नाबालिग लड़कियों को बालिग घोषित करना ।

(४) मृतकों की अंतिम घोषणाओं को जो मैजिस्ट्रेट के सामने हुई सिविल सर्जन डाक्टर माथुर ने अपनी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट द्वारा रद्द कर मुलजिमों को सजा पाने से बचा दिया ।

(५) चिकित्सालय में भरती करने के पूर्व मरीजों को घर पर बुला कर अपनी फीस लेना ।

(६) सिविल सर्जन के सरकारी निवास स्थान में लगे शीशम के पेड़ों को सिविल सर्जन डाक्टर एम० पी० माथुर ने कटवा कर अपनी ससुराल अमरोहा भेजा ।

(७) जिला अस्पताल के सोलजर्स वार्ड (soldiers ward) में सिविल सर्जन के हेड क्लर्क (Head clerk) का रहना ।

(८) और (९) लेपरासी वान (Leprosy van) की लाग बुक (Log book) में दौरे के सम्बन्ध में गलत इन्दराज और mileage को बढ़ा कर दिखाया जाना ।

(१०) अस्पताल के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों का सिविल सर्जन और डाक्टर मेहरोत्रा द्वारा सताया जाना ।

पांचवी शिकायत—(१) सिविल सर्जन तथा चिकित्साध्यक्ष द्वारा निम्न श्रेणी के कर्मचरियों से निजी काम लिया जाना ।

(२) सिविल सर्जन द्वारा सरकारी वस्तुओं का निजी हित में प्रयोग किया जाना ।

(३) सिविल सर्जन का चिकित्सालय में बराबर राउंडन करना और न मरीजों को देखना।

(४) चिकित्सालयों में मरीजों के न भर्ती करने के लिये सिविल सर्जन द्वारा मौखिक आदेश दिया जाना ।

(५) हास्पिटल सील के चन्दे को जिला चिकित्सालय के चिकित्साध्यक्ष के निवास स्थान के एलेक्ट्रीफिकेशन में खर्च किया जाना ।

(६) चिकित्सालय में मरीजों का ठीक से न इलाज होना और उनको महंगी दवाइयां जो चिकित्सालय में उपलब्ध हैं न दिया जाना ।

बुलन्दशहर जिले में चोरियां

*१२९—**श्री हिम्मतसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में १९५८ और १९५९ में कितनी चोरियों की रिपोर्ट दर्ज की गई, कितनी की इंक्वायरी की गई, कितनों का चालान किया गया और कितने व्यक्तियों को सजा मिली ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५८ में ४२० रिपोर्ट चोरी की दर्ज हुईं, इनमें से २६६ में जांच हुई, १३० में चालान हुआ और १३० व्यक्तियों को सजा हुई ।

सन् १९५९ में ४३४ रिपोर्ट चोरी की दर्ज हुईं इनमें से ३९४ में जांच हुई, १२६ में चालान हुआ और १५२ व्यक्तियों को सजा हुई ।

अतारांकित प्रश्न

आर्बीट्रेशन बोर्ड के समक्ष आर० डी० हा० से० सुचितागंज के प्रिंसिपल का मुकदमा

१—**श्री देवीप्रसाद मिश्र** (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार को मालूम है कि आर० डी० हा० से०, सुचितागंज (फैजाबाद) के प्रिन्सिपल का केस Arbitration Board के सामने था किन्तु मैनेजर की इस दरख्वास्त पर कि प्रिन्सिपल के विरुद्ध गबन का केस चल रहा है वह मुल्तवी कर दिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है । उपलब्ध होने पर उत्तर दिया जा सकेगा ।

२—**श्री देवीप्रसाद मिश्र**—क्या सरकार को मालूम है कि उपर्युक्त गबन के केस में पुलिस ने अन्तिम रिपोर्ट लगा दी थी कि इसके शिकायत करने वाले का सम्बन्ध स्कूल से नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है । उपलब्ध होने पर उत्तर दिया जा सकेगा ।

३—**श्री देवीप्रसाद मिश्र**—केस जब Arbitration Board के सामने हो क्या मैनेजर या स्कूल के किसी पदाधिकारी को अदालत में जाने की आज्ञा है । यदि नहीं तो अदालत में जाने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सूचना एकत्र की जा रही है । उपलब्ध होने पर उत्तर दिया जा सकेगा ।

'नया भारत' के सम्पादक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—एक यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री गौरीशंकर राय जी ने उठाया था । उनके शब्द ये थे :—

"मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मुख्य पत्र 'नया भारत' के प्रधान सम्पादक, श्री जगन प्रसाद रावत, प्रधान मंत्री, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी , के विरुद्ध इस सदन के अवमान का प्रश्न उठाना चाहता हूं । आशा है आप इसकी अनुमति देंगे । सदन का अवमान तथा सदन के साथ शिष्टता के विपरीत आचरण निम्न प्रकार से हुआ है :—

उत्तर प्रदेश कांग्रेस का मुख-पत्र 'नया भारत' के ८ फरवरी, १९६० के अंक सातवें पृष्ठ पर 'उत्तर प्रदेश में सहकारिता का विकास' शीर्षक में एक लेख छपा है जिसमें सहकारिता के संबंध में सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा न करके उन बातों की चर्चा की गई है जो 'उत्तर प्रदेश सहकारी समितियों विधेयक' जिसका प्रारूप तैयार है, में सन्निहित हैं । विधेयक में किन किन बातों की व्यवस्था है इसका पूर्ण विवरण इस लेख में छपा है । उक्त विधेयक अभी सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं हुआ । इसके सम्बन्ध में सदन को कोई सूचना नहीं । किसी इस प्रकार के विधेयक का पूर्ण विवरण सदन की जानकारी के पहले पत्र या पत्रिका में प्रकाशित होना इस सदन का अवमान है एवं सदन के प्रति शिष्टता के विरुद्ध आचरण है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ६४ के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करने का आदेश दें ।"

श्री जगनप्रसाद रावत जी को भी गौरीशंकर जी ने सूचना भेजी थी, मेरे पास भी भेजी है । मैंने उस रोज यह कहा था कि मैं रावतजी से पूछूंगा कि यह कैसे छपा । उन्होंने मेरे पास यह उत्तर भेजा है :—

"श्री गौरीशंकर राय जी ने जो सदन के अवमान का प्रश्न मेरे विरुद्ध उठाने की अनुमति आपसे चाही है उस सम्बन्ध में मेरा कथन है कि हिन्दी साप्ताहिक 'नया भारत' में ८ फरवरी, १९६० के अंक में जो लेख 'उत्तर प्रदेश में सहकारिता का विकास' श्री मदन मोहन के नाम से छपा है, वह केवल हमारे ही साप्ताहिक में नहीं छपा है बल्कि श्री मदन मोहन जी ने इसी प्रकार का लेख अन्य अखबारों में करीब एक महीने पहिले छपवाया था, उन अखबारों की प्रतियां मैं आपके पास भेज रहा हूं, जिससे स्पष्ट हो जायगा कि मेरे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री होने के कारण कोई पक्षपात नहीं किया गया । दूसरे अखबारों में छपे हुये श्री मदन मोहनजी के लेख को उपयोगी समझ कर हमारे साप्ताहिक में भी वह छाप दिया गया । इसमें किसी प्रकार का सदन के अवमान का प्रश्न नहीं उठता और न हमारा कोई इरादा सदन की स्वस्थ प्रथाओं को भंग करने का हो सकता है, इसलिये आप कृपया उचित निर्णय दें ।"

इस विषय में मैं आपको एक साधारण नियम बता देना चाहता हूं : वह यह है कि यदि कोई विधेयक सदन में आनेवाला हो, उसके उद्देश्य और कारण और जिन सिद्धान्तों पर वह आधारित

हो, वे सदन के सामने पहले आ जाने चाहिये । अखबारों में जाने से पहले सदन को सूचना सबसे पहले मिलनी चाहिये । यह साधारण स्वस्थ प्रथा है । मैं अखबार वालों से भी कहना चाहता हूं और माननीय मंत्रीगण से भी कि उनकी तरफ से जो विधेयक आनेवाले हों और उनका ड्राफ्ट तैयार हो जाय, तो उसकी सूचना पहले सदन में दिया करें । लेकिन अगर कोई सिद्धान्त किसी व्याख्यान में कह देते हैं और वह छप जाता है, प्रारूप के बारे में एक तरह से प्रेस कांफ्रेंस में प्रेसवालों से वह कह देते हैं और वे छाप देते हैं, तो यह प्रश्न अभी निश्चित नहीं है कि इसमें सदन का अवमान होता है । यह डाउटफुल है । साधारण रीति से वह सदन का अवमान हो गया या नहीं, इस विषय में अभी तक स्पष्ट कोई निश्चित राय नहीं है । इस विषय में एक बार लोक सभा में भी, जब श्री मावलंकर अध्यक्ष थे, उनके सामने यह प्रश्न आया था । उन्होंने भी यही कहा था कि यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने आगाह कर दिया था कि स्वस्थ प्रथा यह होनी चाहिये कि ऐसी बातें नहीं छपना चाहिये । अखबार वालों से और सरकार से भी उन्होंने कह दिया था ।

जहां तक प्रस्तुत प्रश्न है, इसमें श्री जगन प्रसाद रावत के ऊपर किसी तरह से सदन के अवमान का आरोप आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनके कार्य का स्पर्श भी अवमान का नहीं होता । मेरे पास इतने अखबार हैं, इनमें कम्युनिस्ट पार्टी के और दूसरी पार्टियों के भी हैं, इनमें यही लेख इन्हीं मदन मोहन जी का छपा है । रावत जी का कहना है कि यह और अखबारों में छपा हुआ जब उन्होंने देखा तो उनके अखबार वालों ने भी उसे छाप दिया । लिहाजा रावत जी से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । यह प्रश्न जरूर उठता है कि इन अखबारों में कैसे यह गया और क्या वह नहीं जाना चाहिये था ? तो इसकी सूचना मैंने दे दी क्योंकि उन अखबारवालों के विरुद्ध प्रश्न उठाने की अनुमति तो मांगी नहीं गई है, और न यही अनुमति मांगी गई है कि किसी सरकारी विभाग की तरफ से यह सूचना लीक आउट की गई है, दी गई है । सिर्फ सीधा आक्षेप उनका जगनप्रसाद रावत जी के ऊपर है कि श्री जगनप्रसाद रावत ने सदन का अवमान किया, इसकी तो मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं क्योंकि उनके प्रति तो अवमान का स्पर्श भी नहीं होता है । क्योंकि यह कई अखबारों में छपा इसलिये अगर कहीं स्पर्श होता है तो सूचना विभाग अथवा जिस विभाग ने इसको बनाया होगा, उनसे होता है, उन्होंने प्रेस वालों को इस सूचना को दिया होगा । जो विधेयक आने वाला है उसमें यदि वही चीजें हैं जो उस बयान में हैं तो उन विभागों को इस बात का खयाल रखने की आवश्यकता है । क्योंकि उनके खिलाफ कोई प्रश्न इस समय नहीं उठाया गया, इसलिये इसकी जांच इस समय करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)---श्रीमन्, मैं विशेषाधिकार के दूसरे प्रश्न को उठाने की सूचना देता हूं । मुझे मालूम हुआ कि कोआपरेटिव विभाग ने इसकी सूचना सूचना विभाग को दी थी और सूचना विभाग ने इसको दिया ।

श्री अध्यक्ष---जब आप उसकी सूचना देंगे, उस पर फैसला दिया जायगा ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---ये मदन मोहन, सदन के सदस्यों में से कोई सज्जन हैं अथवा किसी समाचार-पत्र के संवाददाता हैं या सूचना विभाग के कोई कर्मचारी हैं ?

श्री अध्यक्ष---मुझे यह बात नहीं मालूम । मदन मोहन जी वर्मा जो इस सदन के सदस्य हैं, वे इसके लेखक नहीं हैं । उन्होंने उस रोज यह बता भी दिया था ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---अध्यक्ष महोदय, श्री जगनप्रसाद रावत के खिलाफ जो अवमान का प्रश्न उठाया गया है, उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं उन लोगों में से हूं कि यदि यह भी सिद्ध होता है कि उन्होंने टेकनीकली अवमान किया है तो सदन से मैं प्रार्थना करता कि अगर उन्होंने जानबूझ कर नहीं किया, गलती से किया है तो ऐसे

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

मामले में कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। लेकिन उसके संबंध में आपने जो कहा है उससे मुझे कुछ शंका पैदा हो गई है, इसलिये मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। आपने कहा कि कई पत्रों में एक साथ एक सी बात छपी हुई है, उससे सदन का अवमान नहीं होता। तो क्या आपकी यह व्यवस्था है कि कई पत्रों में किसी बात के छपने से सदन का अवमान नहीं होता ?

श्री अध्यक्ष—मेरा मतलब यह नहीं था। दूसरे पत्रों में एक माह पहले छपा था और 'नया भारत' में एक महीने बाद फरवरी में छपा, तब आपकी अटेन्शन उसकी तरफ गयी और एक महीने पहले आपने उसको नहीं देखा। आपको सूचना तभी मिलती है जब कि श्री जगन प्रसाद रावत एक माह बाद उसको छापते हैं और आप प्रत्यक्ष रूप से उनका नाम लेकर और उनको प्रधान मंत्री कह कर इस प्रश्न को उठाते हैं। उससे मैं यह समझा कि उन्होंने कांग्रेस के प्रधान मंत्री होने से कोई नाजायज फायदा उठाकर ऐसा किया है। आपने मुझे यहां अथवा मेरे कमरे में यह भी कहा था कि वे ऐसी पार्टी के प्रधान मंत्री हैं, जिस पार्टी की गवर्नमेंट है। तो उस बात के कहने से मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जगनप्रसाद रावत जी के साथ उस पार्टी का होने के कारण कोई विशेष हमदर्दी रही और उनको ही खास तौर पर इसीलिये सूचना दे दी गयी थी तथा और किसी को नहीं दी गयी थी। इस आशंका से मैंने खास तौर से स्पष्टीकरण दिया कि दूसरे अखबारों में उससे पहले वह लेख छप चुका था तथा श्री जगनप्रसाद रावत ने अपने पद का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। इसलिये कम से कम जगनप्रसाद रावत के ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि उससे पहले और भी कई अखबारों में यह चीज छप चुकी थी। १३ अखबारों का जिक्र करके मैंने इसको स्पष्ट कर दिया, दूसरे अखबारों के बारे में कोई प्रश्न उठाया नहीं गया इसलिये इस वक्त उनके विरुद्ध प्रश्न नहीं उठता। अगर किसी विभाग ने उसको अखबारों में दिया है, जब उसका प्रश्न उठेगा, उस समय मैं उसको देखूंगा। उस बारे में भी अभी शंका है कि प्रश्न उठाया जाना उचित है या नहीं। इस बारे में बहुत स्पष्ट चीजें मालूम करनी होंगी कि क्या विधेयक इसी किस्म का आने वाला था, उसके वही शब्द थे, आदि बहुत-सी बारीकियां उसमें हैं। तो इस प्रकार भी कोई अवहेलना होती भी है या नहीं, इसमें भी आशंका है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—श्रीमन्, केवल आगे के लिये मैं व्यवस्था चाहता हूं कि अगर कोई एक पत्र या दो या अनेक पत्रों की तरफ से यह दिया हुआ है यह पता नहीं है कि किसी मंत्री ने उनको सूचना दी या विभाग के कर्मचारी ने सूचना दी, सूचना का स्रोत मालूम नहीं है लेकिन कहीं से वे सूचना का पता लगा कर अपने पत्र में देते हैं और अगर उनको दूसरे पत्र वाले प्रकाशित करते हैं तो उनका यह कार्य सदन का अवमान होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उस बारे में तो यह बात ठीक ही है कि वह स्वस्थ प्रथा नहीं होगी। ऐसे आप का प्रश्न हाइपोथेटिकल है, जब वह प्रश्न सामने आयेगा तो मैं उस पर फैसला दूंगा, उसके पहले नहीं दूंगा। इसमें तो किसी हालत में यह लागू होता ही नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—श्रीमन्, इन्फारमेशन के लिये बतलाऊं कि आई० पी० सी० के मुताबिक यह डिफेमेशन का केस बनता है। हाई कोर्ट की रूलिंग है कि अगर कोई पेपर या कोई व्यक्ति डिफेमेशन करता है और फिर दूसरी बार या तीसरी बार कोई पेपर या व्यक्ति उसको प्रकाशित करता है तो वह चाहे जाने या न जाने लेकिन उसके लिये जिम्मेदार होता है। क्योंकि जो आदमी किसी चीज को अपने पेपर में छापता है उसकी सत्यता को पहले खूब ठोक बजा कर देख लेता है तब छापता है। तो श्रीमन् के मुखारबिन्द से यह व्यवस्था हो गयी है तो यह अखबारों

में भी छपेगी और बाहर भी इसे कोट किया जायगा। तो यह व्यवस्था क्या उचित होगी श्रीमन्, इसका आप स्वयं निर्णय करें कि repetition of defamation or breach of privilege is not defamation or breach of privilage स्पष्ट अवमान को फिर छापना अवमान नहीं है, क्या यह कहना उचित होगा ?

श्री अध्यक्ष—मैंने यह बिलकुल नहीं कहा। पहले भी जिसने छापा है उस बारे में मैंने कहा कि यह शंका की ही बात है कि उससे भी अवमान होता है या नहीं होता है। लेकिन इनके लिये तो किसी तरह से लागू होता ही नहीं। यह मैं आपसे इसलिये कह रहा हूं कि वैसे तो यह कई जगह लेख भेजा गया और कई जगह छपा। तो श्री रावत जी के मामले में तो उसका कहीं स्पर्श तक नहीं होता है कि अवहेलना हुई, इसलिये इस मामले में मैंने फैसला दिया है और बाकी के बारे में जब प्रश्न उठेगा तो उसके ऊपर मैं फैसला दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, यह बहुत पेचीदा मामला है कि आखिर सरकारी सीक्रेट कैसे लीक आउट हो जाता है। क्या वे वही श्री मदन मोहन तो नहीं है जो कोआपरेटिव के विशेषाधिकारी हैं और पहले पी० एस० पी० में थे जो अब कांग्रेस में चले गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह सूचना आप श्री गौरीशंकर राय को दे दें, जब वे सवाल उठायेंगे तो उसमें इस प्रश्न को उठायेंगे। अभी मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जब आप कहते हैं कि यह प्रश्न डाउटफुल है, तो मैंने जैसा कि रूल्स का अध्ययन किया है, जहां डाउटफुल प्रश्न हो वह प्रागदर्शन बन जाता है और डाउटफुल प्रश्न को निश्चित करने के लिये विशेषाधिकार समिति बनी हुई है कि वह देखे कि इसमें कहां तथा कैसे कैसे मामला उठता है।

श्री अध्यक्ष—मैं इस पर बहस की इजाजत नहीं देता। आप कृपा कर बैठें। आप समझे नहीं, इस बारे में मुझे कोई डाउट नहीं है, जो प्रश्न कि रावत जी के खिलाफ उठाया गया है। इस बारे में तो मैंने यहां तक कहा कि इसमें कहीं अवमान का स्पर्श तक नहीं होता है और अवमान का कोई प्रश्न उठता नहीं है।

जहां तक सिद्धान्त का प्रश्न था वह मैंने बयान किया, यह आप समझ लें, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि सदन की प्रतिष्ठा कायम रहे, कोई उसकी अवहेलना रत्ती भर भी न करे। लेकिन विशेषाधिकार जो है वह एक बड़ी सूक्ष्म बात है हर चीज के ऊपर आप सदन में विशेषाधिकार का क्लेम करने लगें तो उससे सदन के विशेषाधिकार कम हो जावेंगे कुछ दिनों के बाद। अगर अखबारों की स्वतंत्रता को आपने बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश की तो ऐसे ही लोग कहने लगे हैं कि सदन के मेम्बर हो जाने से क्या कोई इतना बड़ा भारी आदमी हो जाता है कि हर बात के कहने में उसके विशेषाधिकार की अवहेलना हो गयी। यह भावना जनता में पैदा हो जाती है। इसीलिये मैंने कहा था कि कुछ अखबारों में छप जाने से, हमको सोचना होगा कि कोई नाजायज कार्यवाही अखबार वालों ने की तब तो अवमान उसे कहेंगे, वर्ना वह भी स्वतंत्रता रखते हैं और किसी चीज को छापते हैं उस पर अगर सदन में सवाल उठता है तो उस पर प्रागदर्शन में ही समझा जा सकता है कि कोई अवमान की बात नहीं की गई है। इसीलिये मैंने अखबारों के बारे में ऐसा कहा। यह इशारा आप को समझ लेना चाहिये। इसलिये अब इस पर विशेष चर्चा की जरूरत नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था मैं चाहता हूं कि ऐसी जो छपने वाली चीजें हैं उनमें अखबार के प्रधान सम्पादक की जिम्मेदारी होती है या नहीं, अगर वह ....

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न मेरे सामने नहीं है। मैंने तो उन पर जिम्मेदारी ही स्वीकार नहीं की है लेकिन अगर वह उस अखबार की होती भी तो मैं उनके ऊपर लाद देता। अगर अखबार ने अवमान किया होता, अगर यह बात उन पर लग जाती तो मैं कम से कम इसको प्रागदर्शन में अवमान मानकर विशेषाधिकार समिति के पास भेज देता।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, यह तो आपने देख लिया कि किसी की इच्छा नहीं होगी कि उनके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाय, यदि खेद भी प्रदर्शित कर दिया जाता है तो क्षमा कर दिया जाता है, इतनी उदारता के लिये सदन सदा ही तैयार रहता है, हम उससे भी ज्यादा चाहते हैं। लोगों को मालूम न हो तो आपसे पूछ लें कि हम प्रश्न उठा दिया करते हैं लेकिन कह देते हैं कि गलती मान लो तो क्षमा कर दें। क्षमा करनें में...

श्री अध्यक्ष—मैं इस बहस की इजाजत नहीं दे रहा हूं..

श्री राजनारायण—मैं निवेदन यह कर रहा था कि यहां की व्यवस्था से संबंधित बात है कि एक प्रश्न उठाया जाता है तो जितने भी उससे लगे हुए प्रश्न आते हैं सभी की जांच हो सकती, फर्ज कीजिये कि आप की व्यवस्था हमारे बारे में है कि अगर पुलिस के अधिकारियों ने ज्यादती की है तो प्रश्न उठाया जा सकता है। विशेषाधिकार समिति ने भी अपनी टिप्पणी में लिखा है कि राजनारायण का मामला, इसलिये नहीं उठा क्योंकि वह १५ दिन के लिये दंडित हो गये। जहां तक विशेषाधिकार समिति की पावर की बात है...

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, मेरा फैसला हो गया। आप बैठें।

श्री राजनारायण—जी हां, अगर यहां बैठना है तो आपकी व्यवस्था से सहमत न होते हुए भी उसको शिरोधार्य करना पड़ेगा।

गृह मंत्री के विरुद्ध असत्य उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री मदन पाण्डेय ने एक नोटिस दिया है, उसका फैसला मैं अभी नहीं दूंगा। यह माननीय कमलापति जी के एक उत्तर के संबंध में है कि उन्होंने असत्य उत्तर दिया है। मुझे अभी कार्यवाही देखकर उनसे पूछना पड़ेगा कि उनका क्या मतलब था। क्या पाण्डेय जी, आपने उन्हें नोटिस भेजा है?

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—जी हां।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, मैं कल जांच करके फैसला दूंगा।

श्री राजनारायण द्वारा एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री राजनारायण जी के एक कामरोको प्रस्ताव की मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं, बजट के विवाद में वह उसका जिक्र कर सकते हैं, कल शायद उन्होंने किया भी हो...

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, वह नीति के संबंध में है...

श्री अध्यक्ष—आप आज भी उसका जिक्र कर सकते हैं।

सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित 'आबपाशी रेट घटाओ' आन्दोलन में किये गये जुर्माने की वापसी के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब नियम ५२ के अनुसार श्री राजनारायण जी ने प्रश्न उठाया है इसको मैंने मान लिया है। यह ध्यान आकृष्ट करने वाला है महत्व का भी समझ कर मैं समझता हूं संबंधित मंत्री आज वक्तव्य देना चाहें तो आज दें या किसी दूसरे रोज देना चाहें तो बता दें : वह यह है:—

"१९५४ में सोशलिस्ट पार्टी द्वारा चलाये गये 'आबपाशी का रेट घटाओ' आन्दोलन में डाक्टर राम मनोहर लोहिया गिरफ्तार हुए थे और हाईकोर्ट इलाहाबाद से मुकदमे में उत्तर प्रदेश सरकार हारी थी और सन् १९३२ का कानून जिसके अन्तर्गत सत्याग्रहियों को सजायें दी गई थीं अवैधानिक घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से हार जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अभी हाल ही में वहां से भी अपील खारिज हो गई है। जिन लोगों पर सजायें व जुर्माना की वसूली हुई थी उनको वापस नहीं किया गया है और कोई सूचना नहीं है कि कब तक वापस किया जायगा।

मैं नियम ५२ के अन्तर्गत इस महत्वपूर्ण विषय को स्पष्टीकरण के लिये उपस्थित करता हूं कि क्या स्थिति है और जुर्माना कब तक वापस होगा।"

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कापी मंगवाने का आदेश दे दिया है। वह आ जाय तो कंसीडर करके जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस संबंध में इस बात की जानकारी एडवोकेट जनरल से हो चुकी है कि सरकार अपील में हार गई है और इस सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था कि यद्यपि समय बीत गया था, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, उस अपील का यदि फैसला हो जायगा तो जुर्माना वापस करने की बात होगी? मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वही तो हम कहते हैं, कापी मंगवाई है। अखबारों पर थोड़े ही काम किया जाता है ...

श्री अध्यक्ष—वह एडवोकेट जनरल की बात कह रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—उनसे कोई बातचीत नहीं हुई।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वाक्य यह लिखा है कि हाईकोर्ट का जजमेंट कम्पलीट है और उससे अच्छा नहीं हो सकता?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी हमने जजमेंट पढ़ा नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उसमें वह हार गई है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—हमारी अपील खारिज हो गई है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय मंत्री जी को नकल कितने दिनों के अन्दर मिल जाने की आशा है और कब तक विचार करके सदन में उत्तर देने की कृपा करेंगे कि जुर्माना वापस कर रहे हैं या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—खयाल है कि एक हफ्ते में जजमेंट आ जाएगा। १५ दिन फिर उसमें विचार करने में लेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—जब माननीय मंत्री जी को यह सूचना है कि अपील खारिज हो गई है तो इस सूचना के प्राप्त हो जाने पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बता दिया।

बिहार सरकार द्वारा स्थायी सीमा निर्धारण संबंधी सर्वेक्षण में बलिया जिले की भूमि के कथित अपहरण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत राजस्व उपमंत्री का वक्तव्य

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीर प्रसाद शुक्ल)—बिहार सरकार अपने प्रदेश की उस भूमि का जो गंगा और घाघरा की भूमि कही जाती है, सर्वेक्षण करा रही है। इस समय बलिया जिले के किसानों में जिनकी जमीनें उस सीमा से लगी हैं उनमें एक प्रकार का पैनिक फैल गया है, क्योंकि अक्सर बिहार के काश्तकारों से उनके झगड़े होते हैं। उनको भय पैदा हो गया है। बलिया के कलेक्टर से सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने सुझाव दिया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों सरकारों के अधिकारी मिल कर वहां सर्वेक्षण करें और बिहार गवर्नमेन्ट से बलिया के काश्तकारों के संरक्षण के लिये भी आश्वासन लिया जाय। यह विषय इस समय सरकार के विचाराधीन है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। विचार किया जा रहा है। वाराणसी के कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि वह बिहार के काउन्टर पार्ट के जो कमिश्नर हैं उनके परामर्श से, स्वयं मौके पर जाकर और देखकर उचित कार्यवाही करें और उसके संबंध में सरकार को सूचित करें।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि गंगा की डीप स्ट्रीम के उस पार की जमीन बिहार की समझी जाती है। लेकिन वह जमीन यू० पी० किसानों के कब्जे में है। तो जो जमीन बलिया के किसानों के कब्जे में है उसका सर्वे और जिन मौजों के अन्दर वह जमीन पड़ती है उनकी नये सर्वे के मुताबिक नये मौजे बन रहे हैं और इन किसानों का कब्जा नहीं लिखा जा रहा है।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—यही सब बातें हमारे कमिश्नर मौके पर देख कर रिपोर्ट करेंगे।

श्री गौरीशंकर राय—जो सर्वे हो रहा है अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की सूचना के लिये और सरकार की सूचना के लिये बता दूं कि बिहार में पटवारी सिस्टम नहीं था, उनके पास कोई रिकार्ड्स नहीं है। इधर यू० पी० और बिहार की परमानेंट बाउन्ड्री सेटिल होने वाली है। तो इन कठिनाइयों को देखते हुए मंत्री जी केन्द्रीय सरकार को लिखेंगे कि जो मौजूदा सर्वे हो रहा है उसको किसी प्रकार रोका जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अब कमिश्नर की रिपोर्ट आ जाने दीजिये उसके बाद कोई कार्यवाही की जा सकती है।

श्री गौरीशंकर राय—जिस जमीन का सर्वे हो रहा है वह प्रदेशीय सरकार के ऐडमिडिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन में नहीं है तो ऐसी हालत में आप की पुलिस या कमिश्नर को जो कठिनाइयां पैदा होंगी उससे वह कोई कार्यवाही नहीं कर सकेंगे तो सरकार प्रदेशीय स्तर पर दूसरी सरकार से कहेगी कि दोनों मिल करके इस मामले में बात करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पहले देखें कि हमारी इस प्रोग्रेस का क्या नतीजा होता है ....

श्री अध्यक्ष—उनका सुझाव है कि उनकी भी सलाह ले ली जाय क्योंकि उनको वहां के बारे में कुछ मालूम है जो संभवत: सरकार को मालूम नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—माननीय सदस्य हर समय हमको बता सकते हैं।

श्री गौरीशंकर राय—माननीय मंत्री जी को जैसा मालूम है कि हर साल यह कठिनाई पड़ती है, हमारे कलेक्टर मजबूर हो जाते है क्योंकि यह क्षेत्र उनके ऐडमिनिस्ट्रेटिव जूरिस्डिक्शन में नहीं है। इसलिये मैंने कहा कि दोनों सरकारें पहले आपस में बिचार-विनिमय कर लें तभी कमिश्नर की रिपोर्ट की बात उचित होगी।

श्री अध्यक्ष—मैंने आपके सुझाव के बारे में मंत्री जी से कह दिया आप बातचीत कर लें।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता था कि जिस कठिनाई का जिक्र माननीय गौरीशंकर राय जी ने किया है वह सही है। इस मामले में केंद्रीय सरकार से बातचीत हुई। केंद्रीय सरकार ने इस बात को जानने की कोशिश की कि जो इस किस्म की भूमि है जिसकी बाबत व्यवस्था का प्रश्न है वहां के लोग बिहार में रहना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। बहरहाल, उनके पास, जहां तक हम जानते हैं, रिपोर्ट भी पहुंच गई है। हम लोग चाहते हैं कि मामला जल्दी तय हो जाय और जिस आशंका की ओर माननीय गौरीशंकर राय जी ने संकेत किया है वह सही है कि बिहार सरकार के पास कोई कागजात नहीं है और बहुत संभव है कि जिस किस्म का सर्वे करा रहे हैं उससे ऐसे कागजात तैयार हो जायं जिससे वह किसी मौके पर पेश कर सकें। हम अपनी तरफ से केंद्रीय सरकार से लिखा-पढ़ी करेंगे और जल्दी फैसला करने की कोशिश करेंगे और अगर फैसला होने में देर हुई तो कम से कम इतना जरूर चाहेंगे कि इस किस्म के सर्वे वगैरह के कोई कागजात तैयार न हो जायं जो आगे चल कर हमारे खिलाफ जा सकें।

ओयलपुर ग्राम में ५ मजदूरों की मृत्यु के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत स्वायत्त शासन मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—अब माननीय रूमसिंह के नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये प्रश्न के बारे में स्वायत्त शासन मंत्री वक्तव्य देंगे।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, हमने जिलाधीश से उस रोज भी दरियाफ्त किया था और कल भी रात को ८ बजे के करीब उनसे बातचीत की। उसके आधार पर जो जानकारी हासिल हुई है वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह वाकया २० तारीख की सुबह करीब ९ बजे हुआ था। वहां एक कुआं खोदा जा रहा था जिसमें पहले तीन आदमी घुसे हुये थे। उनकी मदद करने के लिये ५ आदमी घुसे उनमें से ३ निकल आये और दो वहीं रह गये। इस तरह से वह जमीन चारों तरफ से गिर कर दब गयी। उसको निकालनेके लिये फायर ब्रिगेड इस्तेमाल करना चाहा लेकिन वह यहां काम नहीं कर सका। पी० डब्ल्यू० डी० से कहा गया। उनके पास शायद उपयुक्त औजार नहीं थे। सौभाग्य

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

से वहां एक दूसरी कम्पनी काम कर रही थी मुगलसराय की तरफ और उसकी मदद ले कर अभी उसमें काम हो रहा है। ड्रजर से भी काम लिया जा रहा है लेकिन बदकिस्मती से मिट्टी शायद ऐसी है....

श्री अध्यक्ष—गंगा तट पर है क्या?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जौनपुर की सड़क पर वाराणसी से जाते हैं। मिट्टी ऐसी है कि ड्रजर भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ से खुदाई का काम शुरू कर रहे हैं। दुख की बात है कि अभी तक वे लाशें नहीं निकल पाई हैं और कोशिश बराबर हो रही है। डी० एम० का यह कहना था कि ११ बजे से पहले कोई खबर होगी तो दी जायगी लेकिन वह खबर अभी तक नहीं मिल सकी।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि २० तारीख को ९ बजे के प्रातः के करीब उस कुयें में जब ४ आदमी उतरे थे और जब मिट्टी गिरने लगी थी तो उन ४ आदमियों ने कहा कि मिट्टी गिर रही है इसलिये हम लोग निकल रहे हैं। लेकिन एक आदमी ने कहा कि हम आ रहे हैं। तो वह एक आदमी भी फिर चला गया। उसके जाने के करीब १५ मिनट बाद कुयें की दीवार गिरी और पांचों आदमी वहीं बैठ गये। यह घटना ९ साढ़े ९ बजे की है। इसके बाद वहां से उतर कर लोग परगना हाकिम के यहां गये, तहसीलदार के यहां गये, इंजीनियर के यहां गये और जाने वालों ने जो सूचना हमें भेजी है, उसमें हमारी सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त मंत्री भृगुनाथ जी हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि कलेक्टर महोदय से भी जानकारी कराई। कलेक्टर ने यहां तक कहा कि हमारे पास इस समय कोई साधन नहीं है जिससे हम लाश निकलवा पायें, क्या यह सरकार की जानकारी में है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—जो बातें मैंने कहीं उन्हीं को माननीय सदस्य दोहरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—वे यह पूछ रहे हैं कि कलेक्टर ने यह कहा या नहीं कि हमारे पास कोई साधन नहीं है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—उनकी क्या बात हुई यह, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने हमारे पास जो लिखा वह यही कि अभी तक वे उसे निकालने में असमर्थ हैं और ऐसे कोई साधन नहीं थे जिससे निकाल सकते। यह इससे साफ जाहिर होता है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि २२ तारीख को जब सारे दमकल फेल हो गये और जितनी मशीनें थीं सब फेल हो गयीं और जब हमारे प्रतिनिधि लोग गये और जिलाधीश इस पर लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि इसमें ५,६ हजार रुपये खर्च होंगे और उन्होंने प्रांतीय सरकार को वायरलेस किया है और जब तक प्रांतीय सरकार से आदेश नहीं आता तब तक इस काम में हम असमर्थ हैं?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—किससे मिले यह तो मैं जानता नहीं लेकिन यह बात सही है कि जो पी० डब्ल्यू डी० का विभाग है उसके पास इस किस्म के औजार नहीं थे जिनसे कोशिश की जा सकती निकालने की। फायर ब्रिगेड से कोशिश की गयी, वह असफल रहा। डी० एम० ने फोन किया कि पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये नहीं हो सकता। एक कम्पनी है। ५ हजार वह चाहती है। मैंने टेलीफोन कराया कि ४–५ हजार की परवा न करो और लाशों को निकाला जाय।

श्री राजनारायण—जब जिलाधीश ने सरकार को इस बात की सूचना दी कि ५–६ हजार का खर्च है और सरकार ने कहा ठीक है यह रुपया खर्च कर दिया जाय उसके तत्काल कितनी विलम्ब से कार्यवाही की गयी?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, निवेदन यह है कि पी० डब्ल्यू० डी० के पास नहीं था लेकिन जैसे ही यहां से सूचना गयी वैसे ही उस कम्पनी से कहा गया कि उस काम को शुरू करें। उस समय तक वे जिन्दा होंगे यह तो आशा छोड़ दी गयी थी। अब तो केवल लाश निकालने का प्रश्न था। उसकी कोशिश की जा रही है। ३-४ दिन हो गये मगर अभी तक वह नहीं निकल पायी है।

श्री अध्यक्ष---कब शुरू किया काम, यह पूछ रहे हैं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---दो घंटे बाद शुरू किया या ४ घंटे बाद शुरू किया, यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री राजनारायण---अब तो यह उम्मीद नहीं है कि वे जिन्दा होंगे मगर माननीय मंत्री जी हिन्दू धर्म को मानते होंगे और मुख्य मंत्री जी भी मानते हैं...

श्री अध्यक्ष---यहां आप धर्म की दुहाई नहीं दे सकते।

श्री राजनारायण---वह मैं नहीं दे रहा हूं लेकिन बता रहा हूं। मैंने परसों शाम को मुख्य मंत्री जी से इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर दिया था कि उसमें पांच आदमी मरे जिनमें से एक की उम्र है २५ वर्ष।

श्री अध्यक्ष---यह सूचना देने का समय नहीं है, आप प्रश्न करिये।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिस गांव के यह व्यक्ति मरे हैं उस गांव के पास ही में यह कुआं है और उस गांव के लोग आज तक अन्न नहीं खा रहे हैं और बैठे हुए हैं कि जब तक लाशें नहीं निकलेंगी, उनकी दाह क्रिया आदि नहीं हो जायगी तब तक अन्न नहीं खायेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न इससे उठता नहीं है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---मंत्री जी ने अपने बयान में यह कहा कि पहले ३ आदमी उस कुंये में घुसे और वह ३ दब गये। तब ८ घुसे और ८ में से ५ रह गये। परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि केवल ५ ही आदमी उसमें दबे.....

श्री अध्यक्ष---वह भी तो ५ ही कह रहे हैं।

श्री देवनारायण भारतीय---माननीय मंत्री जी के बयान में यह था कि ३ आदमी पहले दब गये। उनको निकालने के लिये ८ आदमी घुसे। उनमें से ५ रह गये। तो इस प्रकार कुल जोड़ ८ हो जाता है।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, जो मैं नहीं कहता हूं उसको भी लोग समझते हैं कि मैंने कहा, बदकिस्मती तो यह है। मैंने तो यह निवेदन किया था कि ३ आदमी पहले से उसमें घुसे थे। जब उन्होंने कहा कि यहां खतरा है, हमें बाहर निकालो तो बाहर के लोगों ने कहा कि हम आते हैं और ५ आदमी उसमें घुसे मगर ३ आदमी बाहर निकल आये। तो दब तो गये ५ मगर इन्वाल्व्ड ८ आदमी थे। यह मैंने निवेदन किया था।

श्री राजनारायण---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि स्थिति इस समय क्या है ? उस गांव के लोग दाना पानी कर रहे हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न रेलेवेंट नहीं है।

श्री रूर्मासिंह (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार को पता है कि ५ डूबने वाले आदमियों में ३ व्यक्ति एक ही परिवार के थे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, सूचना पहले मिलती तो यह भी दरियाफ्त कर लेता।

नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं के सबंध में जानकारी

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, मैं इस ओर ध्यान दिलाऊंगा। मेरा प्रश्न महत्व का शायद न हो क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया लेकिन इतना जरूर है कि ५-६ हजार मजदूरों का प्रश्न है, मुरादाबाद में ऐसी विषम परिस्थिति है .....

श्री अध्यक्ष---अभी आप कल दे सकते हैं, उसमें क्या ?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---लेकिन चूंकि डिबेट में आने तक वहां मामला बिगड़ सकता है इसलिये माननीय मंत्री जी जनहित में कुछ बता दें तो अच्छा हो, बड़ी बेचैनी हो रही है।

श्री अध्यक्ष---तो कल आप रखें। नियम ५२ का विषय एक ही एक रोज में लिया जायगा।

श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)---श्रीमान् गया प्रसाद जी ने नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न दिया था। वह आज के लिये कहा था परन्तु उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष---तो उसमें फिर से नोटिस देना चाहिये।

१९६०-६१ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ४६---लेखा शीर्षक ६३-क---योजना और एकीकरण, युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय और ६३---ख-सामुदायिक विकास योजनायें---राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी अनुदान पेश करेंगे।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६---योजना और एकीकरण ---लेखा शीर्षक : ६३-क---युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय, और ६३-ख---सामुदायिक विकास योजनायें---राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ११,२५,८५,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये स्वीकार की जाय।

श्रीमन्, यह ऐसा विषय है कि इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ अनुदान पेश करते हुये कहा जा सकता है और शायद उचित भी होता, परन्तु देखता हूं कि पौने एक तो यों ही बज गया और समय बहुत कम है। लिहाजा मैं इस वक्त कुछ नहीं कहूंगा बल्कि जो आलोचनायें होंगी उनका उत्तर मैं बाद में देने की कोशिश करूंगा।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)---श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४६---योजना और एकीकरण---लेखा शीर्षक : ६३-क---युद्धोत्तर

योजना और विकास सम्बन्धी व्यय और ६३-ख---सामुदायिक विकास योजनायें---राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में सौ रुपये की कमी कर दी जाय।

मान्यवर, ग्रामीण जनता की तरक्की के बारे में तथा देश, और प्रदेश की तरक्की के बारे में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। परन्तु आज योजना के नाम पर जितना धन खर्च किया जा रहा है उसका समुचित उपयोग जनता के हित में नहीं हो रहा है। सिर्फ बड़े-बड़े शहरों के लिए और उसके अन्दर जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहों आदि पर ही ज्यादा व्यय किया जा रहा है और एक बहुत ही छोटे अंश में जनता के हितों पर खर्च किया जा रहा है।

श्रीमन्, आज बी० डी० ओज० के पास मोटरें हैं, इसके अतिरिक्त उनकी सहायता के लिए ए० डी० ओज० और कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन से, आकस्मिक दुर्घटना के इंचार्ज हैं जिसके लिए उनको एक द्रुतगामी सवारी दी जाय? हम लोग जब देहातों में कांग्रेस के वालंटियर की हैसियत से जाया करते थे तो इस बात को कहा करते थे कि जो बड़े बड़े जमींदार और बड़े सरकारी कर्मचारी हैं वे मोटर पर बैठ कर तुम्हारी गाढ़ी खून की कमाई का पैसा उड़ाते हैं। मुझे देहात में ही रहना पड़ा, न इतना बड़ा आदमी था कि आकर शहर में रहता। जब मैं जनता के बीच में गया तो देहात के एक बुजुर्ग से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा---"भइया, तू तो पहिले कहत रहेउ कि बड़े-बड़े जमींदार और अफसर मोटर और दूसरी चीजन पर तोहार गाढ़ी कमाई, और खून पसीने केर पैसा उड़ावति हैं। लेकिन ई अब जौन बी० डी० ओ०, ई० डी० ओ० मोटर पर चढ़ा गांव-गांव घूमति हैं, का ई आपन कमाई उड़ावति हैं?" मैं क्या जवाब देता। मैंने कहा---"बाबा, जस आजादी के पहिले रहेऊ, अबहिउं वैसइ हउ। काहे से ई सरकार तोहार खयाल करन नाहीं चहति।"

सरकार का मंशा साफ है कि देहात में अफसर रहें चाहे जनता की तरक्की हो या न हो। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि जनता को यह विश्वास दिलाया जाय कि यह जो कुछ हो रहा है, यह तुम्हारी भलाई के लिए किया जा रहा है, और उनमें इस बात की प्रेरणा दी जाय यह योजना उन्हीं के लिए है। यह जो मूल्यांकन और जन-सहयोग समिति माननीय गोविन्द सहाय की अध्यक्षता में बैठी थी उसकी रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है---

> "लोगों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रति दिलचस्पी तथा उत्साह पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि हमें उनमें यह भावना जाग्रत की जाय कि यह योजना उन्हीं के लिए है न कि योजना के लिए वे हैं।"

अब इस बात का प्रचार कैसे किया जा सकता है? अंग्रेजी राज्य में जनता जिस प्रकार अफसरों के जरिये भयभीत और परेशान थी वही हालत अब भी है। बजाय इसके सरकारी कर्मचारी जनता को समझा कर उससे कोई काम करवाएं, वे दबाव और अफसराना हुकुम दिखाते हैं। इसलिए जनता बहुत ही भयभीत हो गयी है। वह जानती है कि यह कार्य हमारे लिए नहीं हो रहा है बल्कि हमारे ऊपर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लादा जा रहा है। अतएव इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जो अधिकारी वहां रहें उनकी ग्रामीणों की तरह वेशभूषा हो। उनमें मिलने जुलने का तरीका हो। वह लोगों से बातचीत करने और मिलने के आदी हों। हुक्माना तरीके से बात न करके सही मानी में जनता के सेवक बनकर, अफसराना बू छोड़कर व्यवहार करें। अधिकारियों में इसका बड़ा भारी अभाव है। मुझे जाती अनुभव है।

जो हमारे यहां पहले ब्लाक खुले थे, उनके बी० डी० ओज० के पास जब तक मोटरें नहीं थीं तब तक साइकिल पर चढ़ने के कारण कभी-कभी उनके दर्शन हो जाया करते थे लेकिन जब से मोटरें हो गयी हैं तब से पता नहीं हजारों गांवों में घूमा करते हैं, या क्या करते हैं, उनके दर्शन

[श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह]

होना मुश्किल हो रहे हैं। ऐसी हालत में मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि ब्लाक डेवलपमेंट अफसरों से मोटरें ले ली जायं। उनको कोई भी जरूरत नहीं है इसकी कि वह मोटर लेकर उस जनता के बीच में जायं जो वास्तव में उनके मालिक हैं। जिनके पास बैलगाड़ी भी रखने की क्षमता नहीं है उनके सामने उन्हीं का कर्मचारी मोटर में बैठ कर जाता है तो इसका क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा ?

आज ब्लाक भवनों के ऊपर भी बहुत लम्बी-लम्बी रकम खर्च की जा रही है। दो-दो लाख और डेढ़-डेढ़ लाख रुपया ब्लाक-बिल्डिंग्स के लिए सरकार दे रही है। मैं समझता हूं कि कम खर्चे से भी इमारतें देहात में काफी स्वस्थ और स्वच्छ तरीके की बन सकती हैं। इसलिए इतनी लम्बी-लम्बी रकम जो इन पर खर्च की जा रही है, वह बचायी जा सकती हैं और वह जनता के अन्य कल्याणकारी कार्यों के ऊपर खर्च की जा सकती हैं।

एक बात मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से और कहना चाहता हूं। बी० डी० ओ० कोई टेक्निकल आदमी नहीं होता। लेकिन उसके मातहत डिस्पेंसरी के डाक्टर रहते हैं। श्रीमन्, विचारने की बात है कि जब वह स्वास्थ्य के बारे में, डाक्टरी के बारे में कोई परीक्षा नहीं पास है तो उसके मातहत डाक्टरों को रखने की क्या आवश्यकता है ? जिले में सिविल सर्जन होते हैं और जिला स्वास्थ्य अधिकारी रहते हैं उनसे उनका डाइरेक्ट सम्पर्क होना चाहिये न कि ऐसे टेक्निकल आदमियों को बी० डी० ओ० के मातहत कर दिया जाय। अक्सर ऐसी शिकायतें सुनने में आती हैं बी० डी० ओ० और डाक्टर में मनमुटाव हो जाता है और वे झगड़े के कारण कोई कार्य भी नहीं कर पाते। तो योजना में इस बात को भी देखने की आवश्यकता है कि कौन किसके मातहत रखा जाय। इन सब बातों को भी देखा जाना चाहिए। एक चीज और है कि अगर बी० डी० ओ० छुट्टी पर जाय तो सैनिटरी इन्सपेक्टर को चार्ज देता है। नया कोई संशोधन आदेश ऐसा हुआ है। तो उसमें भी देखिए कि अभी तक तो डाक्टर के मातहत सैनिटरी इन्सपेक्टर है और जब बी० डी० ओ० छुट्टी ले तो सैनिटरी इन्सपेक्टर के मातहत डाक्टर, यह क्या प्लानिंग है ? तो इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। केवल आंख मूंदकर दस्तखत कर देना ही नहीं होना चाहिए।

अब मैं रूरल हाउसिंग स्कीम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (Annual Development Plan for 1957-58 and Progress achieved in 1956-57.) यह ऐन्युअल डेवलपमेंट प्लान फार १९५७–५८ ऐण्ड प्रोग्रेस अचीव्ड इन १९५६–५७ के पेज ६३ की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा

"In the year 1956-57 only two Housing schemes Viz. subsidized Industrial Housing and Low Income Group Housing Schemes contained from the first plan. During 1957-58 three new schemes have been added i.e. Plantation, Labour Housing, Rural Housing and Slum Clearance."

तो मैं श्रीमन्, आप के द्वारा यह जानना चाहूंगा कि रूरल हाउसिंग किन-किन जिलों में हुई ? माननीय मुख्य मंत्री जी यदि अपने भाषण में इस पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे तो मैं उनका बड़ा आभारी होऊंगा।

आज बिजली का भाव सारे प्रदेश में एक समान नहीं है। प्लानिंग डिपार्टमेंट आज सारे डिपार्टमेंट्स पर हावी है और उसी के सलाह मशविरे से हर डिपार्टमेंट चल रहा है। लेकिन इस बजट को देखने से यह कहीं नहीं मालूम होता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी सिफारिश की गई हो कि बिजली का रेट पूरे प्रान्त भर में एक सा किया जाय और औद्योगिक कार्यों के लिये खास तौर से रेट्स में समानता होना बहुत जरूरी है। इसके बारे में कुछ उपाय अवश्य होना चाहिये और इस विभाग द्वारा कोई ऐसी रिकमेंडेशन होनी चाहिये।

रिहंद डैम की बिजली गोंडा, फैजाबाद आदि जिलों को मिलने वाली थी। लेकिन इस बजट के अन्दर यह कहीं पता नहीं चला कि अलम्यूनियम फैक्टरी को बिजली देने के बाद कितने किलोवाट बिजली हमको उपलब्ध होगी जिसको कि हम इन छोटे-छोटे जिलों में बांट सकेंगे। इसके बारे में भी हमें जानकारी करायी जानी चाहिए। खेती की उन्नति के बारे में बड़ी व्यापक बातें कही जाती हैं और जो यह विकास योजना की प्रस्तावना है उसमें तो यहां तक कहा गया है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि की उन्नति हमारे गांवों के विकास और उन्नति पर निर्भर है परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कृषि उत्पादन के मूल्य को, इसी किस्म की जो अन्य जरूरी उपयोगी वस्तुएं हैं, उनकी पैरिटी में लाने की व्यवस्था नहीं की गई है।

किसान जब अधिक उत्पादन करता है उसका भाव गिर जाता है, तो उसका नतीजा यह होता है कि यदि वह १० रुपये मन के हिसाब से १० मन बेचता है तो उसको १०० रुपये मिलते हैं और अगर १२।। मन को ८ रुपये मन के हिसाब से बेचे तो भी उसका उतना ही दाम मिलता है। तो इस तरीके से यह नहीं कहा जा सकता कि उसको किसी तरह से फायदा होता है। इसलिये वह और ज्यादा पैदा करने की कोशिश नहीं करता है। इस सदन में इस बात की बराबर चर्चा की गई मगर न तो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में और न इस सरकार के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी चीज रखी जिसमें खेती की पैदा हुई चीजों के अन्दर और उनके मुकाबले में जो दूसरी जरूरी चीजें हैं, उनके मूल्य में कोई समानता लाई जा सके।

इस प्लानिंग के अनुसार जो रूरल इनकम पर कैपिटा हुई है उसको भी पढ़ कर आपके सामने सुनाना चाहता हूं। जो "Monthly Bulletin of Statistics May, 1958" issued by U.P. Government. है उसमें से मैं बताता हूं कि सन् १९४८-४९ में रूरल इनकम १९१.२१ थी और अरबन की ५५५.७१ थी जो सन् १९५६-५७ में रूरल इनकम १९४.९२ हुई और अरबन में वह ७०२.६१ हो गई। अब आप देखें कि इस प्लान पीरियड के इतने दिनों में शहर की इन्कम कितनी ज्यादा हुई है। देहात की इनकम में किसी तरह से बढ़ोतरी नहीं कही जा सकती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो देहात में चीजें पैदा होती हैं उनमें और दूसरी चीजों में किसी तरह से समान मूल्यांकन नहीं रखा जा सका है।

इसी तरीके से आप गन्ने के बारे में भी देखें कि १९५१-५२ में यह था :

"Before 1951-52 the price of sugar-cane was between 66.2 and 69.7 percent of the price of sugar after deducting the Government taxes, but after 1951-52 this has been reduced to between 53 and 60 per cent. It should be noted that reduction of even -/1/- per mound in the price of sugar cane means a loss of rupees three and a half crores to the cultivators."

सोचने की बात यह है कि अगर एक आना मन गन्ने की कीमत कम कर दी जाती है तो किसानों का करीब ३।। करोड़ रुपये का नुकसान होता है।

इसी तरीके से आपके द्वारा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के पैदा किये हुए अनाज का अन्य जरूरी चीजों के लिये मूल्यांकन निर्धारित होना चाहिये जिससे उनके मुकाबले में जो बाजार की चीजें हैं, उनकी बराबरी हो सके। सरकार उनको समानता पर लाने की कोशिश करे ताकि उन किसानों का उत्थान हो सके। आज तकावी या कर्जे जो प्लानिंग विभाग से दिये जाते हैं उनके लिये पुराने कानून कायदे ही बने हुए हैं, रेवेन्यू मैनुअल भी पुराना है। मैंने, जब माननीय सुल्ताल आलम साहब गोंडा गये थे, उनसे अर्ज किया था कि इनको संशोधित किया जाय ताकि जनता

[श्री रघुरन तेजबहादुर सिंह]

को मुनासिब फायदा हो सके। आज अगर कोई कर्ज मांगता है, ब्लाक से या तकावी के रूप में तो वही खानापुरी होती है जो मैनुअल में है। उसमें यह है कि कर्ज किसान अपने लगान की आमदनी के हिसाब से ही ले सकता है। वह अपना मकान जमानत नहीं रख सकता। इसलिये आज इस स्कीम को और योजना को चलाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि वर्तमान कानूनों में कर्ज देने के बारे में सुधार किया जाय और इसके लिये एक विशेष कमेटी बैठायी जाय जो विचार करे कि किस प्रकार जनता को अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की जा सकती हैं।

छोटी सिंचाई के लिये किसी किस्म का कोई अनुदान नहीं दिया जाता। केवल कुएं के लिये जो पानी पीने के हैं कुछ मिलता है और किसी तरह के कर्ज की व्यवस्था भी इसके लिये नहीं है। मैं चाहूंगा कि सिंचाई के लिये अनुदान की शकल में कुछ दिया जाय और जो तकावी या ऋण दिया जाय उस पर सूद न लिया जाय और किस्तें काफी लम्बी की जायं ताकि लोग सुगमतापूर्वक पैसा वापस कर सकें। आज जब हम प्लान के युग में गुजर रहे हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, न कि हम बड़े-बड़े बांधों पर पैसा खर्च करें जो बार-बार टूट जाया करते हैं और जनता के पैसे का अपव्यय उनमें होता है।

इसको देखा जाय कि प्रदेश के कितने पिछड़े जिले हैं और कहां-कहां क्या-क्या है। जहां तक मैंने इस बजट को देखा है, पिछड़े जिलों के लिये जैसा कि मेरा जिला और क्षेत्र है इसमें कोई प्रबन्ध नहीं है, और जिलों में जो पिछड़े हिस्से हैं उनकी तरफ भी कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि इस बात पर विशेष जोर दिया जाय कि कम से कम जिले के गांवों को वहां की पक्की सड़कों से मिला दिया जाय और यातायात की सुविधा गांव वालों को प्रदान की जाय; क्योंकि अगर गांव वाले अपना उत्पादन बढ़ा लेते हैं, अपनी तरक्की कर लेते हैं तो भी उनके पास रास्ते नहीं हैं जिन से वे अपना माल बाजार में ले जा सकें।

आज गांव में अगर कोई वारदात हो जाती है तो यातायात की सुविधा न होने के कारण वहां के लोग उसको ठीक जगह पर खबर नहीं दे सकते, दूर तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते तथा कोई उच्च अधिकारी तत्काल नहीं पहुंच पाता। इसलिये देहातों में सड़कें बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमें जो आंकड़ों की पुस्तिका मिली है, उसको देखने से पता चलता है कि देहातों में सड़कों का काम बहुत कम हुआ है। सन् १९५६–५७ में ६ हजार ९२ मील लम्बी सड़कें बनायी गयीं, १९५७–५८ में ३ हजार मील और १९५८–५९ में २ हजार ८१२ ही रह गयीं। इसलिये, श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि देहातों में सड़कों को बनाने की तरफ विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। कोई भी सुधार उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक कि वहां यातायात के समुचित साधन न हों। एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के कर्मचारियों में, जो निम्न स्तर के हैं, वैसे तो दूसरे विभागों के कर्मचारियों में भी यह चीज पायी जाती है, किन्तु इस विभाग के निम्न कर्मचारियों में विशेषकर अफसरशाही की बू आती जा रही है। यह कर्मचारी जब देहातों में जाते हैं तो इस तरह की वेशभूषा में जाते हैं, इस तरह के कपड़ों में जाते हैं कि जिससे देहाती जनता पर उसका असर अच्छा नहीं पड़ता और वे उनसे डर जाते हैं और जो लाभ उनसे ग्रामीण जनता को पहुंचना चाहिये वह नहीं पहुंच पाता है। वे लोग उनसे अपनी कठिनाइयों को नहीं कह पाते हैं। इसलिये उनको यह चाहिये कि जब कभी भी वे देहातों में जायें तो उसी जगह की सी वेशभूषा में जायं। वहां की ग्रामीण जनता की जो पोशाक है उसी तरह के कपड़े पहन कर जायं। इससे वे उन लोगों से मिल सकेंगे और जब वे उन लोगों से मिल जुल सकेंगे तो वे अपनी कठिनाइयों को भी उनके सामने रख सकेंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्लानिंग की तरफ से हमारे इस विभाग के कर्मचारी वहां पर जाते हैं वे प्लानिंग के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं रखते। वे यह जानते ही नहीं कि प्लानिंग का क्या उद्देश्य है ? इसी बात का उल्लेख श्री गोविन्दसहाय की अध्यक्षता में जो कमेटी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट के पृष्ठ ११ पर भी है। उसमें लिखा है—"समिति को यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि कर्मचारिवर्ग जिन पर हमारे सभी कार्यक्रमों को पूरा करने का भार है और जो सही अर्थों में हमारी नयी सामाजिक तथा आर्थिक क्रान्ति के अग्रदूत हैं, उन्हें आमतौर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, रूपरेखा तथा उद्देश्यों आदि के बारे में बड़ी कम तथा अस्पष्ट जानकारी है।" फिर आगे लिखा है—"यहां तक कि जिला सूचना अधिकारी तक भी इन बातों से पूरे तरीके से अवगत न थे। कुछ को तो जिले तथा राज्य स्तर के नियोजन के बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं थी।"

(इस समय १ बज कर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, आज प्लानिंग का युग है, इसलिये इस विभाग में जितने भी कर्मचारी हों, और अधिकारी हों, उन सब को इसकी पूरी तरह से शिक्षा दी जानी चाहिये ताकि इसके जो उद्देश्य हों उनकी पूर्ति हो सके।

मैं एक बात की ओर आपका ध्यान और दिलाना चाहता हूं और वह यह कि यह मैं मानता हूं कि प्लानिंग से हमारे गांव की और हमारे प्रदेश की काफी उन्नति हो रही है और हर क्षेत्र में कुछ न कुछ तरक्की हो रही है, किन्तु जो हमारे समाज का एक बहुत पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसकी संख्या करीब ४ करोड़ के है, उसको इस योजना से उतना लाभ नहीं पहुंच रहा है जितना कि पहुंचना चाहिये था। उनकी कुछ कठिनाइयां भी हैं। उनको जो धन अथवा सहायता देने के नियम हैं, या तरीके हैं, उसमें कुछ इस तरह की शर्तें हैं जिसके कारण वास्तव में उनको सहायता नहीं मिल पाती है क्योंकि वे उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। उसमें कुछ नियम इस प्रकार के होते हैं कि जब कोई किसी कार्य में अपना कुछ धन लगायेगा, तभी उसको पूरा करने के लिये कुछ धन मिल सकेगा इसलिये वह गरीब जिसके पास कुछ भी अपना कार्य शुरू करने के लिये नहीं होता, जो बेचारा गरीब मजदूर होता है, जिसके पास आमदनी का कोई साधन नहीं है, जो मुश्किल से अपने बच्चों का भरण-पोषण कर पाता है उसको इससे कोई लाभ नहीं पहुंच पाता है।

अतः उन गरीब पिछड़े हुये व्यक्तियों के लिये कुछ सहूलियतें होनी चाहिये। ऐसे लोग जो हों उनकी किसी इन्सपेक्टर द्वारा या अन्य किसी अधिकारी द्वारा जांच करानी चाहिये और जो वास्तव में गरीब पिछड़ा हुआ हो, और जिसको अग्रिम धन की आवश्यकता हो, उसे उस जांच के आधार पर अग्रिम धन मिलना चाहिये। उनको कुछ अग्रिम धन दिया जाय जिससे कि वह लोग उन कार्यों को जो कि विकास के है उन्हें शुरू कर सकें और उनके लिए ऐसी कोई शर्त न लगायी जाय कि वह अपने पास से कुछ न कुछ रुपया जरुर लगायें। इन्हीं शर्तों के कारण नतीजा यह है कि आज हमारा जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, विशेषकर हरिजनों का, वह फायदा नहीं उठा रहा है।

माननीय गोविन्द सहाय की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में १२५ पृष्ठ पर लिखा है कि "समिति के सामने ऐसे उदाहरण आये, जिनमें सारे गांव की गलियों को पक्का करने का काम लोगों ने स्वयं किया किन्तु हरिजन मुहल्लों में यह काम इसलिए नहीं किया जा सका कि उन मुहल्लों के रहने वाले लोग इस काम के लिए अपने चन्दे का रुपया नहीं दे पाये।" फिर आगे लिखा है कि, "जहां तक इन वर्गों के लिए मकान बनाने का सम्बन्ध है, इस दिशा में बहुत प्रगति हुई है। अधिकतर ये लोग अपने लिए मकान बनाने में अधिक रकम नहीं लगा सकते। अतः वे इस आशय के

[श्री माता प्रसाद]

लिए प्राप्त ऋण और अनुदान की सुविधाओं से लाभ नहीं उठा पाते," आदि। इस तरह से मान्यवर, और भी बहुत सी चीजें उन्होंने लिखी हैं। मेरे कहने का आशय यह है कि ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि वास्तव में जब कि हमारा यह उद्देश्य है कि ऐसे ही लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचाया जाय, वह पूरा होना चाहिये।

तीसरी चीज यह कहनी है कि जो छोटे स्तर के कर्मचारी होते हैं, वह भेद-भाव बरतते हैं। हमें सूचना मिली है कि प्रतापगढ़ व कालाकांकर के प्रशिक्षार्थियों ने हरिजन ग्राम सेवकों के साथ बैठ कर के खाने में एतराज किया, लेकिन वहां के अधिकारियों की सतर्कता से या वहां के अनुशासन से वह ठीक रहे, उनमें से कुछ प्रशिक्षार्थी यह कहते रहे कि दो साल तो भले ही बैठ कर हम खा पी लें, लेकिन बाद में ऐसा नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस किस्म की जो भावना रहती है वह बाद में समाज में काम करने के लिए जाने पर उनके दिमाग में जब यह चीज बैठी रहेगी तो वह लोग वास्तव में हमारे समाज का अच्छा काम नहीं कर सकग और हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता यह है कि जब ऐसे कर्मचारियों की भर्ती की जाने लगे तो उनसे बांड भरवा लिया जाय या शर्त कर ली जाय कि जो भेद-भाव करेगा, वह पृथक् कर दिया जायगा।

चौथी चीज में सिंचाई के पुराने कुओं के विषय में कहना चाहता हूं। नये कुएं बनाने के लिए व्यवस्था है, लेकिन आज देहात में सैकड़ों ऐसे कुएं पड़े हुए हैं जिनकी हालत बहुत जीर्ण-शीर्ण हो गयी है। उनमें ऐसे कुएं हैं जिन में एक-एक कुएं पर १६ पुरवट चलते रहे हैं, अब भी ६-७-८ पुरवट चल रहे हैं, लेकिन बिना मरम्मत के वह गिरते चले जा रहे हैं। इसलिए ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि ऐसे कुओं के लिए भी कुछ न कुछ अनुदान दिया जाय जिससे कि उनकी मरम्मत हो सके और आगे के लिए भी उनके द्वारा सिंचाई की व्यवस्था हो सके।

प्लानिंग में जो वाउचर बनाये जाते हैं वे यद्यपि कागजी ढंग से ठीक होते हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ज्यादातर ऐसे होते हैं कि जो ईमानदारी से भरे नहीं जाते हैं। उसका कारण यह है कि ४०० रुपया पुलिया बनाने के लिए मंजूर हुआ तो यह कोशिश की जाती है कि ४०० रुपये में पूरा काम कर लिया जाय और उससे दुगने, तिगुने का वाउचर दे दें। इस प्रकार की भावना से हमारे समाज का नैतिक स्तर गिरता है। मैं समझता हूं कि इस तरह से तो अगर सरकार की ओर से ही ४०० रुपए में पुलिया या कुवें बनवा दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय रघुरनतेजबहादुर सिंह के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उसके साथ मैं आज आपके जरिये इस सदन के आदरणीय सदस्यों से यह निवेदन अवश्य करना चाहता हूं कि वर्ष प्रति वर्ष हम इस अनुदान पर चर्चा करते हैं इसलिये यह हमारे लिये सिंहावलोकन का अवसर होना चाहिये। सारी बातों को हमें देखना चाहिये कि जो हमारा मकसद था, जो हमारा उद्देश्य था उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं या नहीं। नियोजन के सम्बन्ध में सरकार की ओर से एक छोटी पत्रिका निकाली गई है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी उसके आरम्भ में कुछ लिखा है। उससे ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को पूरा संतोष है और उससे ऐसा भी लगता है कि सारे प्रदेश की जनता में, इस प्रदेश की सरकार में और यहां के जो अधिकारी हैं सब में पूरा संतोष है कि कार्य बड़े उत्साह के साथ हो रहा है और उस गति से उनको पूर्ण संतोष है। अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि ऐसा अवसर न तो आत्मश्लाघा का होना चाहिये, न आत्मप्रशंसा का होना चाहिये और न अनावश्यक रूप से आत्मभर्त्सना का होना चाहिये। यह हो सकता है कि माननीय मुख्य मंत्री और सरकार के ऐसा कहने से लोगों में उत्साह आ जाय लेकिन इससे वस्तुस्थिति पर पर्दा पड़ेगा और हमारी जो राय बनी हुई है उसमें और उस राय में अन्तर पड़ जाता है।

नियोजन का कार्य पिछले १० वर्षों से चल रहा है लेकिन हम देखते हैं कि हम प्रत्येक दिशा में नीचे गये हैं, बौद्धिक दिशा में भी हम नीचे गये हैं। अभी मेरी एक डाक्टर सज्जन से बात हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि इस प्रदेश में बर्थ वेट दस साल पहले सात पाउन्ड था और अब साढ़े ६ पाउन्ड रह गया है। मानसिक दृष्टि से भी हम कितने नीचे गये हैं इसको देखने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने हैं। उससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है और जो डाक्टर लोग हैं उनकी रिपोर्ट है कि बच्चों में डेफिशिएन्सीइन डिजीजेज बढ़ती चली जाती है।

बजट पर आम विवाद के समय में पर कैपिटा इनकम के सम्बन्ध में जो विवाद हुये उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। अब मैं आपके जरिये माननीय मुख्य मंत्री जी से और दूसरे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि प्लानिंग की नीति पर आप क्यों इतना संतोष करते हैं? मैं समझता हूं कि आपको ठीक से देखने की जरूरत है। आज सारे प्रदेश में श्री गोविन्द सहाय जी की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उस पर सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है और सत्य है कहा है कि ४०३ करोड़ पया खर्च करने के बाद भी जो हमारी प्लानिंग हुई उसे हम सोशलिस्ट स्टेट की प्लानिंग नहीं कह सकते, वेलफेयर स्टेट की प्लानिंग भले ही वह हो या न हो। प्लानिंग, नियोजन जिसको कहते हैं उसकी, अधिष्ठाता महोदय, कोई निश्चित योजना हमारे सामने होनी चाहिये थी। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि सारे देश के सामने, प्रदेश के सामने, सरकार के सामने और हम सबके सामने अगले २० सालों का नकशा होता या २५ सालों का नकशा होता और उसमें ५-५ साल के टार्गेट निश्चित होते और उसके बाद हम देखते कि उन उद्देश्यों को पूरा करने में हम कहां तक सफल हुये हैं।

दूसरी बात यह है कि यह योजना ऊपर की योजना है। आज लोग चाहते हैं कि जनता का सहयोग प्राप्त हो लेकिन अधिष्ठाता महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि होना यह चाहिये था कि जनता कहती कि आज यह इस योजना में सरकार का सहयोग मिल रहा है लेकिन आज "प्लानिंग सपोर्टेड बाई दि पीपुल" है। मैं समझता हूं कि योजना ऐसी होनी चाहिये जो जन-योजना हो और सरकार का उसमें सहयोग हो, सरकार का समर्थन हो। इस प्रकार से जाकर कहीं एकरूपी योजना बन सकती है। योजना ऐसी होनी चाहिये जिसमें समाज का और देश के प्रत्येक पक्ष का विकास हो सके।

मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता क्योंकि १० मिनट का समय है और उसमें सारी बातें नहीं आ सकतीं। पहले बोलते समय मैं सांस्कृतिक पक्ष के सम्बन्ध में भूल गया था। उसके सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी की जानकारी बहुत है। लेकिन सांस्कृतिक पक्ष ही क्या, बौद्धिक अथवा शिक्षा आदि कोई भी पक्ष क्यों न हो किसी में स्पष्ट प्रगति दिखायी नहीं देती है। मैं यह नहीं कहता कि उनमें पूर्णता प्राप्त हो जानी चाहिये थी लेकिन अगर कहीं प्रगतिमूलक आरम्भ दिखायी देता या सब तरफ स्पष्ट प्रगति के लक्षण दिखायी देते, तब तो संतोष होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह योजना पूर्ण रूप से अनियोजित ही रही। उस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

यह जो आपने प्लानिंग का विभाग बना रखा है मेरे विचार से इस सफेद हाथी की आवश्यकता न थी। अलहदा से आपका ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट था उनमें परस्पर सहयोग पैदा करने की ही तो आपको आवश्यकता थी। हर एक विभाग के अपने-अपने कार्यक्रम होते। उनमें सामंजस्य पैदा करने की ही तो आपको आवश्यकता थी। आप इस विभाग के द्वारा और करते भी क्या हैं। लेकिन इस इतने बड़े विभाग को कायम करके भी आप यह चीज नहीं कर पाये। इस विभाग में न जाने कितने कर्मचारी आपने लगा रखे हैं---डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और न जाने कौन कौन। मुझे समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता कि इस विभाग पर कितना खर्च हो रहा है और उससे जनता को लाभ क्या होता है।

[श्री गौरीशंकर राय]

एक बार प्रश्न किया गया तो जवाब मिला कि कुछ आफिसर ऐसे होते हैं जिनकी सर्विसेज की यूटीलिटी होती है। ठीक है। कहीं गाय के बच्चा हुआ और उस कार्य में मदद कर दी गयी। लेकिन इसके बावजूद भी जो काम वे करते हैं और जितना रुपया इस विभाग पर खर्च किया जाता है उस का अनुपात लगाया जाय तो कुछ हिसाब बैठना कठिन ही है। इसके अलावा आपने यह प्लानिंग विभाग बनाया विभिन्न विभागों के कार्यों का एकीकरण करने के लिये। लेकिन जहां तक मैंने समझा है, मेरा अपना विश्वास है कि यह विभाग दूसरे विभागों का पूर्णरूप से एकीकरण नहीं कर पाया है, कोई कोआर्डिनेशन नहीं हुआ है।

आज अगर ट्यूबवेल बन गया तो नाली नहीं बनी। योजना का तो मतलब है कि आज अगर ट्यूबवेल बन गया तो नाली भी आज ही तैयार होनी चाहिये, जिससे उसी साल पानी मिल जाय जिस साल ट्यूबवेल बना है। दोहरीघाट नहर आज से ५ साल पहले बनी थी और अब उससे पानी मिल पाया है। अगर हम सुनियोजित होते तो सारे संबंधित कार्य एक साथ होने चाहिये थे और तभी वह लाभदायक सिद्ध होता और वही योजना कही जा सकती थी।

अभी अपने एक मित्र के साथ मैं योजना के सम्बन्ध में बातचीत कर रहा था। डाक्टरों की ट्रेनिंग के बारे में बात थी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया कि हर जगह डाक्टर भेज दिये गये हैं। गांवों में जो मेडिकल डिस्पेंसरी है उनमें दवायें नहीं हैं। यहां उनको भांति-भांति की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सरे की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या वहां उन सब का इस्तेमाल वे कर पाते हैं। वहां तो जो साधन होते हैं उन्हीं के अनुसार काम हो सकता है। अगर हम डाक्टर नहीं दे सकते हैं तो हमें कम्पाउन्डर देना चाहिये। कम से कम लोग यह तो समझें कि आज हमें कम्पाउन्डर मिल गया है, कल को डाक्टर भी मिल जायगा। लेकिन हालत यह होती है कि अगर डिस्पेंसरी है तो वहां दवायें नहीं हैं और अगर दवायें हैं तो डाक्टर नहीं है। इस प्रकार से सभी विभागों के कामों में समन्वय और एक रूपता लाने की आज नितान्त आवश्यकता है। मेरा तो अपना विश्वास है कि प्लानिंग का अलग विभाग न रख कर, अगर उन्हीं विभागों में कुछ थोड़े से अधिकारी और बढ़ा दिये जाते तो सारा काम सुचारू रूप से चल सकता था।

नीचे के कार्यकर्ताओं के जो काम हैं उनमें कठिनाइयां हैं। उनके सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं। कितना डुप्लीकेशन होता है। एक ही काम को तीन-तीन, चार-चार आदमी करते हैं। जरूरत से ज्यादा नक्शे और चार्ट इस विभाग में बनवाये जाते हैं और जरूरत से ज्यादा आफिशियलडम होता है। पंचायत मंत्री इस बात का नक्शा बनाता है कि कम्पोस्ट के कितने गड्ढे बने। अब बी० एल० डब्लू भी इसको लिखता है और ए० डी० ओ० भी इसको लिखता है। सब का एक ही काम है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि पंचायत मंत्री और विकास खंड के बी० एल० डब्लू० के कार्य क्या हैं। पंचायत मंत्री कुछ अपना काम करता है और सब काम वही करता है जो बी० एल० डब्लू करता है। उनमें कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार का डुप्लीकेशन आफ वर्क सब स्तरों पर है और अनावश्यक रूप से अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। यह बढ़ती हुई संख्या हमारे लिये भार है।

अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे प्रदेश और देश में ऐसे भी लोग हैं जो योजना का अर्थ समझते हैं कि उन्हें कितना भोजन मिलता है? हम इतना सोचें कि हमारे प्रदेश के जो डेफिसिट इलाके हैं, जहां खाने पीने की सुविधा नहीं है, क्या उस दिशा में हमने कोई प्रगति की है। क्या हम उस स्थिति में पहुंचे हैं कि कमी के कारण जो बाहर से मांगना पड़ता था वह अब न मांगना पड़े? रिहन्द डैम से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत दिनों से बड़ी-बड़ी आशायें हो रही थीं। लोग सोच रहे थे कि रिहन्द डैम से बिजली मिलेगी, प्रदेश में औद्योगिक उत्थान होगा, सिंचाई के लिये सस्ता पानी मिलेगा—यह सारा नक्शा था जिसकी कल्पना लोगों के दिमाग में थी।

जहां तक थर्मल स्टेशन बनाने की बात है, मैं स्वयं नहीं जानता कि थर्मल स्टेशन बनने के बाद वहां कि बिजली, अल्मुनियम फैक्टरी की तरह से कोई दूसरी फैक्टरी स्थापित हो जायगी, उसको दी जायगी या जनता को दी जायगी ? पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने कहा था और माननीय वित्त मंत्री ने भी कहा था कि पूर्वी प्रदेश के लोगों की आवश्यकता के मुताबिक बिजली मिल रही है। लेकिन मैं आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह सफेद गलत बात है। आवश्यकता के मुताबिक बिजली नहीं मिल रही है। कुछ दिन पहले पावर मंत्री तथा उस विभाग के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बतलाया कि अल्मुनियम फैक्टरी को बिजली देने के बाद जो भी बिजली बचेगी वह जानता को दी जायगी। मैंने उनसे कहा कि आप यह क्यों नहीं कहते कि जनता को बिजली देने के बाद जो बिजली बचेगी वह अल्मुनियम फैक्टरी को दी जायगी ?

श्रीमन्, इस दूसरी योजना के अन्त में भी हम इस मामले में आत्मनिर्भरता की ओर नहीं पहुंच सके हैं जब कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में भी इसकी कोशिश थी। श्रीमन्, जहां तक सेल्फ सफिशियेंट होने की बात है उस तरफ भी हम बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। बुन्देलखंड, पहाड़ी एरिया आदि को सबसिडी देने की रकम भी प्रथम पंचवर्षीय योजना से इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अधिक रखी गयी है। आप देखें कि सारे प्रदेश में बेरोजगारी को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है जिससे बेकारी दूर होने के बजाय बढ़ती ही जाती है। मैं आपको अपने छोटे से जिले की बात बतलाऊं कि वहां कितने लोग बेकार हो गये हैं। चीनी का छोटा सा व्यापार जो गांव में समझा जाता था करघे का व्यापार था वह भी समाप्त प्राय है। आज हालत यह है कि एक तरफ आपकी योजनायें बढ़ती जाती है, दूसरी तरफ बेकारों की तादाद बढ़ती जाती है, इसलिये सरकार को अपनी इन योजनाओं पर ही पूर्ण सन्तोष न करके,इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिये कि जो भी योजना चालू हो वह सही रूप में चालू हो जिससे जनता उससे लाभ उठा सके और सभी देश और प्रदेश को बनाने में अपना उचित हिस्सा ले सकें।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, मेरा इरादा आज की बहस में दिलचस्पी लेने, खासतौर पर बोलने का नहीं था क्योंकि जो कुछ मुझे इस सम्बन्ध में कहना है उसकी चर्चा काफी व्यक्तियों ने की और इस तरफ के तथा उस तरफ के कुछ दोस्तों ने उसे पेश भी कर दिया है। फिर भी जो कुछ मैंने सुना उसके आधार पर कुछ कहना जरूरी हो गया है। मेरा यह विश्वास है कि एन० ई० एस० का जो एक्सपेरिमेंट है, यह इस माने में आज दुनियां का एक निराला एक्सपेरिमेंट है कि करोड़ों इन्सानों की सामाजिक और आर्थिक जिन्दगी को बदलने में उस का प्रभाव पड़े, यह बड़ा विशाल प्रयत्न है। इसलिये इसके जरिये दो चीजों का फायदा हुआ है। पहली बात गांवों के अन्दर डेवलपमेंट के नाम से जिसे एक मशीनरी कहनी चाहिये, उस मशीनरी की दाग बेल पड़ी है। यानी गांवों के अन्दर का एक मामूली आदमी चाहे वह यह न जानता हो कि नियोजन क्या है, प्लानिंग क्या है लेकिन इतना लाभ अवश्य हुआ है कि प्लानिंग शब्द के बारे में उसकी जानकारी हो गई है यानी वह प्लानिंग जागरूक हो गया है।

दूसरी बात यह है कि हजारों आदमियों में मिल-जुल क र काम करने, सड़क बनाने, कुआं खोदने आदि की एक भावना नैशनल मूवमेंट के बाद पहली बार ही आयी है। आजादी की लड़ाई के समय, जिस तरह से लोग शरीक होते थे उसी तरह से मोबिलाइजेशन की एक सही भावना शुरू हो गई है जो इसकी अच्छी बात है। जहां तक इसके अंदर की कमियों का ताल्लुक है, इसको बतलाने की जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट में जो भी कमियां सामने आयें उनके लिये जरूरी होगा कि उनको दूर किया जाय। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा जो अभी प्रोग्राम है वह एक तरफा प्रोग्राम है। अब तक यह बायस था कि कृषि आगे बढ़े,परन्तु कायदे-कानून कुछ ऐसे थे कि आबादी के बहुत कम हिस्से तक वह चीजें पहुंच पाती थीं।

[श्री गोविन्द सहाय]

जरूरत है कि हमारे प्रोग्राम आगे ज्यादा पापुलर हों। कृषि के अलावा हम उस में ऐसे नये आइटम्स और जोड़ें कि जिन में खर्च तो कम हो, लेकिन उन से गांव के लोगों का लाभ अधिक हो। मिसाल के तौर पर यह भी उनके विकास के प्रोग्राम का एक जुज हो कि लोगों को दस-पांच मिनट आसन, एक्सरसाइजेज का ज्ञान कराया जाय, कुछ उन में सेहत को बनाने की, अपने प्रदेश तथा अपने मुल्क को बनाने की एक तरबियत पैदा हो। इस के लिये हमें कुछ ऐसेनये डिवाइसेज सोचने पड़ेंगे कि जिन के जरिये से हम हर एक आदमी को कुछ न कुछ अपने प्रोग्राम के आइटम्स दे सकें। आज का प्रोग्राम कुछ थोड़े से लोगों तक ही पहुंचता है। सेहत का प्रोग्राम है, गांव की सफाई का प्रोग्राम है, अपनी जमीन के सुधार का प्रोग्राम है—इस तरह के छोटे-छोटे प्रोग्राम और डिवाइसेज हो सकते हैं कि जिन के जरिये से हम अपने प्रोग्राम को पापूलर बनाते हुये ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं।

दूसरे, हमारी मशीन के जो बड़े और ऊपर के पुर्जे हैं या जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वह नीचे की मशीनरी से मिलजुल कर काम नहीं करता। उस में एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव इन्टेग्रेशन की जरूरत है। उस के लिये एक मल्टीपरपज टाइप आफ ट्रेनिंग की जरूरत है। इस के मुताल्लिक कुछ उस कमेटी ने भी सिफारिशें की हैं जो गवर्नमेंट के सामने हैं। अभी तक ऐसा है कि जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है वह ऊपर से भारी है और नीचे कमजोर है, अगर मैं उस आदमी की सी मिसाल दूं तो गलत न होगा कि जिस का सिर भारी हो और पैर पतले हों।

अंग्रेजी में एक शब्द रवां हो गया है, वह प्रयोग हो रहा है, सही हो या न हो, मैं भी ज्यादा उसको निजी तरीके से समझता तो नहीं, लेकिन वह डेमोक्रेटिक डिसेन्ट्रेलाइजेशन शब्द इस्तेमाल होता है। कभी-कभी मुझे शक भी होता है कि यह ठीक है या नहीं? लेकिन यह शब्द अंग्रेजी में चालू है तो इसी वास्ते मैं भी इसे इस्तेमाल कर देता हूं। मेरा ऐसा ख्याल है कि ऊपर एक टाप-आर्गेनाइजेशन होने की जरूरत है, जो आइडियाज दे और जो लोगों में एक विचारधारा दे, उन को एक प्रेरणा दे, एक एक्जीक्यूटिव बाडी की तरह। इसलिये जो मौजूदा आर्गेनाइजेशन है उसमें तबदीली की जरूरत है, गांव के लेविल पर एक ज्यादा इन्टीग्रेशन की जरूरत है। हमारी मशीनरी जो है, वह १०० साल से जो मेशीनरी बनी हुई थी जो चली आती थी, वह एक तरह के डिसट्रस्ट पर बेस्ड थी, हर वक्त एक दूसरे पर एक तरह का अविश्वास सा बना रहता था और यही वजह थी कि हर चीज को कागज पर कायदे-कानून से जकड़ने की कोशिश की जाती थी।

हमें अब विश्वास पर ज्यादा कामों को आगे बढ़ाना होगा, कागज की और कायदे-कानून की इतनी जरूरत आज नहीं है जितनी जरूरत लोगों में विश्वास पैदा करने की है। इस दिशा में कोशिश हुई है लेकिन अभी जिस चीज की जरूरत है वह पूरी नहीं हुई है। हमारे जो ग्रामसेवक हैं उन में यह भावना नहीं होनी चाहिये कि हम एक सरकारी मशीनरी के पुरजे हैं। उन में यह भावना होनी चाहिये कि हम नवीन जागृति के, नई क्रान्ति के एक अग्रदूत हैं, देश को नया रास्ता दिखाने वाले हैं और इस काम में हमको सबका विश्वास लेकर चलना है, उनमें प्रेरणा उत्पन्न करना है। हमें पूरी मशीनरी को इस तरह से इन्टीग्रेट करना होगा कि पूरी मशीनरी एक प्रेरणा लेकर चले, अगर हम चाहें कि ऊपर की ऐडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में वह भाव पैदा कर दें और नीचे के दूसरे पुरजों में वह भावना न आये तो एक तरफ जागृति होगी लेकिन दूसरी तरफ वही पिछड़ापन रहेगा और इस का कोई अच्छा असर नहीं होगा। इसलिये हमारे प्रोग्राम ऐसे हों कि जिन में पब्लिक पार्टिसिपेशन साथ-साथ हो।

हमारा पूरा ऐडमिनिस्ट्रेशन ऊपर से नीचे तक का ऐसा हो कि जिस में हर एक आदमी महसूस करे कि हम अपने किसी दोस्त या किसी रहबर के ताल्लुक में आये हैं, उन में एक लगाव, एक अपनापन पैदा होना चाहिये। प्लानिंग के ऐडमिनिस्ट्रेशन के मुताल्लिक आम लोगों में एक रिसेप्टीबिलिटी होनी चाहिये। वह चीज पहले मशीनरी ही पैदा कर सकती

है। मास साइकालाजी का रिसेप्शन अगर ठीक से होता है तो लोगों को यदि कोई बुराई भी होगी तो वह भलाई नजर आयेगी। उसके लिये एक कामन कोड आफ कन्डक्ट होना चाहिये कि कम से कम कंस्ट्रक्शन के मसले पर हम मुल्क के अन्दर वह बात पैदा करें जिसमें कि एक नया देश बनाने के लिये तकलीफ उठाने की, परिश्रम करने की और जरूरत पड़े, तो ज्यादा पे करने की चीजें भी हम खुशी से करें।

आखिर में मैं यह कह सकता हूं कि प्लानिंग हमारे देश में हो रही है। अच्छे नतीजे भी निकल रहे हैं। लेकिन प्लानिंग में खासियत यह होती है कि कुछ मसलों को वह हल करती है, कुछ की नींव डालती है और कुछ और पेचीदा मसले खड़े कर देती है। An orderly development in all spheres of life. यह प्लानिंग का मतलब है। आज ८-९ साल के प्रयत्नों के बाद हम देख रहे हैं कि आज उसमें आर्डर नहीं है। आडरली प्रोग्रेस जो होनी चाहिये वह अभी नहीं कर पा रहे हैं। एक क्षेत्र में तरक्की हो जाती है, दूसरे क्षेत्र में तनज्जुल होता जाता है।

प्लानिंग और शिक्षा का बहुत खास रिश्ता है। नये नये बच्चों के अन्दर काम करने की प्रेरणा नहीं पैदा करेंगे तो ज्यादा अच्छा नतीजा नहीं मिल पाएगा। जो नई जेनरेशन है, जो १५-१६ वर्ष बाद आएगी उसको तैयार करने के लिये हमें कदम उठाना पड़ेगा ताकि वे सब मिल कर देश के लिये काम कर सकें। एक पिछड़े देश को बनाने में, उसकी समस्याओं को हल करने में, खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हल करने में, मल्टी पार्टी सिस्टम में हल करने में, काफी वक्त लगता है। जहां ये फोर्सेज हमारे खिलाफ हैं वहां बहुत सी हमारी तरफ भी हैं। लोगों के अन्दर एक निर्माणकारी सोचने का दृष्टिकोण बन जाय, पार्टी से ऊपर उठकर सोचने का बन जाय तो पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के जरिये से जो आज हम तजुर्बा कर रहे हैं, नया समाज बनाने का, उसमें हम सफल होंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्रीमन्, इसके पहले इस सदन में जब जब विवाद हुआ है माननीय सदस्य गोविन्द सहाय जी हमारे बोलने के बाद बोलते थे और हमारी बात में उनको कोई नवीन बात तो मालूम नहीं होती थी। बड़े ध्यान से आज मुझे उनका भाषण सुनने का मौका मिला। वह सरकार की तरफ से जो योजनाओं के सम्बन्ध में कमेटियां बनती हैं उनके अध्यक्ष तक हो जाते हैं। योजना होनी चाहिये। व्यवस्थित योजना होनी चाहिये। जीवन के हर क्षेत्र को छूने वाली योजना होनी चाहिये। लाखों, करोड़ों जनता जिससे प्रभावित हो, जिससे उनका जीवन सुखमय हो, ऐसी योजना होनी चाहिये। योजना बनती है तो नई योजनाओं को पैदा करती है। कौन सी बात आज वह कह रहे हैं जो अन्य हर जगह पर नहीं कही जाती? एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज सरकार की तरफ से जो मुख्य वक्ता लोग हैं वे किस प्रकार से जनतंत्र की हत्या करने पर तुले हुए हैं। माननीय गोविन्द सहाय जी के भाषण से वह स्पष्ट होता है।

अभी माननीय गोविन्द सहाय जी ने उन्हीं बातों को दोहराया कि जहां जनतन्त्र होगा, जहां मल्टी पार्टी सिस्टम (बहुदलीय व्यवस्था) होगा, जहां विभिन्न दलों और मतों का आदान-प्रदान होगा वहां तो जरूर विलम्ब होगा। तो यह क्या भाव पैदा करता है? यह आज वर्तमान शासक दल को तानाशाह बनाने की मनोवृत्ति है और कारण स्पष्ट है कि सरकार की ओर से आज जितने नियम, उप-नियम, कायदे कानून बन रहे हैं सब में सारी शक्ति सरकारी मंत्रियों के हाथ में होती जा रही है। अगर श्रीमन्, आप समय दें और माननीय मुख्य मंत्री जी पसन्द करें तो मैं तो एक माला तैयार करके बता दूं कि कांग्रेस सरकार के शासन में कौन-कौन ऐसे अंग्रेजी राज्य के बने हुए कायदे कानून तब्दील हुए जिनमें पहले से ज्यादा ताकत सरकारी मंत्रियों के हाथ में आयी।

[श्री राजनारायण]

वह तानाशाही, साम्राज्यशाही हुकूमत थी। उसने जितनी ताकत जनता को दे रखी थी आज इस सरकार ने जनता को उतनी ताकत नहीं दे रखी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय वह यहां उपस्थित नहीं हैं उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी कि किस तरह से स्थानीय संस्थाओं का विकास हो। मैं माननीय गोविन्द सहाय जी से पूछना चाहूंगा कि जनतंत्र आया कहां? जनतंत्र की बुनियाद जो है वह हमारे मुल्क में कहां पड़ी? जनतंत्र के लिये क्या आवश्यक बातें हैं? तब जनतंत्र होगा जब जनता का शासन होगा? तो जनता का शासन जनता के लिये होगा। जन-प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय सरकारी शासन या मंत्रियों का स्वर्ग-ग्रासी शासन, इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। हम तो लगातार यह अनुभव कर रहे हैं कि शक्ति मंत्रियों के हाथ में केन्द्रित होती जा रही है। हम सब मानते हैं कि अनुभव करने में गलतियां होंगी, जब ऐक्सपेरीमेंटल स्टेज है तो गलतियां होना स्वाभाविक है। मगर गलतियां कई प्रकार की होती हैं।

ले लिया जाय ब्लाक डेवलपमेंट को, उनमें क्या हो रहा है। अगर एक डेवलपमेंट ब्लाक की १२ या साढ़े १२ लाख की योजना है तो कुछ हिसाब लगा कर माननीय गोविन्दसहाय जी बताते कि कितना रुपया आम जनता तक पहुंचा है, कितना रुपया वहां की इमारत में, कितना सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में, भत्ते में, कितना वहां की मोटर के पेट्रोल में खर्च हुआ है? मैं बताऊं, उस जगह का मैं नाम नहीं लूंगा। मैं एक जगह पर सभा में गया था, वहां से इक्के पर आ रहा था तो उस ब्लाक से गुजरा। उस ब्लाक के डेवलपमेंट अफसर को जब यह मालूम हुआ कि राजनारायण जा रहे हैं तो दौड़े हुए आये कि साहब हमारी मोटर ले लीजिये और उससे चले जाइये। हमने कहा क्यों आपकी मोटर से चले जायं? तो उन्होंने कहा कि साहब आपको विलम्ब होगा इसलिये चले जाइये। हमने कहा कि अगर आपकी मोटर से जाते हैं तो हम जो बारबार कहा करते हैं कि मोटरें वापस ली जायं क्योंकि उनका दुरुपयोग हुआ करता है, उसके हम भी भागी होंगे। हमने उनसे कहा कि अगर हम २० मील जायंगे और जो पैट्रोल खर्च होगा तो वह कहां जायगा? यह बात मैंने उसके उच्च अधिकारी से बतायी तथा उनसे भी उच्च अधिकारी से बतायी तो उन्होंने कहा कि अब नियम में यह संशोधन हुआ है कि अगर कोई अपने निजी काम से मोटर कहीं ले जाय तो ६ आना मील के हिसाब से वह अधिकारी दे दे और शायद वह आपको अपने ही पैसे से भेज देता। तो हमने कहा कि २०० रु० तनख्वाह हमको मिलती है और १० रुपया भत्ता सेशन के दिनों में मिलता है तो आखिर यह उदारता हमारे लिये क्यों?

श्री अधिष्ठाता—राजनारायण जी, शायद आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई माननीय सदस्य डेवलपमेंट के काम देखना चाहें तो बी० डी० ओ० उनको अपनी कार से ले जा सकता है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उस समय रात थी, मैं तो अपने घर आना चाहता था। पार्टी की मीटिंग में गया था और वहां की सड़क खराब थी, इक्के पर लौट रहा था। मगर उस अफसर की उदारता तो जरूर रही लेकिन मैंने अपने को नियंत्रित रखा और उसके बारबार आग्रह करने पर भी मैंने कहा कि मैं इक्के से ही जाऊंगा। तो इस प्रकार से कितना पैट्रोल का व्यय होता होगा।

एक योजना सोशलिस्ट पार्टी की ओर से सरकार के सामने रखी गई और वह है चौखम्भा राज्य की योजना। आज उसी को ले कर आचार्य विनोबा भावे चल रहे हैं और माननीय जय प्रकाश नारायण भी उसी पर लेक्चर दे रहे हैं और आज उसी शब्द का प्रयोग धीरे धीरे प्रधान मंत्री भी करने लगे हैं। इस चौखम्भा राज्य के सिद्धान्त के मतलब क्या हैं? वह नीचे से चलेगा। गांव पंचायत को गांव की सारी समस्यायें दे दी जांय। मैं माननीय गोविन्द सहाय जी और माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या गांव पंचायत के अन्तर्गत

गांव की समस्त योजनायें आयी हैं ? और अगर ऐसा हो जाय तब जनतंत्र होगा या एक विकास आयुक्त के हाथ में सारी योजनायें रहें तब जनतंत्र होगा ? इन दोनों का अन्तर माननीय गोविन्द सहाय जी समझ लें ।

हमने कहा कि जिला पंचायत हो । जिला पंचायत के अन्तर्गत जिले से सम्बन्धित जितनी योजनायें हों उनको उसके मातहत किया जाय । आप देखें कि आज क्या हो रहा है ? जनतंत्र की सारी ताकत आज जिलाधीश के हाथ में है और जिलाधीश के द्वारा सारी ताकत मंत्रीगणों के हाथ में है और सरकार कहेगी कि जनतंत्र में तो देर होती ही है । जनतंत्र में देर नहीं हो रही है । अगर उस गांव पंचायत के मातहत वहां की योजनायें होतीं तो गांव पंचायत के लोग उसे कर डाले होते अब तक । आज सारी ताकत ऊपर के अफसरों के हाथों में सन्निहित है । जनतंत्र को पैर से खड़ा नहीं किया गया, सर के बल चलाया जा रहा है । कहा जाता है कि जनतंत्र में ऐसी देर होती है । तो जनतंत्र क्या खराब चीज है ? अगर खराब चीज है तो कोई दूसरी चीज की व्यवस्था कर ली होती । मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनतंत्र खराब चीज नहीं है । जनतंत्र पद्धति तथा उसके मौलिक सिद्धान्तों को पहचाना नहीं गया ।

विरोधी दल के लिये कहा जाय तो कुछ लोग कहने लगेंगे कि विरोधी दल के क्या मानी कि सरकार की अच्छी योजनाओं का भी विरोध किया जाय । सरकार की अच्छी योजनाओं का विरोध करने को कौन कहता है ? सरकार की कोई अच्छी योजना होगी और हम उस योजना का विरोध करेंगे तो जनता हमको खुद निकाल कर फेंक देगी । जनता में विश्वास करो । सरकार द्वारा सहयोग और असहयोग की बात क्यों उठाई जाती है ? सरकार की अच्छी योजना जो जनता के हृदय को छूने वाली होगी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली होगी तो एक नहीं लाखों राजनारायण जी होंगे, जनता उनकी बात नहीं सुनेगी और अगर जनता उन योजनाओं को अपने लिये अहितकर समझती है तो करोड़ों सम्पूर्णानन्द जी कहते रहें कि राजनारायणजी को न चुनो, फिर भी राजनारायण जी चुन कर आ जायेंगे । क्या इसको योजना कहते हैं ? सरकार है, कागज है, स्याही है और जीभ है और सम्पूर्णानन्द जी जो चाहें कह दें । यह योजना नहीं है, अनप्लांड प्लान है, अनियोजित है और अनियंत्रित है ।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी बतला दें कि हमारे प्रदेश में कितने खेतिहर मजदूर हैं और उनकी प्रगति के लिये कितने कायदे कानून बने और उससे वे क्या तनिक भी लाभान्वित हो रहे हैं ? इसी तरह से आप बुनकरों का मामला देखें । कालीन बुनकरों की तनख्वाह निश्चित करने के लिये एक कमेटी बनी । उसने सिफारिश की कि पहली फरवरी से उसकी सिफारिश लागू हो जायगी । मालिक लोग सरकार के पास पहुंचे और कहा कि दो महीने के लिये इसको स्थगित कर दिया जाय क्योंकि वे विदेशों से कालीन बनाने के ठेके लिये हुए हैं जो कि पुराने रेट पर हैं । सरकार ने कह दिया कि दो महीने के लिये स्थगित । किसकी योजना हुई ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने कालीन मजदूरों से भी सलाह ली, उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाने का प्रयत्न किया गया ? एक अनर्गल उत्तर दे दिया गया कि विदेशी कम्पनियों से ठेका लिये हुए हैं, उसमें पुराने रेट्स ही मिलेंगे इसलिये दो महीने के लिये टाल दिया । तो आप देखेंगे कि हर तरह से यह पूंजीवादी योजना है, करोड़पतियों की योजना है लेकिन नाम के लिये और तथा कथित सिद्धान्त के लिये जनता की योजना बतायी जाती है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि अलाभकर जोतों के लगान में माफी के लिये १० वर्ष से मांग करते आये हैं । माननीय गोविन्द सहाय जी बतलायें कि अगर अलाभकर जोत पर से लगान माफ कर दिया जाय तो यह जनता की योजना होगी या नहीं होगी । कितने रुपयों का इससे नुकसान

[श्री राजनारायण]

होगा ? मुश्किल से १०, साढ़े १०, करोड़ रुपया सरकारी खजाने से जायगा। मगर इसको नुकसान नहीं कहा जायगा, क्योंकि अगर हम १० करोड़ अलाभकर जोत वालों को माफी दे दें तो जो २३ करोड़ के करीब रकम आ रही थी उसमें से अगर १० करोड़ निकाल दें तो भी १३ करोड़ की रकम रह जायगी। पहले सरकारी खजाने में बारह करोड़ ही आता था अब तेरह करोड़ आयेगा, और करीब ८५ प्रतिशत किसान सुखी होंगे।

मैं पूछना चाहता हूं कि जो हरिजन हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, दबे हुए हैं और मुसलमान हैं, क्या सरकार ने इनको नौकरियों में, पलटन में साठ फीसदी जगहें दीं। अगर इस योजना को कार्यान्वित कर दिया जाय तो यह जनता के हित में होगा या नहीं होगा ? माननीय गोविन्द सहाय जी इस पर नहीं कुछ बोलेंगे। इसके लिये उनके पास कोई उत्तर नहीं है और कहेंगे कि यही जनता की योजना है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी ने इसके पूर्व पहले भी कहा था, हमें अफसोस है कि माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये, कल उन्होंने बड़े तपाक से कहा था कि मैं धमकी से डरने वाला नहीं हूं। उनको किस ने धमकी दी ?

१० मई, १९५७ को सोशलिस्ट पार्टी ने कहा था कि अगर यह सरकार अलाभकर जोतों का लगान नहीं माफ करती, सार्वजनिक क्षेत्र से अंग्रेजी का बहिष्कार नहीं करती, गल्ला जो किसान पैदा करता है और मिल मालिक जो और आवश्यक चीजों का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतों में संतुलन नहीं करती तो १० मई से सत्याग्रह आरम्भ होगा। इसी प्रकार की पांच मांगों में पुरानी चार मांगें हैं जिनके लिये हमने कहा है कि अगर वे पूरी नहीं की जायंगी तो पहली मई से सोशलिस्ट पार्टी आन्दोलन करेगी। आखिर इनमें कौन-सी मांग ऐसी है जो जनता के अहित में है ? मगर हमारे सम्पूर्णानन्द जी कहते हैं, उनकी हिम्मत है, मैं तो आश्चर्य चकित हो रहा हूं कि ऐसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी अनर्गल बातें क्यों कर रहे हैं। ३-४ वर्षों से हम कह रहे हैं कि इन मांगों को पूरा करो, यह कल्याणकारी योजनायें हैं। कोई जवाब अगर सरकार की तरफ से हो तो हमें बताया जाय कि आज सार्वजनिक क्षेत्र में अंग्रेजी क्यों रहे। तब गोविन्द सहाय जी कहेंगे .....

श्री गोविन्द सहाय—मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आप मुझसे किस हैसियत से ये तमाम सवालात पूछ रहे हैं।

श्री राजनारायण—एक कोई प्लानिंग कमेटी बनी इवैलुएशन करने के लिये, उसके यह चेयरमैन हैं और जब यह यहां बोलते हैं तो उसके गुड नेम को इस्तेमाल करके भी बोलते हैं।

श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)—उसको पढ़ लीजिये।

श्री राजनारायण—पढ़ लिया है और कई वर्षों तक उसे पढ़ा भी सकते हैं। सवाल यह है कि आज जो जनकल्याणकारी योजनायें हैं उन्हीं को देखा जाय। अगर कोई जनता के हित में प्लानिंग करने वाली सरकार होगी तो निश्चय ही इस काम को करेगी। जैसे हमने कहा कि दाम बांधो तो वह कहते हैं कि हम क्या करें, दाम घट गये, दाम बढ़ गये। सोशलिस्ट पार्टी का यह कहना है कि एक किसान जो अन्न पैदा करता है उसकी लागत को देखो और उसके मुताबिक उसके दाम तय करो और किसान जिस दाम से गल्ला बेचे ४ पैसे सेर से अधिक व्यापारी या आढ़तिया उस गल्ले को न बेंच पायें। अगर यह हो जाय तो किसानों का भी भला होगा और उपभोक्ताओं का भी भला होगा। इसी प्रकार हमारी पार्टी कहती है कि आमदनी में जो विषमता है उसको खत्म करो। यदि असमानता रखनी है तो १ और १० की अनुपात रखो। आज इस सरकार को राज्य करते हुये १३ वर्ष व्यतीत हो रहे हैं मगर इस बीच में आमदनी की विषमता बढ़ी है। एक आदमी को अगर ५० रुपये रोज की आमदनी है तो दूसरों को दिन भर मेहनत करने के बाद भी ८ आने पैसे नहीं मिलते हैं।

श्रीमन्, आप जब उठने लगते हैं तो मुझे बड़ा भय लगता है। हमको ५ मिनट और दे दीजिये। बात यह है कि इसमें हमारे ढाई घंटे काट दिये गये हैं।

श्री अधिष्ठाता—आप आलरेडी १५ मिनट बोल चुके हैं।

श्री राजनारायण—२० मिनट हो जायंगे तो क्या हो जायगा?

श्री अधिष्ठाता—दो मिनट और दे दूंगा।

श्री राजनारायण—जब हम कहते हैं कि अंग्रेजी हटाओ तो क्या बुरा करते हैं? क्या हम अंग्रेजों की औलाद हैं? क्या दुनिया में कोई दूसरा मुल्क भी है जिसमें किसी दूसरे मुल्क की भाषा का इस्तेमाल होता है? क्या किसी दूसरे मुल्क में भी दैनिक अखबार किसी विदेशी भाषा में निकलते हैं? मुझे अफसोस हुआ उस दिन जब यहां की पार्लियामेंट में लेडी माउन्टबेटन के लिये शोक प्रस्ताव आया लेकिन महात्मा गांधी की हत्या पर इंगलैन्ड की पार्लियामेंट में कोई भी प्रस्ताव तक नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता—नियोजन से इन सब बातों का कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजनारायण—बड़ा सम्बन्ध है। आज ये योजनायें पूंजीपति अंग्रेजों की योजनायें हैं, पूंजीवादी योजनायें हैं। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जाति-पांति को जैसे हम कहते हैं उसको अगर यह सरकार मान ले तो जाति प्रथा की विषमता नष्ट हो जाय। तो इसमें जनतंत्र आयेगा या तानाशाही आयेगी? सरकार की अनर्गल योजनायें हैं। उनको यह सरकार चलाना चाहती है। मैं थोड़े में अपना सुझाव दे दूं। टैक्स की प्रणाली परिवर्तित की जाय और उसमें एग्जेप्शन (छूट) का तरीका चलाया जाय। प्रोपोर्शनल सिस्टम (आनुपातिक व्यवस्था) आज कारगर नहीं हो रहा है, जब तक कि एग्जेप्शन सिस्टम भी न जोड़ दिया जाय, यानी जिनके पास जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन नहीं हैं उन पर टैक्स न लगे। बाकी लोगों पर प्रोपोर्शनल सिस्टम लगाया जाय और एक हजार रुपये से ज्यादा आमदनी न हो। आमदनी का मतलब केवल खेती की, या कल कारखाने की या तनख्वाहों की आमदनी से नहीं है, हर तरह की आमदनी से मतलब है।

श्री अधिष्ठाता—अब समय समाप्त हो गया।

श्री रामचन्द्र उनियाल (जिला टेहरी-गढ़वाल)— अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ कहने का मौक़ा दिया। मैं इस वक्त सरकार का ध्यान पहाड़ी क्षेत्रों की ओर, वहां के विकास की ओर, ले जाना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूं, पहले माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूं जो कि उन्होंने २४ तारीख को सीमान्त क्षेत्रों के विकास और उत्थान के लिये अलग शासन व्यवस्था की घोषणा की है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं उस क्षेत्र की जनता की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और यह विश्वास करता हूं कि वहां पर जो उपेक्षित इलाका है जहां कोई विकास में अब तक प्रगति नहीं हुई है, वहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में तीव्र गति आयेगी।

जहां तक पहाड़ी इलाकों का सवाल है, हमारा जिला टेहरी-गढ़वाल, अल्मोड़ा और नैनीताल का ऊपर का हिस्सा, ये सभी सीमांत क्षेत्र के जिले हैं। उनकी समस्याएं भी एक-सी हैं। इसलिये चन्द हिस्सों का विकास उनका विकास नहीं माना जा सकता है। जिस तरह से कुछ तहसीलों को अलग करके, जिला बना कर उनके विकास में तीव्रता लाने की कोशिश की गयी है, मेरा सुझाव है कि इन तीनों सीमावर्ती जिलों का उसी तरह से विकास किया जाय, और वहां की शासन व्यवस्था उसी तरह की जाय।

[श्री रामचन्द्र उनियाल]

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की बेरोजगारी की ओर ले जाना चाहता हूं, जहां पर अभी तक कोई विकास कार्यों में या इंडस्ट्री में प्रगति नहीं है। वहां पर गृह-उद्योगों की व्यवस्था की जाय जिससे वहां की रोजी-रोटी का प्रश्न हल हो सके। आज मंसूरी और नैनीताल में हमारे भाई रिक्शा चलाते हैं, जो इंसानियत की जिन्दगी से दूर हैवानों की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। जिस तरह से तांगों में घोड़े जुते रहते हैं उसी तरह से वे जिन्दगी बसर कर रहे हैं। जब से हम आजाद हुए हमारे जिले में तब से आज तक बेरोजगारी बढ़ी है, ज्यादा से ज्यादा वहां पर मजदूर इस तरह की मजदूरी कर रहे हैं। अगर वहां पर गृह-उद्योगों की योजना तीव्र गति से चलती होती तो इस तरह से मजदूर जीवनयापन न करते।

खासकर के हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उनके उत्थान के लिये यह जरूरी है कि वहां पर बागवानी, जड़ी बूटियों, अन्य वनसम्पदा की ओर, भेड़ बकरियों की ओर, घरेलू उद्योग धंधों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये क्योंकि वहां इन्हीं कार्यों से उत्थान हो सकता है। लेकिन मुझे खेद है कि इस ओर जिस स्पीड से काम होना चाहिए उस स्पीड से काम नहीं हुआ। फलतः आज इस बात की जरूरत हुई कि वहां के कुछ इलाकों की व्यवस्था अलग तरह से की जाय जिससे वहां के विकास कार्यों में गति लाई जा सके और वहां की जनता का जीवन-स्तर ऊंचा उठाया जा सके। मैं समझता हूं कि इसी से यह साबित होता है कि हमारे ये पर्वतीय प्रान्त पिछड़े हुए और उपेक्षित रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि सारे सीमान्त पर्वतीय प्रान्त की कुछ इस तरह से व्यवस्था करें जिससे जल्दी से जल्दी यह भाग विकसित हो सके।

अधिष्ठाता महोदय, हमारा टेहरी-गढ़वाल जिला सन् ४९ से पहले एक राज्य था। वहां एक सामन्तशाही शासनप्रणाली थी, लोग बहुत पीड़ित थे। उनको शोषित किया जा रहा था और उनके उत्थान के लिए कोई भी व्यावहारिक व्यवस्था नहीं की जा रही थी। वहां की जनता बड़ी तमन्ना के साथ यू० पी० में मर्ज हुई थी। उसको उम्मीद थी कि मर्ज होने के बाद वह सारी सुविधायें अच्छी तरह से मिलेंगी। लेकिन मुझे खेद है कि अभी तक हमारे जितने भी अन्य ५० जिले हैं उनके लेविल याने स्तर तक हम उसे नहीं पहुंचा पाये हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे जिले को इस तरह से उपेक्षित न रखा जाय। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग-धन्धे या किसी भी क्षेत्र में—मैं प्रमाणित कर सकता हूं कि हमारा जिला दूसरे जिलों से गिरा हुआ है और उस को बढ़ाने में बहुत वक्त लगेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां पर जो अलग उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है, तो जरूरत आज वहां यह है कि सारे जिले में ही इस तरह की व्यवस्था की जाय जिससे कि विकास के कामों में तीव्रता लायी जा सके।

जहां तक कानूनी सवाल है, हम मानते हैं कि जो मर्जर ऐग्रीमेंट टेहरी-गढ़वाल का स्टेट मिनिस्ट्री के साथ में हुआ था, उससे साफ जाहिर है कि उस जिले के अलग-अलग हिस्से नहीं किये जायेंगे। उसकी अखंडता बरकरार रहेगी। फिर भी, मैं समझता हूं कि आज इस बात की आवश्यकता है कि देश की सीमान्त रक्षा की व्यवस्था की जाय। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि हमारी समस्यायें एक-सी हैं। हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि सारे जिले का विकास शीघ्रता से हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हिस्से में तो तेजी हो और कुछ हिस्से में तेजी न हो। उससे यह खतरा हो सकता है कि हमारे बीच के कुछ हिस्से ऐसे रह सकते हैं जिनका विकास ही न हो पाये।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा जहां तक हमारे जिले की शिक्षा का प्रश्न है उसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब स्टेट का मर्जर हुआ था तो वहां की विधान परिषद् ने एक प्रस्ताव पास किया था कि २० लाख रुपये का एक शिक्षा-ट्रस्ट बनाया जाय जिससे वहां के लड़कों को स्कालरशिप मिले और उससे वह आगे की पढ़ाई जारी रख

सकें। आज वहां पर इतनी गरीबी है, लोग इतने दीन हैं कि अपनी शिक्षा आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि खासकर के २० लाख रुपये के ट्रस्ट की घोषणा की जाय जिससे कि वहां के कुछ विद्यार्थी आगे शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो सकें।

अधिष्ठाता महोदय, बागवानी के लिए वहां जो धन, ऋण तथा अनुदान के रूप में दिया जाता है उसका सही उपयोग नहीं होता है। कर्जा या अनुदान जिनको आवश्यकता है, गरीब लोगों को, उनको वह अनुदान मिल नहीं पाता है क्योंकि उनकी माली हालत अच्छी नहीं होती, उनको कोई जामिन नहीं मिलता। इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसे परिवर्तन कानून में किये जायं जिससे कि गरीब से गरीब लोग भी लोन ले कर के कुछ अपने उद्योग-धंधे थोड़े बहुत चला सकें और अपनी बागवानी को आगे बढ़ा सकें।

जहां तक बागवानी का प्रश्न है, इस वक्त ५० लाख पेड़ उन पर्वतीय क्षेत्रों में बांटने के लिये रखे गये हैं। यह अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि इनको ठीक-ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं होती है। कुछ तो इधर-उधर ले जाने में ही खत्म हो जाते हैं और कुछ सूख जाते हैं। इसी तरीके से उन पंचायत मंत्री और ग्राम सेवकों पर यह थोपा जाता है कि तुमको इतने पेड़ बांटने होंगे, लगाने, होंगे और कीमत देनी होगी। नतीजा यह होता है कि सरकारी आंकड़ों में ५० लाख पेड़, जितना कि सही डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होता है, वे माने जाते हैं और लगाये जाते हैं लेकिन सही माने में उतने पेड़ नहीं लगाये जाते हैं। मैं कुछ बोलना अधिक चाहता था पर समय नहीं। इन शब्दों के साथ, मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस विशेष पर्वतीय सीमान्त के क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने ये तीन छोटे-छोटे जिले बना कर व्यवस्था की है उसी तरह की व्यवस्था इन सारे जिलों में की जायगी।

श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, नियोजन एक बड़ी आवश्यक बात है। इसके सम्बन्ध में प्रति वर्ष सुझाव दिये जाते हैं और आलोचना होती है। मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं कि आज १२ वर्ष के समय में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जहां सभी साधन प्राप्त हैं, वहां क्या कर पाये हैं, इसका थोड़ा बहुत लेखा-जोखा हमें लेना है। हमारा लक्ष्य है कि आज देश में अधिक अन्न उपजायें और अधिक उत्पादन हो। लक्ष्य तो हमारा यह है लेकिन प्राप्ति क्या हो रही है, किधर हम जा रहे हैं, यह जरा हमारे लिये सोचने की बात है। सारा बल कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये हमने दिया है जिससे इस वक्त विकास खंडों में काफी चाकरशाही भी पहुंच चुकी है और बहुत-सी बातें करने की बात कही जाती है लेकिन बावजूद उसके उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। यह मेरी शिकायत नहीं है बल्कि प्रधानमन्त्री की भी शिकायत है कि कृषि के ऊपर काफी व्यय करने के बाद भी हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है? मैं आपके द्वारा अपने सहयोगियों से और सरकार से बताऊं कि इस तरफ हमारा मनोयोग नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है।

हम देखते हैं कि खाद के लिये, बड़े-बड़े कारखाने बनाने के लिये हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, लेकिन हमारे पास मलमूत्र उत्पादक कारखाने हैं, उनका हमने क्या सदुपयोग किया है? क्या कभी हमारे मिनिस्टर और साथी भी गांवों में जब गये होंगे तो नहीं देखा होगा कि किस तरह की सड़कें हैं? सड़कों के किनारे देखा होगा कि किस तरह से गन्दगी वहां रहती है। जिन गांवों के लिये हम कहा करते थे कि स्वर्ग की प्राप्ति वहां पर होगी, वहां पर घुसते ही ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं नरक में जा रहे हैं और वहां पर नरक की-सी बातें सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वहां पर मल कहां त्याग करते हैं, किस तरह से बैठते हैं, वहां मूत्र त्याग करते हैं, इन सब बातों के लिये कोई व्यवस्था अभी तक १२ वर्ष के बाद भी नहीं कर पाये हैं।

[श्री रामसिंह चौहान]

(इस समय २ बज कर ६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुये।)

फिर वहां घरों की व्यवस्था करने की बात तो दूर है। जो हमारी आवश्यकतायें हैं और जिन पर संसार में बड़ी-बड़ी खोज हुई है वे खोज सामने आ चुकी हैं लेकिन फिर भी अभी कुछ नहीं हो पाया है। इतना जरूर हुआ है कि कूड़ा-करकट उठ कर के रास्ते पर आ गया है और जब वर्षा होती है तो सारा का सारा बह जाता है!

अभी तक हम भूमि की भूख प्यास के लिये व्यवस्था वहां नहीं कर सके जो कि कृषि उत्पादन करने को जरूरी था वह भी अभी तक हम नहीं कर पाये। कृषि के उत्पादन के लिये सब से बड़ी आवश्यकता पानी की है। अगर पानी नहीं है तो कृषि नहीं हो सकती। लेकिन उसकी बात छोड़िये। मैंने कई बार सदन में प्रश्न भी पूछा, लेकिन मुझे दुख है कि हमने मानव के पीने के लिये पानी की व्यवस्था भी अभी तक नहीं की है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मानव को पीने के लिये पानी मिले, उसकी व्यवस्था हो। हमारे देश का कोई व्यक्ति कीचड़ पीने के लिये बाध्य न हो।

हमारे प्रान्त में एक बार पंत जी के समय में तालाब पटवाने का प्रयत्न किया गया, योजना चलायी गयी, लेकिन परिणाम यह हुआ कि कुएं सूख गये, बाढ़ आ गयी और नुकसान हुआ, कृषि का भी और देश का भी। तो इसलिये मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि पहले पीने के पानी की व्यवस्था की जाय। कोई गांव ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिसमें जलाशय की व्यवस्था न हो। उनके द्वारा उनकी खेती भी हरी-भरी रहेगी, वे भी स्वस्थ रहेंगे और उनके पशुओं को भी पानी पीने का प्रबन्ध होता रहेगा। इससे आपकी नहरों को कुछ नुकसान अवश्य पहुंच सकता है, लेकिन जहां नहरें नहीं हैं वहां आप तालाब खुदवाइये। प्रत्येक गांव में अगर दो तालाब हों, कुछ कुएं हों और उनमें आप पानी की व्यवस्था रखें तो उनकी तरक्की स्वयं ही हो जायगी। प्रत्येक स्कूल के पास देखिये कि वहां सफाई है या नहीं? प्रारंभिक और बड़े स्कूलों के पास आपको लड़के पेशाब करते हुये दिखायी पड़ेंगे। हम इतना भी इस १२ साल की आजादी में अपने बच्चों को नहीं सिखा पाये कि हम अपने को कैसे स्वस्थ रखें; तो फिर यह योजना कैसे चलेगी, यह मेरी समझ में नहीं आता।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह ऐसी योजनायें बनाये कि देश में कोई प्यासा न रहे। जब हम विकास क्षेत्र में जाते हैं तो वहां के कार्यालयों में लिखा पाते हैं "गांव-गांव में बिजली, खेत-खेत पर पानी," "जन-जन हिताय, जन-जन सुखाय की योजना"। क्या कहने! इस तरह से तो जन-जन हिताय जन-जन सुखाय नहीं हो रहा है। उसके लिये तो सोचना पड़ेगा कि हमारी इस दुर्दशा का मूल कारण क्या है?

खेती क्यों नहीं बढ़ रही है, उद्योग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इसके लिये मैं सुझाव देता हूं कि हम प्रत्येक गांव में गाड़ियों की व्यवस्था करें कि गांव में ८ बजे के बाद जो कूड़ा-कर्कट उन्हें मिले उसे एक ठीक स्थान पर पहुंचा दिया करें और उनकी व्यवस्था गांव सभा करे। यहां तो अच्छे-अच्छे शौचालय हैं, लेकिन गांव में बड़ी आसानी से जो छिद्र करने वाले यंत्र हैं, उनका उपयोग करके वे बनाये जा सकते हैं। इसके लिये आप चाकरशाही को न बढ़ाइये, बल्कि ग्राम सभा द्वारा ही इस तरह की चीजों को किया जाय। उनको साधन दिये जायं और इस तरह के यंत्र दिये जायं कि वे गड्ढा खोद सकें और अपने यहां मूत्रालय और शौचालय बना सकें। इस पर हमको ध्यान देना चाहिये। यह सबसे बड़ा उर्वरक है हमारे देश के लिये।

याद आ जाती है एक भोले भाले व्यक्ति की जिसकी प्रेमिका या धर्मपत्नी बनारस में डूब गयी थी और वह खोज रहा था हरिद्वार में। पूछने पर कहने लगा कि आज कल तो

गंगा उल्टी बहती है। बिलकुल वही बात है। भूमि मिलती चली जा रही है लेकिन वह भूमिहीनों को मिलने की नहीं। योजनायें बनायीं, लेकिन उसके बाद भी उनको वह भूमि मिली नहीं। और भी इस तरह के छोटे-छोटे सुझाव हैं। बड़ी छोटी बात समझी जायगी। लेकिन वही चीजें ऐसी हैं जिनसे हमारे जन-जन के जीवन को सुख मिल सकता है। थोड़े से सुझाव मैं विकास खंडों के बारे में और देना चाहता हूं। मेरे पास भी शिकायतें आती हैं, आपके पास भी आती होंगी। मेरा यह सुझाव है कि जो ग्रामसेवक हैं उन्हीं की पत्नियों को आप ट्रेनिंग दीजिये। वे ज्यादा सफलता के साथ काम कर सकेंगी। समय बहुत कम है, वरना मैं और भी सुझाव देता। मैं यह चाहता हूं कि मैंने जो छोटे-छोटे सुझाव दिये हैं अगर आपने उनको नहीं माना तो आप देश का विकास नहीं कर पायेंगे, सारे देश का सर्वनाश हो जायगा। इसलिये मैंने जो सुझाव दिये हैं उनके ऊपर विचार किया जाय और उनको अमल में लाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री सुल्तान आलम खां से) आपको २० मिनट का ही समय दिया जायगा।

***नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तानआलम खां)**—उपाध्यक्ष महोदय, उन तमाम मेम्बर साहबान का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने आज की डिबेट में हिस्सा लिया और बहुत से सुझाव दिये। मैंने, जहां तक हो सका है, उन सब सुझावों को नोट भी कर लिया है। हम, जहां तक बन सकेगा, उनके उन सुझावों से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आज जो प्लानिंग के ऊपर यहां डिबेट हो रही है, उसमें चाहिये तो यह था कि हमारे काफी मेम्बरान शरीक होते और हमें अच्छे-अच्छे सुझाव देते और हम उससे लाभ उठाने की कोशिश करते; लेकिन मैं देखता हूं कि चारों तरफ यह बेंचेज खाली पड़ी हुई हैं। बहरहाल, मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो लोग भी यहां मौजूद हैं वे इस डिबेट में हिस्सा लेकर हमें अपने सुझाव देने की कोशिश करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सी तकरीरें सुनीं, बहुत सी बातें सुनीं, बाज-बाज बड़े कान्सट्रक्टिव सुझाव भी दिये गये और सब को मैंने गौर से सुना। बाज-बाज माननीय सदस्यों ने यहां तक भी कहा है कि इन दस-बारह सालों के जमाने में प्लानिंग में कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ रुपया खर्च हुआ है वह बेकार हुआ है। मुझे उन बातों को सुनने के बाद फारसी का एक शेर याद आ गया। मैं उस शेर को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो उसका मकसद है, वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। उस शेर का मतलब यह है कि जो रात को देखने के आदी हैं अगर उनको दिन में दिखाई न दे तो उसमें सूरज का कोई कसूर नहीं होता। बहरहाल, यह जो बजट हम पेश कर रहे हैं, यह हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का आखिरी वर्ष का बजट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना पर वर्किंग ग्रुप बैठा हुआ है और उसकी तैयारी हो रही है। उस तीसरी योजना के अन्दर इस बात की कोशिश की जा रही है कि यदि जो भी हमारी मौजूदा प्लानिंग है, और उसमें जो भी कमियां हैं उनको हम दूर कर सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्लानिंग का काम बहुत लम्बा चौड़ा काम है जैसा कि, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कोई काम पूरी तरह से कम्पलीट नहीं हो सकता, हर काम में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, और फिर तजुर्बे के आधार पर उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है।

आज हमारी दूसरी योजना खत्म होने जा रही है और हम तीसरी योजना शुरू करने जा रहे हैं, उसका सर्वे का काम भी हो चुका है। जो पिछली योजना में काम अधूरा रह गया है उसको इस योजना में पूरा किया जायगा; इस तीसरी योजना में इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो हमारे मुखतलिफ रीजन्स हैं और उनकी जो समस्यायें होती हैं, पश्चिम वालों की समस्यायें हैं, पूर्वी जिलों की भी हैं, बुन्देल खंड वालों की भी होती हैं जो भिन्न-भिन्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

हैं, कुमायूं की दूसरी हैं तो इस किस्म की जगह-जगह जो समस्यायें हैं, उन सब पर इस योजना में विचार किया जायेगा। हर रिजियन के लिये कुछ न कुछ प्राविजन किया जायगा।

जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया, मैं इस बात का दावा नहीं कर सकता, और भी कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता, कि हमारा प्लान मुकम्मिल है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा तजुर्बा हमने उठाया है उसका हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अब तक का जो हमारा तजुर्बा है वह एक ऐसा तजुर्बा है जिसके मुताल्लिक अगर हम कहें तो बिलकुल सही होगा कि जहां तक डेमोक्रैटिक कंट्रीज का ताल्लुक है यह हमारा तजुर्बा पहली किस्म का है। दूसरे मुल्कों ने, जहां डेमोक्रैसी नहीं है, इस किस्म के तजुर्बे किये हैं और हो रहे हैं लेकिन डेमोक्रैटिक कंट्रीज में पहली मर्तबा हमारे यहां तजुर्बा हुआ। हमें और आपको यह भी मालूम है कि जो हमारा प्लान बना उसमें कई साल बीत गये थे। दूसरे प्लान में इस बात की कोशिश की गयी कि उसमें नीचे से लोगों की राय शामिल की जाय।

अब तीसरा प्लान बन रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे गांव के, ब्लाक के और जिले के स्तर पर हर जगह हम लोग मिलें, हर जगह से सुझाव आ सकें और जिस वक्त वह प्लान तैयार हो जायगा तो हमारे हाउस को भी उस पर राय देने का मौका मिल सकेगा। मैं नहीं कहता कि बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो कुछ भी प्लानिंग में हुआ उसमें सभी चीजों का ध्यान रखा गया। यह सही है कि यह एक ऐग्रीकल्चरल कंट्री है, हमारी इकानामी काफी अर्से तक ऐग्रीकल्चरल रहेगी, लेकिन आजकल के जमाने में, तरक्की के जमाने में दूसरे मुल्कों से अलहदा होकर नहीं रह सकते और अगर हमें अपने मुल्क को तरक्की देनी है, डेवलपमेंट करना है, तो सिर्फ ऐग्रीकल्चरल पर ही मुनहसिर न रहकर अपने को इंडस्ट्रियलाइज भी करना पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यहां तकरीर करते वक्त यह कहा कि इंडस्ट्री में काटेज इंडस्ट्री और स्माल स्केल इंडस्ट्री को इमदाद देनी चाहिये और बिग इंडस्ट्रीज को नहीं देनी चाहिये। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बाज बहुत ही समझदार और काबिल ऐसे दोस्त जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी तरफ से यह सुझाव आया कि अगर इस मुल्क को तरक्की देनी है तो इसमें कोई शक नहीं कि हमें ऐग्रीकल्चर पर काफी अर्से तक एम्फेसिस रखनी पड़ेगी। लेकिन जब हम इंडस्ट्री को ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे तो उसमें बिग इंडस्ट्री भी होगी, स्माल स्केल इंडस्ट्री भी होगी और काटेज इंडस्ट्री भी होगी और ये साथ-साथ आगे चलेंगे।

एक चीज जो हमारे मुल्क के लिये बड़ी खतरनाक है और सबको परेशान कर रही है वह हमारे यहां बढ़ती हुई आबादी का मसला है। हम अब तक उसको टैकिल नहीं कर सके हैं। जो प्लान पहले था उसके अन्दर तो शायद हम १.७ के पार से बढ़ते रहे। दूसरे प्लान में हमारे बढ़ने की तादाद १.९ तक रही और अब अन्देशा यह किया जा रहा है कि तीसरे प्लान में शायद हमारे बढ़ने की तादाद २.२ तक पहुंच जाय। तो सवाल यह पैदा होता है कि जब इतनी बड़ी तादाद में हमारी आबादी बढ़ रही है तो इसके लिये हमें कोई खास इन्तजाम करना है। आपने देखा कि जो हमारी नेशनल पालिसी है, उसके मातहत यह चाहा जाता है कि हम ६ फी सदी प्रोडक्शन को तीसरे प्लान में बढ़ायें और यह इसलिये रखा गया है कि अगर २ फीसदी आबादी बढ़ जाय तो कम से कम ४ फीसदी हमारा प्रोडक्शन बढ़ता हुआ नजर आये। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमें एक चीज का बड़ा खेद है कि हमारी बदनसीबी से इस सूबे के अन्दर नैचुरल कैलेमिटीज आती रहीं जिन्होंने हमारे प्रोडक्शन की रफ्तार को बहुत पीछे कर दिया।

हमने कोशिश की विकास पहले करने की, आगे बढ़ने की, हिम्मत बढ़ाने की, लेकिन जब इस किस्म के हालात आ गये जो कंट्रोल से बाहर थे तो जाहिर है कि हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें उस चीज को बरदाश्त करना पड़ा, लेकिन देखना यह है कि प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं और हमने कितनी तरक्की की। इसके लिये ईमानदाराना कोशिश कहां तक की गयी? इसमें शक नहीं कि ईमानदाराना कोशिशें की गयीं लेकिन कुछ ऐसे असबाब हुए कि वे कामयाब न हो सकीं, तो वह काबिल माफी है। हम भले ही यकसूई हासिल न कर सके हों लेकिन प्लानिंग

हमारे मुल्क में रहेगा It has come to stay here, और बहुत दिनों तक रहेगा, लेकिन उसके लिये हमें अपने को बदलना पड़ेगा और यही वजह है कि, जैसा कि आप सब को मालूम है, हमारे यहां एक प्लानिंग रिसर्च एण्ड ऐक्शन इंस्टीट्यूट है और उसका काम यह है कि हमारे लिये नये-नये तजुर्बे करे, हमारे लिये एग्रीकल्चर में तजुर्बे करे, इंडस्ट्रीज में नये-नये तजुर्बे करें और उसने किये भी हैं। अगर माननीय सदस्य महेवा या चिनहट जाकर देख सकें तो उन्हें अन्दाजा हो जायगा कि हमने तजुर्बे किये और बहुत से तजुर्बे कामयाब हुए जिन्हें कि वह दूसरे मुहकमों को देते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर हमारा तजुर्बा नाकाम हो लेकिन अगर एक अच्छे काम के लिये तजुर्बा किया गया हो और उस पर रुपया भी सर्फ किया गया हो तो वह बेजा नहीं गया।

एक सवाल बराबर उठाया गया और वह यह है कि हमारे यहां का जितना काम है वह सब अधिकारियों और कर्मचारियों के जरिये से हुआ और शायद हम लोगों के दिलों में उतना इन्थ्यूजियाज्म नहीं पैदा कर सके जितना कि हमें पैदा करना था या जितनी कि हमें जरूरत थी। मैं समझता हूं कि यह बात बड़ी हद तक सही है और मैं इसको मानता हूं कि यही वजह थी कि बलवन्तराय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के बाद इस सूबे की गवर्नमेंट ने एक कमेटी माननीय गोविन्द सहाय जी की सदारत में बिठलाई और उसने इस पर काफी रोशनी डाली। उसकी रिपोर्ट आपके सामने है, उसके मुताल्लिक मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इस बात का सरकार को पूरा अहसास है कि वाकई में अगर इस मुल्क की तरक्की करनी है या इस मुल्क के लोगों के अन्दर इन्थ्यूजियाज्म पैदा करना है, लगन पैदा करनी है, तो हमको डेमोक्रैटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन करना पड़ेगा।

कभी-कभी सुनने में आता है सदस्यों के जरिये से कि आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में लेजिस्लेशन हुआ और उसके जरिये से वहां पर बिलकुल डेमोक्रैटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन हो गया। यह बात बिलकुल सही है और यह भी सही है कि हमारे यहां ऐसा लेजिस्लेशन नहीं हुआ। लेकिन हमें इस बात को भी देखना है कि हमारे सूबे के अन्दर क्या हालात हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में दूसरी स्थिति थी, वहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नहीं थे लेकिन आपके यहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड थे जोकि अन्तरिम जिला परिषद् बना दिये गये, उसका आपने कानून बना दिया और अब नये बिल से जिला परिषद् बना रहे हैं और उसके अन्दर बहुत सी चीजें ले रहे हैं।

एक मर्तबा यह भी सवाल हुआ था कि गांव सभा और गांव समाज, यह अलग-अलग दो बाडीज क्यों हैं? मैं इसके मुताल्लिक क्या अर्ज करूं सिवाय इसके कि आपने जो नया बिल बनाया है और जो आपकी ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सामने है उसके अन्दर आपने उन तमाम मसायल को हल करने की कोशिश की है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि चूंकि आपके यहां एक स्थिति ऐसी है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की वजह से जो शायद दूसरे सूबों में नहीं है, इसलिये आपको कोई कदम सोच विचार कर रखना पड़ेगा। वह कदम चाहे थोड़ी देर में पड़े, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर कोई कदम गलत पड़ जाता है तो फिर पीछे हटने में बड़ा सेट बैक हो जाता है, बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट खामोश नहीं रही, एग्जिक्यूटिव आर्डर के जरिये से उसने डेमोक्रैटिक डिसेन्ट्रलाइजेशन के लिये एक बहुत बड़ा कदम उठाया।

नवम्बर के महीने में हमने इस बात की हिदायतें जारी कर दी थीं कि हमारे यहां जो ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज हैं उसमें दो कमेटियां बनाई जायं, एक कृषि एवं उत्पादन समिति और दूसरी निर्माण समिति। इस तरह की समितियां हर गांव सभा के स्तर पर बना दी गयी थीं और अब जो रुपया एलाटमेन्ट का कृषि प्रोडक्शन या इन्डस्ट्री के लिये आयेगा या जो सोशल सर्विसेज के संबंध में आयेगा जैसे एजूकेशन है, हेल्थ है, वह इनके जरिये से तकसीम होगा। यहां से

[श्री सुल्तान आलम खां]

एलाटमेंट होगा और बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल्स को दें, वह ग्राम स्तर पर किया जायगा और वहां जो उपसमितियां हैं वे उसको तक्सीम करेंगी। हमारे ब्लाक के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वे उनको टेक्निकल एडवाइस देंगे, उनको फैसिलिटीज देंगे और उनको जरूरी जानकारी मुहइया करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह भी एक बड़ा तजुर्बा है, इसकी तरफ गौर होना चाहिये और हम समझते हैं कि यह तजुर्बा कामियाब हो सकता है अगर हम पूरा सहयोग दें।

जहां तक प्लानिंग का ताल्लुक है, हम सब जानते हैं कि प्लानिंग कोई नया मुहकमा नहीं है। कभी-कभी लोग गल्ती से समझ लेते हैं कि यह नया मुहकमा है। असल में नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज के जो डिपार्टमेन्ट हैं उनके आपस में कोआपरेशन और इन्टेग्रेशन का नाम ही प्लानिंग है। जिले के स्तर पर भी सभी डिपार्टमेंट्स को पूल करना होता है, वहां पर हम पूल कर चुके हैं और हम इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि गांव के स्तर पर भी पूल करें। पहले जो ब्लाक एडवाइजरी कमेटी थी उसको अब ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं। वे इलेक्टेड बाडीज हैं। दूसरी जगह नामीनेटेड हैं, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारी कोशिश है कि विलेज लेविल वर्कर्स से भी उनमें काम लें, मसलन् ट्यूबवेल आपरेटर्स हैं जिन्हें उनमें बैठ कर काम करने का मौका मिलता है।

एक बात यह है कि हमें कृषि से अपना जोर नहीं हटाना चाहिये। जैसा रामसिंह जी ने कहा था, कृषि और सिंचाई का चोली-दामन का साथ है और इसीलिये सरकार सिंचाई को माइनर योजनाओं के लिये काफी रुपया दे रही है। यह सही है कि पिछले जमाने में नहरों और ट्यूबवेल्स का बड़ा प्रोग्राम चलाया गया था जो अब भी चलेगा लेकिन कोशिश इस बात की है कि हम ज्यादा जोर माइनर योजनाओं पर ही दें। इसके जरिये से ही हम उत्पादन ज्यादा बढ़ा सकेंगे। उसके लिये बजट में आप देखेंगे कि ग्रो मोर फूड कैम्पेन और ब्लाक्स के जरिये से भी काफी रुपया दिया गया है और जहां तक मुझे याद पड़ता है, लगभग २ करोड़ ६० लाख रुपया इसके लिये रखा गया है। अगर हमें गांव में बैलेंस कायम रखना है तो वहां की छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ाना होगा।

जब तक हमारे किसानों का अच्छा हिस्सा इधर नहीं आ जाता तब तक जमीन के ऊपर से दबाव कम नहीं हो सकता है। यह प्लानिंग की रूप रेखा मैंने आपके सामने रखी। लेकिन इसके लिये हमें आपके सहयोग की भी बहुत जरूरत है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, हम इन्टीग्रेशन से काम लेते हैं और पूल करके काम चलाने की कोशिश करते हैं। जब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसकी मुल्क में बहुत दिनों से मांग थी तो हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग की जरूरत है। ब्लाक स्तर पर कमेटियां हैं, अन्तरिम जिला बोर्ड हैं, प्लानिंग कमेटियां हैं, प्लानिंग की स्टैंडिन्ग कमेटी है, इनमें सब ही दलों के सदस्य हैं और सबका सहयोग हमें चाहिये ताकि मुल्क ऊंचा उठे। यह हमारी नेशनल समस्या सबके सहयोग से ही हल हो सकेगी।

यह सही है कि छोटी-छोटी बातों में इखतिलाफ हो सकता है जिन्हें हम हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अभी यहां कहा गया कि बी० डी० ओज० जीपों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं। हो सकता है कि यह शिकायत कहीं-कहीं सही हो। मैं पहले भी एक मर्तबा सवालों के जवाब में यहां बता चुका हूं कि ये जीपें हमें बाहर से, दोस्त मुल्कों से मिली हैं और हम चाहते हैं कि उनका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल हो। हमने उनका माइलेज मुकर्रर कर दिया है कि इससे ज्यादा न हो। अगर उसके खिलाफ कार्यवाही नोटिस में लाई जायगी तो उस पर हम ऐक्शन लेंगे। निकम्मेपन को दूर करना चाहिये लेकिन जनरलाइज करना भी उचित नहीं है।

मैं बड़ा खुश हूंगा अगर माननीय सदस्य मेरे कार्यालय में तशरीफ लाने का कष्ट उठाकर मुझे बतावेंगे और मैं उन मामलात में ऐक्शन लेने की कोशिश करूंगा।

एक चीज और है जिसमें माननीय सदस्य हमारी बहुत इमदाद कर सकते हैं और वह है स्माल सेविन्गस् की स्कीम। हम अन्दाजा यह करते हैं कि हमारा तीसरा प्लान १,००० करोड़ रुपये तक जाय जिसके लिये रुपया चाहिये। हमारे बहुत से काम मर्जी के मुताबिक नहीं हो पाते इसलिये कि हम बहुत सी बातों में पाबन्द हैं सेंटर के और प्लानिंग कमीशन के। जब तक हम उनसे मश्विरा न कर लें, तब तक अपना बजट तैयार नहीं कर सकते वरना बहुत से रुपये से हमें हाथ धोना पड़े। उनसे हमें बहुत सा रुपया मिलता है और जो बजट आपके सामने आया है कम से कम इसमें किसी नये टैक्स की बात नहीं है।

मैं एक मर्तबा फिर तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्हें यकीन दिलाता हूं कि हम उनके सुझावों को एग्जामिन करावेंगे और उनसे नफा उठाने की कोशिश करेंगे।

श्री भूपकिशोर (जिला एटा)--प्लानिंग में एकसा काम सब जगह नहीं होता है। मंत्रियों के क्षेत्रों में ज्यादा होता है, इसका क्या कारण है?

श्री सुल्तानआलम खां--मैंने शुरू में शेर पढ़ा था। उसे माननीय सदस्य याद कर लें तो शायद ऐसे सवाल की जरूरत न पड़े। सभी क्षेत्र एक से हैं। माननीय सदस्यों के और माननीय मंत्रियों के क्षेत्रों में कोई अन्तर नहीं है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि मुझे अवसर मिला।

माननीय खां साहेब की बातें बड़ी मीठी लगीं जैसे कि एक अच्छा वकील अपने कमजोर मामले को आर्ग्यू कर रहा हो। जिस शेर के वह बहुत कायल हैं कि अगर सूरज निकलने पर भी किसी को रोशनी न दिखाई दे, तो इसमें सूरज का कसूर नहीं, ऐसा उनका कहना है। मगर उन्हें न भूलना चाहिये कि जब कभी खग्रास-ग्रहण लग जाता है तो सूरज की एक किरण भी बाहर नहीं आ पाती है। दूसरे जो जमीन पर चलता है उसे ही ठोकर लगती है। जो कोई ऊंचा चलेगा, देवता बनकर, उसे ठोकर लगना कम हो जायगा। १०,००० फीट ऊंचे हवाई जहाज पर चढ़ कर खंदक व सब मैदान ही नजर आते हैं। जब खां साहेब इधर बैठते थे तो उन्हें बहुत कमियां नजर आती थीं और जब वह उधर खिसक गये तो उन्हें कम कमियां नजर आने लगीं। अब गद्दी पर बैठने के बाद उन्हें स्वर्ग ही स्वर्ग नजर आता है। प्लानिंग के लिये जन-सहयोग की बातें उन्होंने कही। मगर उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि नियोजन में जनसहयोग घटता जा रहा है। यह उनको इसलिये स्वीकार करना पड़ा कि गोविन्द सहाय कमेटी ने ऐसा कहा है।

श्रीमन्, हमारे नियोजन विभाग की एक गलती यह है कि दुनिया को दिखाने के लिये वह ऊंचे टारगेट (Target) रखता है, जो पूरे नहीं हो पाते। अच्छा यह हो कि Target छोटे या कम रक्खे जायं लेकिन वे पूरे किये जायं। लेकिन दुख यह है कि साधारणतया तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिये होता है। कागजों में बहुत बड़े-बड़े आंकड़े दिखाये जाते हैं लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। आंकड़ों में बहुत ही ज्यादा अन्न पैदा हो जाता है लेकिन बाजार में अन्न देखने को मिलता नहीं है।

इसके अलावा, योजना की असफलता को केलेमिटीज (calamities) पर डालने की बात की जाती है। योजना तो इसीलिये होती है कि अगर पानी कम बरसे तो सिंचाई के साधनों से लोगों को पानी मिल जाय और अगर ज्यादा बरस जाय तो उसकी निकासी का इन्तजाम हो जाय। अगर प्रकृति की तरफ से सब कुछ ठीक ही होता रहे तो योजना बनाने की आवश्यकता ही क्या है? प्रकृति को दोष देना केवल अपनी असफलता को प्रकृति के माथे मढ़ना है।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

योजना के नाम पर अनेक प्रकार के एक्सपेरीमेंट्स भी किये जाते हैं। उदाहरण के लिये, कभी कहा जाता है कि जापानी खेती बढ़िया होगी, लोगों को उसके लिये तैयार किया गया तो उसके बाद कहा जाता है कि अब चीनी तरीका बढ़िया होगा, लेकिन सरकार को जो अपना पुराना तरीका है और जो हमारे अनुभव हैं, उन भारतीय तरीकों को अपनाने के बारे में कुछ सूझता नहीं है। हमारी दिमागी गुलामी की हालत तो यह है कि अगर कुत्ता भी बढ़िया होता है तो उसको विलायती कहा जाता है। इसलिये हर तरीके को नया नाम देकर संतोष किया जाता है। संस्कृति की बात कही जाती है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को वर्तमान प्रयोगों से पैदा हुए नैतिक ह्रास व मूल्यों की गिरावट को देखकर इस सरकारी पुस्तिका की भूमिका में कहना पड़ा है कि "पुरानी रूढ़ियों की चट्टानें नये विचारों से टकराकर चूर-चूर हो रही हैं पर उन्हीं के साथ शाश्वत सामाजिक सिद्धांत भी तिरोहित हो रहे हैं। जीवन के प्राचीन मूल्यों पर से हमारी आस्था उठी जा रही है, पर नये मूल्यों की स्थापना अभी भविष्य की ही बात है। हम प्राचीन नैतिकता को तो ठुकराते जा रहे हैं, पर आधुनिक नैतिकता को अपना भी नहीं पाते। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नये मूल्यों की स्थापना और चारित्रिक तथा नैतिक उत्थान के बिना हमारी सफलताएं अधूरी ही रह जायंगी।" यह क्या है? यह सारे प्लानिंग की विफलता के निचोड़ की स्वीकारोक्ति है।

दूसरी ओर कई नए विभागों के कारण गड़बड़ियां हैं। शिक्षा विभाग अपने तरीके से काम कर रहा है, दूसरे विभाग भी कर रहे हैं। जैसे औरों की शिक्षा का प्रबन्ध होता है उसी प्रकार शिक्षा विभाग के ही द्वारा हरिजनों की शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। लेकिन उसके लिये एक अलग विभाग, हरिजन कल्याण, खोला जाता है। क्या शिक्षा विभाग हरिजनों का अहित करता है? इसी प्रकार एक समाज कल्याण नाम का विभाग है। वह भी वही काम करता है जो कि शिक्षा विभाग या दूसरे रचनात्मक विभाग करते हैं। प्लानिंग वाले कहते हैं कि हमारा काम विभागों में कोऑर्डिनेशन पैदा करना है। अगर ऐसा है तो फिर ये अन्य अलग-अलग विभाग एक ही काम वाले, क्यों खुले हुए हैं? इस सबका एक ही मतलब होता है और वह यह कि हमारे सोचने की पद्धति ही गलत है। हमें यह विश्वास ही नहीं होता कि शिक्षा विभाग हरिजनों का कल्याण कर पायेगा और इसलिये हरिजन कल्याण विभाग खोला जाता है। यह देश के लिये घातक है। हमारी वाणी और हमारे कर्म में कहीं साम्य दिखायी नहीं पड़ता।

एक तरफ तो मंत्री जी विरोधी दलों के लोगों से सहयोग की अपील करते हैं लेकिन वे लोग स्वयं जो करते हैं वह दूसरी ही बात है। जब ब्लाक्स में या जिला स्तर पर हम जाते हैं और विरोधी दलों की ओर से कोई बात कही जाती है तो आफिसर लोग कह देते हैं कि आपकी बात तो अच्छी है लेकिन उसे करने में हम असमर्थ हैं। अगर यह किसी कांग्रेसी सदस्य ने कही होती तो हो जाती, मगर आप तो विरोधी पक्ष के हैं। सरकार के पक्षपात ने ऐसी भावना अधिकारियों में पैदा कर दी है जो एक लज्जा व देश को गिराने की बात है। मैं यह मानता हूं कि प्लानिंग के कुछ ऊंचे अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं लेकिन उधर के बैठने वाले उन पर भी इतने हावी हैं कि ठीक प्रकार से काम नहीं हो पाता। उधर के बैठने वाले लोग अपनी राजनैतिक भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पाते। मिसाल के लिये देख लीजिये कि क्षेत्रीय मूल्यांकन समितियों में कितने लोग विरोधी दल के रखे गये हैं। कुछ स्थान कांग्रेसियों के खाली भी हुए लेकिन फिर वह कांग्रेसी से ही भरे गये और यही नहीं उसमें यह भी खयाल रखा गया कि नया व्यक्ति कहीं वह "गुप्ता ग्रुप" का न हो।

जब अपने घर के अन्दर के लोगों को ये शासनारूढ़ लोग एकमोडेट नहीं कर पाते तो फिर ये जनसहयोग की भावना का ढिंढोरा क्यों पीटते रहते हैं। ऐसी बहुत-सी कमेटीज हैं जिनमें विरोधी दल के मेम्बरों को कम या कतई नहीं रखा गया है, हर रीजन में इस तरह की कमेटीज बनी हुई हैं जैसे R. T. A. श्रमदान व उद्योग की फिर जन-सहयोग की भावना का क्या मतलब

है जब कि उस कमेटी में अन्य लोग अपने सुझाव तक नहीं दे पाते? इतने पर भी हम सहयोग देते हैं और देते रहेंगे।

जहां तक संस्कृति की बात मैं कहूं, आप खेल करावें अच्छा है लेकिन चरित्र-निर्माण के लिये तो जोर बहुत ज्यादा दिया जाना चाहिये। लेकिन उसका कहीं कोई स्थान इस नियोजन में नहीं है। लोगों में आज लोक-गीत तथा लोक कलाकार की बहुत चर्चा चल निकली है। होता यह है कि कुछ मर्द और औरतों को ढूंढ़ कर उनको स्टेज पर इकट्ठा खड़ा कर दिया और उनसे कुछ गीत गवा दिया। इसका परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है। शहर के लोगों ने देहात की कुछ बातें कह दीं तो वे लोग कलाकार हो गये, ऐसा भी दृष्टिकोण होता है। ऐसे में कई उदाहरण दे सकता हूं मगर याद रहे ऐसा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है उल्टे कुछ नैतिक स्तर गिर रहा है।

माननीय उपमंत्री जी ने जिला परिषदों के बारे में भी कहा। लेकिन उस संबंध में सरकार की क्या नीति है, यह किसी को भी मालूम नहीं है। अभी तक उन्हें यह भी नहीं मालूम है कि कौन-कौन उसके मेम्बर होंगे और कौन नहीं होंगे। इसका फंक्शन क्या होगा, या इसकी ताकत क्या होगी? उस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया है लेकिन उसका नतीजा क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि शक्तिशाली पार्टी किसी निर्णय लेने में असमर्थ रही है।

आज बजट के संबंध में भी बहुत कुछ कहा गया है। यह सही है कि बजट बहुत बड़ा है लेकिन समस्त योजना में ३४ करोड़ रुपये का शार्ट फाल है। सब से ज्यादा जो लैप्सेज होते हैं वह प्लानिंग डिपार्टमेंट में ही होते हैं, यानी हमारी योजना सुनियोजित नहीं बनायी जाती है। मैं राजनारायण जी की केवल इस बात की पुष्टि कर रहा हूं जो उन्होंने बजट के सम्बन्ध में कही।

अब कुटीर उद्योग को ही लें। एक तरफ सरकार बात तो कुटीर उद्योग की तरक्की की करती है और दूसरी तरफ काम ऐसा करती है जिससे कुटीर उद्योग खतम हों। उदाहरण के लिये लीसा उद्योग को ही लें। पहाड़ लीसा की बहुत-सी छोटी-छोटी यूनिट्स हैं जो वहां की जनता द्वारा चलती हैं लेकिन हम सब लोगों के विरोध के बावजूद भी, जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं, बरेली की रोजीन ऐंड टरपेंटाइन फैक्ट्री की capacity दूनी कर दी गई है और उसे लीसा सस्ते मूल्य पर यानी १५ रुपये मन पर दिया जाता है जबकि उसका बाजार भाव ३० रुपये मन है। चूंकि उस फैक्ट्री के डाइरेक्टर सेक्रेटरी हैं जिनको उसके लिये एलाउन्स और भत्ता भी मिलता है, इसलिये बैलेंस शीट में यह दिखलाया जाता है कि फैक्ट्री मुनाफे में चल रही है। लेकिन असलियत इसके विपरीत है।

इसी तरह से कत्था उद्योग की बात है। हजारों चांई लोग उसके कुटीरोद्योग में काम करते हैं। उसके ठेकेदारों के बहुत यूनिट्स हैं जो छोटे पैमाने पर काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वहां कृष्णा कत्था फैक्ट्री खोल दी गयी तथा नजीबाबाद के एक आदमी को जिसने कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन में काम किया था उसे इनाम के तौर पर फैक्ट्री खोलने की इजाजत दे दी गयी। यद्यपि उससे पहले सरकार ने घोषणा की थी कि बरेली फैक्ट्री के अलावा अन्य किसी को रियायत पर खैर के पेड़ नहीं दिये जायेंगे। साहू जैन, बिड़ला आदि जितना भी चाहें उनको बिजली मिल सकती है लेकिन कुटीर उद्योगों के लिये पूर्वी जिलों के लोगों को रिहन्द से बिजली नहीं मिल सकती है। एक नहीं, इस तरह के अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं।

पर्वतीय जिलों के विकास की बात भी बहुत कही गयी है। एक नक्शा मैं लाया हूं जिसे आपकी इजाजत से दिखलाना चाहता हूं। (नक्शा दिखाते हुये) तीन नये जिले बनाने का

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

जो यह स्वांग रचा गया है इस पर आप गौर करें। इस सिद्धांतहीन विभाजन से लोगों को बड़ी परेशानी होगी। पिथौरागढ़ सर हद से जितना दूर है जिसे इस क्षेत्र में लिया गया है उतना ही अल्मोड़ा है और पिंडारी तो एक दम सरहद से मिला है। ऐसी दशा में या तो पूरे जिले लिये जाते या दोनों तहसील मगर, श्रीमन्, यहां भी राजनीतिक दांव-पेंच से काम लिया गया है। चमोली तहसील जिसके उम्मीदवार विरोधी दल के हैं उनके इलाके को इसलिये लेना पड़ा कि वह उत्तर गढ़वाल में हैं इसलिये लाचारीवश उसे लेना पड़ा, मगर शेष भाग को छोड़ दिया गया है अन्यथा सारा हिस्सा उस क्षेत्र के अन्दर आ जाता। तो यहां भी राजनीति से काम लिया गया है।

कहा जाता है कि विकास के लिये २८ लाख रुपया रखा गया है। लेकिन सोचने की बात है कि ४ पहाड़ी जिले, पूर्वी उत्तर प्रदेश के १४,१५ जिले और बुन्देलखंड के ३, ४ जिले, इन सबके लिये २८ लाख रुपया रखने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। पर तमाशा यह है कि सरकारी पक्ष से डींग तो ऐसी मारी जाती है कि हिमालय पहाड़ को उखाड़ कर रख देंगे। तो अभी जो जिले तोड़े गये हैं, कहा गया है कि इससे जनता का भला होगा। जनता के प्रतिनिधियों की बात तो सरकार नहीं पूछती, हमसे तो कोई पूछता ही नहीं, लेकिन जो उधर वाले हैं उन्हीं से पूछ लेते, जो सेक्शन हावी है उनकी ही सुन लेते। उधर के लोग तो हम से कहते हैं कि भाई पार्टी का अनुशासन है उसकी वजह से हम तो ज्यादा कह नहीं सकेंगे हमारी तरफ से तुम ही कह देना। पार्टी का अनुशासन तो है ही, उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा, इसलिये मैं ही जो कुछ कहना है वह कह देता हूं चाहे हमारी कोई माने या न माने। इस तरह से यह सब चल रहा है, जब उधर अपने लोगों की ही बात पसन्द नहीं करते तब ये गद्दी पर बैठने वालों को हरा-हरा ही नजर आता है।

विकास कार्यों में हमें कहीं भी जनभावना का आदर या जनसहयोग दिखाई नहीं देता। एक चीज जरूर है कि नियोजन विभाग में साहबियत खूब बढ़ रही है, जब तक आप के अफसरों और जनता के बीच में खाई रहेगी जनसहयोग नहीं हो सकता, अगर आप के अधिकारी गांव गांव में जायेंगे और पैदल चलेंगे तब वह किसान तक पहुंच सकते हैं लेकिन अगर जीप पर साहब बनकर घूमा करेंगे तो कोई प्रोग्राम जनता तक नहीं पहुंच सकता। इससे न सिर्फ खर्च ही बढ़ता है बल्कि एफीशियेंसी के नाम पर रुपया भी बरबाद होगा। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि दुरुपयोग नहीं होता। अभी २ दिन हुये मैंने देखा था कि अपने यहां की सब्जी खरीदने के लिये ब्लाक से जीप आई थी, इस तरह से जीप और पेट्रोल का दुरुपयोग किया जा रहा है। बी० डी० ओ० के लड़के व बच्चे स्कूल और वे स्वयं सिनेमा या सब्जी खरीदने जीप में मजे से जाते हैं, अगर दही लाना है, सब्जी लाना है तो एक गैलन पेट्रोल सरकारी डाल कर जीप भेज दी जाती है। जबतक यह अफसर गांव-गांव पैदल चलकर किसानों के पास सहयोग की भावना से नहीं जायेंगे और यह जीप उनके पास रहेगी तबतक जनसहयोग नहीं हो सकता और न जनता का उनमें विश्वास ही हो सकता है। अगर साहब जीप से उतर कर टोप हाथ में लेकर पहुंचेंगे तो गांव वालों का वे विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। उनको कोई अपना आदमी नहीं समझ सकता। उनकी स्कीम को कोई अपनी स्कीम नहीं समझेगा।

इसके अलावा पीने के पानी की भी बहुत तकलीफ पहाड़ों में है। सरकार ने कहा है कि २५ परसेंट तुम नकद दो (यानी जनता)। श्रमदान करना हो तो वह आधा कर सकते हैं लेकिन नल के लिये नकद चौथाई पैसा नहीं दिया जाता है। अगर जलदान देना है तो कैश में न लें श्रमदान लें भले ५० प्रतिशत ले लें, उसमें हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन वहां पर पानी का प्रबन्ध पीने के लिये अवश्य होना चाहिये। इसलिये १० प्रतिशत से अधिक नल योजना में नकद रुपया नहीं लिया जाना चाहिये।

दूसरे, हमें इस बात की खुशी है कि अब मंत्री जी रीजनल बेसिस पर योजना बनाने की बात सोचने लगे हैं। अब तक इटावा प्रोजेक्ट के बेसिस पर हर जगह योजना बना कर लागू की गयी

लेकिन वह यह नहीं सोचते कि हर जगह वह एक-सी ही चीज कैसे फिट इन हो सकती है। जैसे किसी रूसी कोट को यहां के आदमी को फिट किया जाय, उसका शरीर बड़ा है तो कैसे फिट होगा, यहां के आदमी के शरीर को छील डालो और फिट कर दो, कोट लूज हो तब तो रुई और डाल दो। अक्लमन्दी इसी में है कि कोट मनुष्य के शरीर के लिहाज से हो। अगर सब जगह वही इटावा प्रोजेक्ट के माडल पर स्कीम और योजना चलाई जायगी तो वह हर जगह के लिये फिट नहीं हो सकती। इसलिये पहाड़ की विशेष परिस्थितियों को देखकर एक नया पाइलेट प्रोजेक्ट वहां बनाया जाय।

पर्वतीय जिलों के इस सिद्धांतहीन विभाजन से वहां के जनता की निराशा व घबराहट जो चीनी आक्रमण से आरम्भ हुई थी अब बढ़ गई है। ये सारे जिले एक साथ रहने चाहिये और नई व्यवस्था के भीतर लाने चाहिये। इसमें प्रांतीय सरकार की बहुत बचत होगी क्योंकि सारा रुपया केंद्र का है। जिलों के टूटने से वह emotional intigrity भी समाप्त होगी जिसका नेहरू जी बराबर जिक्र करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि पर्वतीय जिलों की एकता बने रहने दें और उनके प्रस्तावित टुकड़े न करें।

एक बात और जल्दी में कह दूं कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट जो हैं वे ब्लाक हेडक्वार्टर पर ही खुलते हैं। जहां पर पहले से अस्पताल होते हैं अक्सर वहीं नया यूनिट खुलता है। इससे जनता को उतना लाभ न होगा। इसलिये माननीय मंत्री जी ऊपर को लिखें कि उनको दूसरी जगह खोलने की व्यवस्था की जाय और नियमों में परिवर्तन किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र सिंह (जिला बदायूं)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन के सम्मुख माननीय मुख्य मंत्री ने रखा है मैं उसका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विषय बड़े महत्व का है। देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के बाद गरीबी हमारे देश को मिली। यह लीगेसी है। इस गरीबी को दूर करने के लिये हमारे देश के नेताओं ने सोचा कि किस तरह से इसको मिटाया जाय। पहली योजना सन् ५१ में बनाई गई और सन् ५५ तक रही। दूसरी योजना भी काफी हद तक आगे निकल गई है। थोड़े से वर्ष बाकी रह गये हैं। तीसरी योजना अब बननी शुरू हो गई है। ये योजनायें केवल एक ही चीज की ओर ध्यान देती हैं। वह यह कि हमारे देश और हमारे प्रदेश के लोग जो गरीब हैं उनकी गरीबी दूर हो। ये योजनायें, मैं समझता हूं, सदन के सम्मुख एक वाद-विवाद का विषय तो नहीं बननी चाहिये थीं। इधर के बैठने वाले हों या उधर के, यह तो सभी समझते हैं कि देश हमारा गरीब है और उन गरीबों को समृद्धिशाली और जल्दी से जल्दी इतना तो जरूर ही बना देना है ताकि वे रोटी खा सकें और कपड़ा पहिन सकें। इसमें तो केवल सुझाव देने की जरूरत है कि जो चीजें जिस तरह से हो रही हैं वे हमको उस तरफ ले जा रही हैं या नहीं जो कि हमारा लक्ष्य है।

मैं समझता हूं कि हममें से बहुत से आदमी इन योजनाओं के वास्तविक अर्थ को तो समझ नहीं रहे हैं, बहुत सी चीजें जो इधर-उधर की आमतौर पर देखा करते हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं और यह समझते हैं कि सब धन व्यर्थ जा रहा है। ऐसा नहीं है। नया काम जो शुरू करता है, जो आदमी उस काम से वाकिफ नहीं होता है, वह काम चलाता जरूर है लेकिन उसमें गलतियां भी करता है। उन गलतियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, यह सुझाव देने की जरूरत है।

मैं चूंकि गांव का रहने वाला हूं इसलिये गांवों की जरूरत को समझता हूं। ठीक है, हम बड़ी-बड़ी योजनायें बना रहे हैं, बड़े-बड़े लोहे के कारखाने बना रहे हैं, काश्तकारों को तरक्की देने के लिये बड़ी-बड़ी योजनायें बना रहे हैं। इन सबके लिये हमारे पास तो पर्याप्त धन है नहीं। वह धन हम बाहर से कर्ज ले रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग इन योजनाओं

[श्री हरिश्चन्द्र सिंह]

में लगे हुये हैं, जो इनको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनको इस बात का ध्यान होना सबसे पहले जरूरी है कि हम धन इस प्रकार से खर्च करें कि उससे जो आमदनी हो उससे हम सूद और असल दोनों अदा कर सकें। इसके लिये मैं समझता हूं कि इस बात का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि खर्च ज्यादा न हो। व्यर्थ खर्च न हो।

हम जहां पर योजना चलाने का काम शुरू करते हैं सबसे पहले वहां पर बड़े-बड़े मकानों की बुनियाद डालते हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा स्टेशन पहले बना देना जब तक कि रेल वहां पर पूरा सामान न ले जा सके, या रेल पहुंची न हो तो वह स्टेशन ज्यादा काम न देगा। हमारा देश कृषि प्रधान देश है यहां की जो नेशनल इनकम है वह ५० फीसदी कृषि या कृषि से संबंधित जो और कार्य हैं उनसे हुआ करती है। हमारे प्रदेश में तो ७६ फीसदी से ज्यादा आदमी इन कामों में लगे हुये हैं। अब क्या हम कृषि में, इन ८ सालों में जो योजनाओं के गुजर चुके हैं, कुछ उन्नति कर सके हैं जो हमारे लिये काफी हो जाय?

जैसा मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा था, हमारी आय अभी बढ़ी नहीं है। १९५५-५६ में हमारी आय १९५ थी अब उससे कुछ कम ही हुई है, यानी १९३ रु० पर कैपिटा है। यह मैं सरकारी आंकड़े दे रहा हूं। तो कहां पर हमने पहली और दूसरी योजना का इतना रुपया खर्च कर दिया कि उसके लगने के बाद भी हमारी आय बढ़ी नहीं? प्रोडक्शन भी कुछ ऐसा नहीं बढ़ा जिसको हम कह सकें कि कुछ बढ़ोत्तरी हुई। गेहूं का उत्पादन तो कम ही हुआ है, कुछ गिर गया है। तो हमको यह चीज देखना है कि कहां पर वह शिप (Ship) जो हमारा चल रहा है, टारपीडो हो रहा है। जब तक इन सब चीजों को रिव्यू नहीं करेंगे तब तक हम अपनी वास्तविक स्थिति और प्रगति को समझ नहीं सकेंगे।

दूसरी चीज जो अभी ज्यादा तेजी पर नहीं है, जो कि होनी चाहिये, वह यह है कि सबसे बड़ा मसला हमारे सामने खाद्यान्न का है। हम उस समय तक कोई तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि हम खाद्यान्न में आत्म-निर्भर न हो जायं। जो आदमी दूसरों के सामने खाने के लिये हाथ पसारेगा वह दुनिया में सर ऊंचा करके नहीं चल सकता। इसको बढ़ाने के लिये वार लेविल पर हमको कार्य करना पड़ेगा। हमारे प्रदेश में जो जोतने योग्य जमीन है उसमें से केवल १२ फीसदी जमीन पर सिंचाई का इंतजाम है। मैं आशा करता हूं कि नियोजन का रुपया खर्च करते समय इस समस्या पर ज्यादा ध्यान दिया जायगा ताकि ज्यादा से ज्यादा जमीन सींची जा सके। खाद्यान्न बढ़ाने के वास्ते सबसे पहले जमीन, पानी और उसके बाद खाद चाहिये। खाद बेकार है अगर पानी नहीं है। तो हमको पहले पानी का प्रबन्ध करना पड़ेगा।

दूसरी चीज जो गांवों को तरक्की देने के वास्ते है, क्योंकि भारत का अधिकांश भाग गांवों में रहता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि महात्मा गांधी जी इन तमाम बातों को सोच कर इसी चीज पर आये "बैक टू विलेजेज" गांव में हमारे खाने का इंतजाम करने वाला जो व्यक्ति है वह रहता है और यदि हम गांवों को इग्नोर कर देंगे तो वे खेती करने वाले आदमी पैदा नहीं करेंगे। उनके लिये सड़कों की जरूरत है। सड़कें गांव-गांव जितनी दूर तक हो सकें उतना ही अच्छा है। फिर पानी के कुओं की जरूरत है। फिर नियोजन ऊपर से ठूंसा नहीं जा सकता, यह इवाल्व आउट होना चाहिये। उसके लिये शिक्षा की जरूरत है। बहुत से ऐसे गांव हैं जिनकी आबादी डेढ़ हजार है लेकिन वहां शिक्षा का प्रबन्ध नहीं है। जहां पर शिक्षा का इतना अभाव हो वहां पर आदमी कैसे तरक्की कर सकता है और वह उस नियोजन को कैसे समझ सकता है?

जो ग्राम सेवक हैं चाहे उनको सेक्रेटरीज कहिये या बी० एल० डब्ल्यू०, वे गांव में जाकर बापू का रूप धारण कर लेते हैं और एक छोटा-सा अफसर बनना चाहते हैं। यह हमारे अन्दर कमजोरी है कि हम सभी इम्परीयलिस्ट टेम्परामेंट के हो जाते हैं। वे लोग भी गांव में जा कर

गांव के आदमी की तरह नहीं रहते। उनकी बोली, भाषा या रहन-सहन गांव के आदमियों का-सा नहीं होता। वे गांव में जाकर हुकूमत करने की कोशिश करते हैं। मैं आशा करता हूं कि जो नियोजन अधिकारी हैं वे इन चीजों पर ध्यान देंगे और जहां तक हो सकेगा इन गांवों के आदमियों को ही ऐसी जगह रखने की कोशिश करेंगे जो उनकी हालत व सामाजिक अवस्था को समझ सकें।

श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, यह नियोजन और विकास के सिलसिले में जो पुस्तिका माननीय सदस्यों को प्रदान की गयी है उसके दूसरे पृष्ठ पर लिखा हुआ है "कृषि हमारे राज्य की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। कृषि की उन्नति पर ही हमारे गांवों का विकास बहुत अंशों में निर्भर है। हमारे राज्य में खाद्यान्नों के अभाव की सार्वभौम समस्या के निवारण में व्यापक और जी तोड़ प्रयास हुआ है। इसके फलस्वरूप गांव-गांव में कृषि की उन्नत विधियों का व्यापक प्रचार हुआ। अभियानों की अवधि में १० लाख से भी अधिक ग्राम सहायकों को प्रशिक्षित किया गया जिन्होंने न केवल स्वयं उन्नत कृषि विधियों को अपनाया वरन् अपने पड़ोसियों को भी इन्हें अपनाने को सहमत किया" आदि, बहुत-सी बातें इसमें कही गयी हैं।

सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है और इसकी तरक्की व विकास से ही समूचे देश व प्रदेश का विकास समझा जा सकता है। इसके विकास के लिये जो साधन अपनाये गये हैं उनमें एक तो प्रकृति है और दूसरे वे शक्तियां हैं जो मनुष्यकृत हैं जिन्हें वह खेती की तरक्की के लिये इस्तेमाल करता है। हमारी सरकार अभी प्रकृति पर पूरे तौर से काबू नहीं पा पाई है। लेकिन अधिकार में भी जो साधन हैं उनका भी ठीक तरह से अभी प्रयोग नहीं हो सका है।

खेती के लिये अच्छा बीज, अच्छी खाद और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था चाहिये। सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिये सरकार इतना ही अपना काम समझती है कि उनके लिये जो धनराशि मुकर्रर की जाती है वह ब्लाक स्तर पर ३१ मार्च तक बंट जानी चाहिये। मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि सिंचाई के लिये जो रकमें तकावी व अनुदान के रूप में दी जाती हैं उनको सुचारु रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाता।

जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां विकास क्षेत्र काफी अर्से से काम कर रहा है। ५–६ वर्ष पूर्व तकावी के रूप में कुंओं के लिये जो रुपया दिया गया था उसके संबंध में मैंने गांवों में जाकर यह देखने का प्रयास किया कि इस दौरान में ये कुएं बने या नहीं बने। मुझे दुख होता है सदन में यह कहने से कि डेढ़ महीना मुतवातिर दौरा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि १० हजार रुपये के करीब जो तकावी बांटी गयी उसमें से केवल ३–४ कुएं बने और पंपिंग सेट्स के लिये जो रुपया दिया गया उसमें से केवल एक पंपिंग सेट खरीदा गया।

सिंचाई के आंकड़ों में तमाम वह रकबा जोड़ लिया गया होगा जो फार्म पर लिखा जाता है कि इस कुएं से इतने परसेंट सिंचाई बढ़ जायगी और उत्पादन भी इतने परसेंट बढ़ जायगा जबकि आज तक वह कुंआ बना ही नहीं। तो इन तरीकों से सिंचाई की योजनायें पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकतीं। दूसरे, ब्लाक के क्षेत्र में यह नहीं विचार किया जाता कि किस जगह हमें ज्यादा सिंचाई के लिये जोर देना है। जहां ट्यूबवेल न हों, नहरें न हों, वहां अगर अधिकारी पूरी तरह से कोशिश करें तो काम अच्छा हो सकता है। मगर देखा यह जाता है कि जहां पर नहरें हैं, ट्यूबवेल हैं वहीं पर कुंएं के लिये भी तकावी दी जा रही है और कुंये बन नहीं रहे हैं। अधिकारियों की यह मंशा रहती है कि ३१ मार्च तक किसी भी तरह रुपया बंट जाना चाहिये। इसी को वह अपनी कामयाबी समझते हैं और फिर यह

[श्री होरीलाल यादव]

प्रयास नहीं होता है कि जिस शख्स ने रुपया लिया उसने कोई कुंआ भी बनवाया या नहीं या उसको क्या दिक्कत पड़ रही है, ईंट मिल रही है या नहीं, सीमेंट मिल रही है या नहीं; और न कोई उसकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश ही की जाती है।

इसके अलावा जो फार्म भरा जाता है तो देहात के आदमी कोई पढ़े-लिखे तो होते नहीं हैं, नतीजा यह होता है कि एक-एक दरख्वास्त के लिये दस-दस बार उसे दौड़ना पड़ता है तब जाकर तकावी मिलती है क्योंकि कहीं लिख दिया जाता है कि तुमने "हां" नहीं लिखा, कहीं कह देते हैं कि तुमने "नहीं" नहीं लिखा। नतीजा यह होता है कि बेचारा किसान परेशान हो कर अपने घर बैठ जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि सिंचाई की छोटी-छोटी योजनाओं के लिये जो पैसा दिया जाता है वह उन इलाकों पर दिया जाय जहां पानी के दूसरे साधन न हों। इसके अलावा, किसान को नकद रुपया देने के बजाय जिस सामान की उसे जरूरत पड़ सकती है वह अगर उसको मुहैया करके दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

श्रीमन्, मेरा खयाल है कि किसी देश या प्रदेश के विकास के लिये अगर कोई सरकार अपने ही हाथों से करना चाहे तो वह पूरी तरह से नहीं कर सकती जब तक उस देश या प्रदेश के तमाम निवासी विकास के प्रयत्नों में सहयोग न दें। इसलिये विकास के कामों पर कितना पैसा खर्च हुआ और उससे कितने कुएं बने या क्या हुआ, यह देखने की चीज नहीं है बल्कि उस संबंध में जो पैसा खर्च हुआ हम उसको इस तरह से आंकना चाहते हैं कि उससे हम कहां तक किसान के पिछड़ेपन को खत्म कर सके, उसके दिल में विकास की योजनाओं के लिये कहां तक उत्साह पैदा कर सके।

अभी तक हम किसान के अन्दर यह नहीं जमा पाये हैं कि जो योजनायें बन रही हैं ये उसके लिये हैं, उसके हित के लिये हैं। यह इसलिये नहीं कर पाये हैं क्योंकि विकास का काम सामूहिक रूप में नहीं किया गया है। जो पैसा सामूहिक नाम पर दिया गया वह व्यक्तिगत काम के लिये इस्तेमाल होता है। कुआं बनवाते हैं, ट्यूबवेल लगवाते हैं मगर तमाम गांव के आदमी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं उनका यह खयाल होता है कि यह योजना साधारण आदमी के लिये नहीं हैं, सिर्फ बड़े आदमियों के लिये हैं, जो साधन सम्पन्न हैं, जिनकी ब्लाक के अधिकारियों तक पहुंच है उनके लिये है। इसलिये उनके दिल व दिमाग के अन्दर यह भावना नहीं पैदा हो पा रही है कि जो विकास का कार्य हो रहा है उससे हम भी फायदा उठा सकते हैं।

जो काम ब्लाक पर होते हैं उनको जनता देखती है। पुलिया, सड़क, इमारत बनती है। उसे जनता अपनी आंखों से देखती है। जो सड़क बनती है, चाहे वह पक्की ही क्यों न हो, दो तीन महीने के बाद उसका निशान नहीं रह जाता है। जो नालियां बनती हैं, पता नहीं चन्द दिनों में कहां गायब हो जाती हैं। इन बातों का जनता पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। इस तरह से जो पैसे का दुरुपयोग होता है उससे जनता के दिल में निराशा ही पैदा होती है, उत्साह नहीं पैदा होता। मैं मिसाल के तौर पर अपने डिप्टी मिनिस्टर साहब को याद दिलाऊंगा, उमर्दा ब्लाक को तो वह गये होंगे, अगर नहीं गये हैं तो मैं उनको दावत देता हूं। ४७,००० रुपये से जो इमारत बनायी गयी वह तीन वर्ष में ही फट गयी। इंजीनियर ने उसमें रहने वालों से कह दिया कि इसको आप छोड़ दीजिये वरना आपकी जिन्दगी के लिए बड़ा खतरा है। उस इमारत पर ४७,००० रुपया बरबाद हो जाने के बाद भी गत वर्ष इसी सदन में मैंने कहा कि उसकी जांच कर लीजिये, लेकिन आज तक कोई जांच नहीं हुई। जिन अधिकारियों ने उसको बनवाया था उनसे जवाब तलब किया जाता है कि तुमने कैसे बनवाया कि ४७ हजार रुपया खर्च करने के बाद तीन वर्ष में ही इमारत खत्म हो गयी।

यह इमारत वहां बनायी गयी है जहां ठीक सामने पुल है। जहां लेविल लो होता है वहीं पर पुल बनाया जाता है; उसके सामने इमारत नहीं बनायी जानी चाहिये। वर्षा के दिनों

में पूरी इमारत पानी से डूब जाती है। आंगन में पानी भर जाता है। सांप और बिच्छू का कोई अन्त नहीं। चारों तरफ धान के खेत हैं। वहीं पर बीच में वह इमारत है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ये छोटे-छोटे काम जो देहातों में बनाये जाते हैं, मजबूती के साथ बनाये जांय ताकि किसानों को यह खयाल न पहुंचने पाये कि उनका पैसा बेकार खर्च किया जा रहा है। मुख्य मंत्री जी ने पुस्तिका का प्रकाशन लिखते हुए यह कहा कि जिस मुल्क का चारित्रिक और नैतिक बल मजबूत होगा वह मुल्क आपत्तियों का खयाल नहीं करता। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आजादी के दिनों में इस प्रदेश ने अपने गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, आदमी को मुल्क की आजादी के लिए खड़ा कर दिया। जो नैतिक बल आजादी मिलने से पहले था क्या आज वह मौजूद है? आज वह नैतिक और चारित्रिक बल नहीं रहा। इसलिये नहीं रहा कि जो लोग उस जमाने में साधु बने हुये थे और जिनके आदेश पर जनता कुर्बानी करने को तैयार थी, क्या उस समय साधनहीन होने पर ही साधु त्यागी बने हुये थे? जब हम साधन सम्पन्न हुए तो क्या वैसे ही त्यागी रहे? जब रक्षक के रूप में चौराहे पर खड़े हुये और सांसारिक सुखों को, लक्ष्मी को, अपने पास से गुजरते देखा, हम अपने को रोक न सके।

श्री उपाध्यक्ष---समय समाप्त।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रगट करने का मौका दिया।

यह जो प्रस्तुत अनुदान है इसका मैं स्वागत करते हुये हृदय से समर्थन करता हूं। वास्तव में यह अनुदान हमारे समाज के कल्याण के लिये है। ऐसे अनुदानों से, ऐसे कार्यक्रमों से हमारे राज्य ने बड़ी तरक्की की है। यह कहना निर्मूल है कि तरक्की नहीं हुई। तरक्की हुई, देश का विकास हुआ और हो रहा है लेकिन इसमें सिर्फ मुझे यह कहना है कि जिनका विकास होना था उनका विकास नहीं हुआ, जिनके लिये विकास की योजनायें बनी थीं उनका विकास अभी तक नहीं हुआ है। तो विकास किनका हुआ? हमारी सरकार की देन से किसको मिला? जिनके पास कुछ था उनको मिला है और जिनके पास कुछ नहीं था अभी तक उनको नहीं मिल सका है।

माननीय महोदय, इसके लिये मैं ज्वलन्त उदाहरण आपको इस प्रकार दे सकता हूं। सिंचाई विभाग से पानी का प्रबंध हुआ। हजारों नहीं लाखों, लाखों नहीं करोड़ों, रुपया खर्च हुआ। वह करोड़ों रुपया खर्च होकर के पानी आया। उस पानी से सिंचाई हुई। लेकिन किसको फायदा हुआ? जिसके पास भूमि थी, जिसके पास जमीन थी, उसकी सिंचाई हुई, उसका फायदा हुआ। इसी प्रकार ऐग्रीकल्चर या और तमाम डिपार्टमेंटों से जो कुछ योजनायें हुईं, जैसे अच्छा बीज, अच्छी खाद, इससे किसको फायदा हुआ? जिनके पास खेत थे। बहुत कुछ तरक्की हो गई है। मैं देख रहा हूं। मुझे बहुत समय हो गया इसको देखते हुये। तमाम तरक्कियां हो गई हैं। लेकिन उनकी तरक्की हुई जिनके पास कुछ था। जिनके पास नहीं था उनकी तरक्की नहीं हुई है। तो इन योजनाओं से जो कुछ फायदा हुआ वह उन लोगों को हुआ जिनके पास कुछ था, भूमि थी या साधन थे।

अब मुझे इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जिनके पास भूमि नहीं है, भूमि के लिये जो तड़प रहे हैं उनको अभी तक इस राज्य में कुछ नहीं मिला है, उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं हो रहा है। जो कुछ थोड़ा-बहुत हो रहा है उसके लिये मैं सरकार का आभारी हूं, प्रबंधकर्ताओं का आभारी हूं। लेकिन जितनी जरूरत थी, उतना नहीं हो सका है। पहाड़ के सम्बन्ध में वहां के भूमिहीनों की बाबत म कह सकता हूं क्योंकि उनके लिये मैंने थोड़ी बहुत सेवा के कार्य किये हैं। उनको

[श्री खुशीराम]

भूमि अभी तक नहीं मिल सकी है। थोड़ी मिली है जिससे न तो उनकी भूख मिट सकती है और न उनकी कोई जरूरियात पूरी हो सकती हैं।

पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि इस वक्त में रामनगर से लेकर टनकपुर तक ५०० मवासा बैठे हुये हैं। जैसे प्राचीन काल में लोग कहा करते थे कि बड़े-बड़े लोग तपस्या के लिये पहाड़ों पर या समुद्र के किनारे बैठे रहा करते थे इस आशा में कि ईश्वर उनको मिलेंगे, इसी तरह से वे भूमिहीन, गरीब दुखी लोग बैठे हुये हैं सरकार के नाम पर कि सरकार हमें खेती के लिये भूमि देगी। अभी तक उनका कोई प्रबंध नहीं हो सका है। बहुत दिनों तक हल्ला-गुल्ला करने पर मैं मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुमायूं वन तथा सोचक (आर्या) कमेटी एक बैठायी है जो कि उनकी बातों को सुने और देखे कि कहां पर भूमि की आवश्यकता है, कहां पर क्या होना चाहिये, कहां क्या करना चाहिये। उस कमेटी ने जरूर कुछ काम किया है। लेकिन ५ सौ मवासे आज भी बैठे हुये हैं।

मैं देखकर आया हूं टनकपुर, छीनी चौकी के पास १५० मवासे ऐसे बैठे हुये हैं। मैंने उनके भी कागजात मुख्य मंत्री महोदय को पेश किये हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जमीन दी जाय। आज अगर उनका विकास हुआ होता, न योजनाओं से उनको लाभ पहुंचा होता तो आज वे ऐसी मुश्किलों में नहीं होते। पहाड़ों को छोड़कर किस तरह से वह वहां से निकाले गये हैं यह मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से लिखकर दे चुका हूं और उसका कुछ प्रबंध हो रहा है। लेकिन सदन के सामने मैं इसे इसलिये लाया हूं क्योंकि तमाम सदन के सम्मानित सदस्य चाहे वह इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के, हरिजनोत्थान के लिये आज एक मत हैं। यह हमारे लिये इस देश में और इस सदन में सौभाग्य की बात है। ऐसे कार्य हों जिनमें हरिजनोत्थान हो उनमें किसी का मतभेद नहीं है। उनका सभी कल्याण करना चाहते हैं लेकिन अभी तक ऐसी योजना नहीं बन सकी।

इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यथा शीघ्र उनके लिये योजना करें और जिस प्रकार से (आर्य) कमेटी ने सिफारिश की है उनको भूमि मिलनी चाहिये। मुझे आज बहुत समय इस भूमि के लिये प्रार्थना करते हुये हो गया है। यह बात जरूर है कि जो बहुत दिनों से भूमि पर काबिज हैं उन लोगों का हक हो जाता है क्योंकि वे पहले से काबिज हैं लेकिन जिनके पास भूमि नहीं है उनको भी भूमि मिलनी चाहिये।

इसके अलावा जो जंगल हैं उन पर जंगलात विभाग का अधिकार हो गया है। जंगलात विभाग ने ऐसी भूमि घेर रखी है जो उनके काम की नहीं है। ऐसी भूमि सब जंगल के अन्दर आ गई है। इसके अलावा जो और जगह बची है उन पर फारेस्ट पंचायत कमेटी का अधिकार है। मैं यह समझता हूं कि इन छोटे गांवों की सुविधा के लिये उनको जमीन दें। उनके पास जमीन न रहने से कोई साधन नहीं रह गया है। वहां पर उनको जमीन नहीं दी जाती है। यह उनके लिये दिक्कत है। सड़कों के किनारे पर जो जमीन है वह पी० डब्लू० डी० के अधिकार में गयी है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। गर्मपानी में एक लालूराम शिल्पकार हैं जो लाठी बनाने का काम करता है। वह अपनी दुकान के लिये २५ फुट जगह चाहता है। उसको प्रयत्न करते हुये ७ वर्ष हो गये लेकिन अभी तक उसको इतनी भूमि नहीं मिली है जो वहां पर एक गांधी चबूतरा है, यह उसके पास है। एक ब्राह्मण ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है उसको मिल गई। हरिजनों की बस्ती में जाकर गांधी जी ठहरा करते थे लेकिन गांधी चबूतरे के एक हरिजन आदमी को भूमि नहीं मिल रही है।

एक तरफ जंगल विभाग कहता है कि पी० डब्लू० डी० की भूमि है और दूसरी तरफ पी० डब्लू० डी० कहता है कि जंगलात विभाग की भूमि है। उस गरीब को भूमि नहीं मिलती है। इस जनतांत्रिक राज्य में यह हालत हो रही है। इसका यथाशीघ्र प्रबंध होना जरूरी है। राष्ट्र का जो कमजोर अंग है उसका खयाल होना चाहिये। अगर एक अंग कमजोर रहता है

तो राष्ट्र बलवान नहीं कहा जा सकता। जब उनका सुधार होगा और उत्थान होगा तभी राष्ट्र बलवान होगा। मैं आशा करता हूं कि इस तरफ ध्यान दिया जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं आपकी आज्ञा से माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियोजन के माध्यम से जो हमारा ध्येय था कि हम अन्न के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे, आज जहां तक देखने को मिलता है कि हम अन्न के मामले में अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हुये। जैसा कि सभी जानते हैं, पैदावार कुछ प्रतिशत बढ़ी है लेकिन उसके साथ-साथ जमीन भी कुछ बढ़ी है। ५३-५४ से इधर जो मैं आंकड़े देखता हूं तो ७ फीसदी पैदावार बढ़ी है और जमीन के आंकड़े में भी ५। फीसदी जमीन की बढ़ोत्तरी हुई है। इसलिये जो नतीजा निकलता है और जो देखने में आता है वह यह कि १। या १।। फीसदी हमारा उत्पादन बढ़ा है। तो हमारा जो लक्ष्य था उसमें हम काफी प्रगति नहीं कर सके। इसलिये मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस तरफ विशेष ध्यान दें।

यहां पर रबी और खरीफ आन्दोलन का बहुत जिक्र आया कि उससे बड़ा फायदा हुआ है। इसको मैं मानता हूं कि कुछ लोग जगह जगह इससे आन्दोलित हुये लेकिन उसका जनरल तरीके का जो असर होना चाहिये वह आज तक नहीं हो पाया। हम देखते हैं कि गांव में बी० डी० ओ० या ए० डी० ओ० शाम तक घूमकर अपने सेंटर में आ जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि देहात के किसानों की समस्या सुलझे, उनकी पैदावार ज्यादा हो, उनकी खेती अच्छी हो तो हमको इस बात पर विचार करना होगा कि हम उनको किस तरह से आन्दोलित करें। हमारे सामने एक सवाल यह आता है कि बी० डी० ओ० या ए० डी० ओ० जब शाम को सेंटर में आ जाते हैं, गांवों में प्रधान से वह मिलते हैं। किसान तो दिनभर अपने काम में लगे रहते हैं, उनसे वह नहीं मिल पाते। उसका नतीजा यह होता है जिस तरह से यह एक सामूहिक आन्दोलन चलना चाहिये उसको हम वह रूप नहीं दे पाते हैं इसलिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह के आदेश होने चाहिये कि ए० डी० ओज० गांवों में रहें और तमाम किसानों को इकट्ठा करके समझायें कि हमारे प्लान की रूपरेखा क्या है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार वे ज्यादा कारगर हो सकेंगे। मैं १५ तारीख को अपने गांव में गया था, वहां डबलपर गेहूं की जो खेती की जाती है उसे देखने गया। मेरे सिर पर वह गेहूं लग रहा था लेकिन उसके लिये उनके पास सिंचाई के साधन नहीं हैं। नये किस्म की यह जो बोवाई हो रही है उसमें तीन पानी की आवश्यकता होती है। मैं चाहता हूं कि उसके लिये सिंचाई का ठीक प्रबंध हो। उसके लिये पक्के कुएं और रहट की जो योजना है उसे बड़े पैमाने पर चलाने की आवश्यकता है। जहां नहरें और ट्यूबवेल नहीं हैं वहां सिंचाई की छोटी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात उद्योग धंधों के बारे में है। उनके लिये ब्लाक की तरफ से काफी कोशिश की जा रही है। हमारे देश के पुराने उद्योग-धंधे उजड़ते चले जा रहे हैं और जो लोग नये ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं उनको हम ठीक से काम नहीं दे पाते और नतीजा यह होता है कि वे बेकार रहते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि बनारस के साड़ी और पीतल के बर्तन और टांडा के जामदानी के उद्योग जो उजड़ रहे हैं, उनको संगठित किया जाय। देहातों में बहुत से करघे चलते हैं और भदोही और मिर्जापुर में कालीन का उद्योग बड़ी खराब हालत में है। इनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये और इनके उजड़ने के पहले सोसाइटीज या मार्केटिंग सोसाइटीज बना कर उन्हें संगठित कर देना चाहिये ताकि वे सफलीभूत हो सकें। बनारस का साड़ियों का उद्योग ऐसा है

[श्री ऊदल]

कि उसमें दलाल पैदा हो गये हैं जिनके कारण वहां के कारीगरों को महीनों तक पैसा नहीं मिल पाता और वे लूटे जाते हैं। इसकी तरफ खास ध्यान देने की आवश्यकता है।

जैसा गौरीशंकर राय जी ने कहा, ग्राम सेवक भी वही कागज तैयार करता है जो सेक्रेटरी तैयार करता है और ए० डी० ओ० भी वही कागज तयार करता है कि कितना कम्पोस्ट बना, कितनी बोवाई हुई, आदि, आदि; तो यह सेक्रेटरी और ग्रामसेवक का पद अलग-अलग रहने की आवश्यकता मुझ समझ में नहीं आती। इनके अलग २ होने का कोई फायदा हम को नहीं मिल रहा है। इस पर विचार किया जाय और मैं समझता हूं कि दोनों को एक कर देने से फायदा हो सकता है। उनका कार्यक्षेत्र भी कम हो जायगा क्योंकि एक अदालती पंचायत के अन्दर १०, १२ या ८, ९ गांव आते हैं, और वे अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।

एक बात और मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में कहना चाहता हूं। यह जो हमारे सामने आडिट रिपोर्ट है इसमें मैंने देखा है कि बहुत से कामों के लिये जो रुपया मंजूर होता है वह खर्च नहीं हो पाता है और उसमें से वह रुपया बच जाता है जिससे कितने ही हमारे विकास के कार्य रुक जाते हैं। वह काम पूरा नहीं हो पाता है। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये।

एक बात और है। जैसा कि माननीय खुशीराम जी ने भी कहा, हमें पानी पीने की व्यवस्था करनी चाहिये। जहां पर लोगों के पीने के लिये पानी नहीं है, वहां पर पानी का प्रबंध करना चाहिये। मैंने देखा है कि जिन लोगों को रुपये की जरूरत नहीं है वहां रुपया दिया जाता है और जिनको जरूरत है उन्हें रुपया नहीं दिया जाता। १० फीसदी रुपया उनको दिया जाता है जिनकी जरूरत है और ९० फीसदी उनको दिया जाता है जिनके पास रुपया है और साधन मौजूद हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि ब्लाक अधिकारी हर ब्लाक की जांच करें कि कहां पर पानी की आवश्यकता है, कहां-कहां पर किस-किस चीज की आवश्यकता है, और उसके अनुसार वहां के लिये रुपया दिया जाय। एक बात अपने क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहता हूं, उस क्षेत्र से माननीय मुख्य मंत्री जी का भी सम्बन्ध रहा है, वह बड़ा गांव है, उस इलाके में ब्लाक का होना बहुत जरूरी है। उस ओर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ध्यान दें। इसके अलावा एक गांव सिधौरा है, वहां पर १० मील के एरिया में कोई चिकित्सालय नहीं है। वहां पर चिकित्सालय का भी प्रबंध होना चाहिये।

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री राजबिहारी सिंह)—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से, माननीय रघुरनतेज बहादुर सिंह जी ने जो १०० रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश किया उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको ग्रामीणों की बड़ी चिन्ता है और वहां पर सुधार चाहते हैं, इसलिये इस १०० रुपये की कटौती को वापस ले लें, इससे कम से कम वहां पर ४–५ लालटेनों का ही प्रबंध हो जायेगा और कुछ उनका काम चल सकेगा।

मान्यवर, इस हाउस के बाहर यदि हम चलें, गांव के अन्दर जाकर देखें, तो हमें मालूम होगा कि विकास की ज्योति हर गांव में पहुंच गयी है। मैं पहले राजनारायण सिंह जी की बात को ही लेता हूं, वह हमारे देहात के ही प्रतिनिधि हैं, उनको मैं यह बतलाना चाहता हूं कि कितना विकास हमारे गांव में हुआ है। मुझे ३० साल पहले की एक घटना याद आती है। हमारे बनारस जिले में, गंगापुर में, एक पोलिटिकल कान्फ्रेन्स ३० साल पहले हुई थी और मोहन लाल सक्सेना उसके अध्यक्ष थे। मुझे याद है कि उस सम्मेलन में कवल राजनारायण सिंह जी के परिवार वालों के तन पर कपड़े थे और बाकी सम्मेलन की १० हजार जनता में से आध के तन पर कपड़े नहीं थे और नंग थे। लेकिन आज उसी क्षेत्र में, जहां कि राजनारायण जी रहते हैं, हजारों आदमियों के पास, जाड़े के दिनों में भी और गर्मियों के दिनों में भी, आज धोती भी है, कमीज भी है, कुर्ता भी है। सभी कपड़े हैं।

आज वे बाजार में आते हैं तो सीना तान के आते हैं। आज वे लोग टाउन एरिया, म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि के चुनाव में एक दूसरे को हराते हैं। आप बाहर जायें

तो देखे कितना विकास हुआ है। मैं यह भी कह रहा हूं कि पहले हम लोग ४ मील दूर प्राइमरी स्कूलों में उनके गांव में पढ़ने जाते थे और आज उनके गांव के बीच में चार-चार हाई स्कूल हैं। दो दो अस्पताल हैं। यह उन्नति है। अगर कुछ नहीं है, तो है क्या? जैसा कि भाई सुल्तान आलम खां ने शेर पढ़ा, अगर राजनारायण सिंह उसके आदी हों तो कोई तरक्की नहीं हुई है।

(इस समय ३ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जैसा कि मैंने राजनारायण जी के क्षेत्र की बात कही, वैसे ही सारे प्रदेश की बात कहता हूं। मैं अभी लखीमपुर गया था २१ तारीख को। ऐसा बीहड़ जंगल है वहां जहां कोई जा नहीं सकता और शारदा और घाघरा को पार करने में एक सप्ताह लग जाता है, वहां आज चीनी मिल खुली हुई है, बड़े-बड़े फार्म हैं, बिजली है ४-४ करोड़ का जूट वहां किसान पैदा करता है। वहां के किसान के एक एक पैसे की कटौती से उस जंगल में स्कूल खोल रखा है। देखने के काबिल चीज है। मेरे साथ यहां के सदस्य लालबहादुर सिंह गये थे। ऐसे ही और जिलों में भी देखा जा सकता है, सभी प्रगति के पथ पर हैं। यह सही है कि कहीं पर कम हो सकती है क्योंकि आज हर आदमी सर्वज्ञ नहीं है। हम ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं कि हम सब पूरा कर सकते हैं।

एक बात सरकारी अफसरों की कही गयी। अगर सरकारी अफसर राजनारायण सिंह को घसीटें तब भी बुरा, अगर पूरी उनकी मदद करें तब भी चोर, अगर जीप से रात को घर भिजवायें तब भी चोर। सरकारी अफसरों की हालत ऐसी हो गयी है कि पूरब में कहावत है कि "अबरा की मेहरारू, सारे गांव की भौजाई," उसके लिये चाहे जो कोई चाहे जो कुछ जब चाहे कह, वह बोल नहीं सकता। विधान सभा में जो चाहे कह डालिये, कोई बुराई नहीं है। मैं यह कहता हूं कि बाहर हम और आप क्या कहते हैं, हमारे और आप के साथी कौन लोग हैं। आज समाज में विकास के प्रति समाज के कानून को भंग करने की किसकी जिम्मेदारी है? हमारे और आपके साथ जो चोर हैं, जो चोरी कर के आते हैं हम उनको तरजीह देते हैं। अगर राजनारायण सिंह बाहर पूछें तो मैं बता सकता हूं, यहां के प्रतिनिधि हैं, यहां नहीं बता सकता हूं।

श्री राजनारायण---यहां क्यों नहीं बताते? अपने वचन का पालन कीजिये!

श्री अध्यक्ष---आप शान्त रहें। यहां न आप पूछ सकते हैं, न वह बता सकते हैं।

श्री राजबिहारी सिंह---यह बात मैं उनके घर पर, घर के सामने कह सकता हूं कि कौन-कौन लोग उनके साथी हैं। यहां कहने से तो कोई फायदा नहीं होगा।

श्री राजनारायण---बाहर आप कहां बोलते हैं?

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठें। बात यह है कि इस तरह से कहने के बजाय कि "मैं बताऊं", यह आप कह सकते हैं कि मेरे कमरे में आयें तो बताऊं। अगर यहां पर आप कहेंगे तो वह चैलेंज करेंगे और आप को कहना पड़ेगा।

श्री राजनारायण---मैं आपके कमरे में चला जाता हूं, औरों के यहां जाने की मेरी आदत नहीं है।

श्री राजबिहारी सिंह---यहां उनको बतला नहीं सकता हूं। मैं उनके गांव में, उनके क्षेत्र में, कह सकता हूं। जब जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में लड़े हैं, जब उनके भाई खड़े हुये हैं

[श्री राजबिहारी सिंह]

तो यहां ऊदल भाई बैठे हुए हैं उनके क्षेत्र से बुलाकर के एक आदमी को उनके भाई को हराया है। यह गांव में कह सकता हूं, यहां कहने की बात नहीं है।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, यह उनकी बात करते हैं जिनके सम्पूर्णानन्द श्री एजेंट थे १९३४ में। इस तरह की बात मत करो। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बन गये तो बड़े लाट साहब नहीं बन गये।

श्री राजबिहारी सिंह—अगर असल बात कही जाय तो आदमी को बुरी लगती है। अध जल गगरी छलकत जाय, अगर ऐसा किस्सा हो तो उसकी दवा मेरे पास नहीं है।

जहां तक प्लानिंग का सवाल है, आप देखें कि प्रत्येक स्थान पर रबी अभियान, खरीफ अभियान, सड़कें और खड्जे लग रहे हैं...

(व्यवधान)

श्रीमन्, जहाँ तक स्कूल खोलने, रबी और खरीफ अभियान चलाने और दूसरे विकास कार्यों का सम्बन्ध है वहां हमारे प्रदेश में एक कमी है। वह यह है कि आज हमारे प्रदेश में खेती के पुराने औजार ही चल रहे हैं, उनमें तब्दीली नहीं हुई है इसलिये इस तरफ हमारे जो विकास के अधिकारी हैं उनका ध्यान जाना चाहिये। आज जहां गांवों में अच्छा बीज बांटा जाय, खरीफ आन्दोलन चलाया जाय वहां पर कृषि के उन्नतिशील औजारों को भी बनाना चाहिये। आज वहां पर वही एक इंच चौड़ा फार चला आ रहा है। इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि स्पोर्ट्स काउन्सिल को भी एक तरफ ध्यान देना चाहिये कि गांवों में आज वालीबाल, टेनिस वगैरह गेम्स के सामान की आवश्यकता नहीं है। वहां पर हर अखाड़े पर उसे मुगदर देना चाहिये, हर अखाड़े पर गदा देनी चाहिये, हर अखाड़े पर जोड़ी देनी चाहिये क्योंकि वालीबाल और फुटबाल के खेलने के लिये जमीन चाहिये, अच्छा मैदान चाहिये लेकिन ये जो दूसरी चीजें हैं जैसे मुगदर, जोड़ी और गदा, ये प्रत्येक घर में प्रत्येक गांव में बिना किसी जगह के काम में लाई जा सकती हैं। इससे वहां के लोगों का स्वास्थ्य बढ़ सकता है और यह हमारी पुरानी परम्परा के अनुसार भी है। मैं समझता हूं कि इस ओर अवश्य ध्यान जाना चाहिये।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज देहातों में हरिजनों के कुओं की बड़ी दिक्कत है। मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट इस बात की सर्वे करा ले कि कितनी हरिजन बस्तियां हैं और कितने कुएं चाहियें और उनको विभाग अपनी तरफ से वहां पर बनवा दें, तब यह काम ठीक हो जायगा।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाय। श्रीमन्, यह सही है कि श्री राजबिहारी सिंह, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, हमारे ही क्षेत्र से आते हैं और यह भी सही है....

श्री अध्यक्ष—इसमें आपके ऊपर क्या बात है ?

श्री राजनारायण—श्रीमन्, उन्होंने कहा कि हमारे कारिन्दे जिनको पहले डंडे से मारते थे वे लोग अब मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कौन कारिन्दा था।

श्री अध्यक्ष—आप डिनाई कर सकते हैं कि आपका कोई कारिन्दा नहीं मारता था, आप अपना एक्सप्लेनेशन ही दीजिये।

श्री राजनारायण—मैं बता रहा हूं कि हमारा कौन कारिन्दा था...

श्री अध्यक्ष—आप अपनी पर्सनल बात कहिये।

श्री राजनारायण—मैं बता रहा हूं कि हमारा कारिन्दा कोई दूसरा नहीं था बल्कि वह श्री राजबिहारी सिंह का एक रिश्तेदार था, उसने कभी किसी को नहीं मारा। बिलकुल गलत बात कही गई। और, श्रीमन्, जिस स्कूल में पढ़ने की बात कह रहे हैं वहां पहले खाई थी.....

श्री अध्यक्ष—यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपने कह दिया कि आपके कारिन्दे ने किसी को नहीं मारा; वह काफी है।

श्री राजनारायण—जी हां। श्री राजबिहारी सिंह अपने को उस कोटि में न ले जायं। देत हिमायत की गयी, ऐरावत के लात।

श्री गौरीशंकरराय—अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि हमारे दोनों मित्रों को एक साथ बोलने दिया जाय जैसे कि आम तौर पर बनारस के घाटों पर पंडे बोला करते हैं।

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग विभाग में आज सीलिंग और कोआपरेटिव फार्मिंग की बड़ी चर्चा हो रही है। म आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीलिंग का जो बिल बनाया गया है वह बिलकुल एकतरफा है। इसमें शहरों के रहने वाले बड़े-बड़े उद्योगपतियों और बड़े-बड़े दूकानदारों पर कोई सीलिंग नहीं लगाई गई है। सिर्फ जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं उन्हीं के ऊपर सीलिंग लगायी गयी है। इसका नतीजा यह हुआ कि ५४–५५ से लेकर आज तक पैदावार गिरती ही चली जा रही है। इसके आंकड़े पुस्तिका से, श्रीमन्, मैं पढ़ देना चाहता हूं। वे इस प्रकार हैं:—

१९५४–५५	१२२
१९५५–५६	११५
१९५६–५७	११७
१९५७–५८	१०७.७

श्रीमन्, इन आंकड़ों से यह भली प्रकार से विदित है कि खाद्यान्न की उपज में किस प्रकार से कमी होती चली गयी है।

बहुत से ऐसे देश हैं जहां कोआपरेटिव फार्मिंग का इस्तेमाल हुआ है लेकिन वे खुद उसको अच्छी निगाहों से नहीं देख रहे हैं। फिर हमारी सरकार क्यों इसको करने पर जानबूझ कर उतारू हो रही है? मैं आपकी आज्ञा से क्रोनिका बोटेनिका के कुछ आंकड़े, जो ज २१७ पर दिये हुए हैं, पढ़ देना चाहता हूं:—

देश का नाम	कैलोरीज प्रति एकड़
नार्थ अमेरिका	२,५००
साउथ अमेरिका	४,७००
वेस्ट यूरुप	७ ५००
यू० एस० एस० आर०	२,३००
ईस्ट एशिया	५,५००
साउथ एशिया	३,६००

जब कि दूसरे देशों में इस प्रयोग से कोई फल नहीं निकला तो फिर इस प्रथा को यहां लागू क्यों किया जा रहा है, मेरी समझ में नहीं आता।

श्रीमन्, डिप्टी मिनिस्टर साहब ने कहा कि बी० डी० ओज० को जीपें दी गई हैं; उनके लेने में कठिनाई है क्योंकि वह किसी दोस्त के द्वारा दी गयी हैं। वह दोस्ती का प्रतीक है।

[श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह]

श्रीमन्, कोई दोस्ती में हाथी दे दे और उसके खिलाने पिलाने का खर्चा न दे तो क्या उसके खिलाने पिलाने में आदमी तबाह नहीं हो सकता ? क्या जीपों की मरम्मत और पेट्रोल के लिये भी खर्चा उसी दोस्त द्वारा दिया जाता है ? इसलिये इस बारे में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में ठोस कदम उठायें और नाजायज खर्चा होने से बचायें। इससे जो देहात में एक झिझक पैदा होती है उसको दूर करें ।

यह भी बताया गया कि छोटी सिंचाई के बारे में बहुत सा अनुदान इस बजट में रखा गया है। लेकिन मेरी इत्तला है कि पीने के पानी के कुओं के लिये तो अनुदान दिया जाता है, सिंचाई के लिये नहीं दिया जाता । सिंचाई के लिये कुओं को तकावी दी जाती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सिंचाई के कुओं के लिये भी अनुदान दिया जाय। अगर अनुदान दिया जाता है तो मंत्री जी स्पष्टीकरण करने की कृपा करें। इसी प्रकार से पुराने कुओं की मरम्मत क लिय भी अनुदान दिया जाय। जो प्लानिंग है उसमें हमारी जो भारतीय पुरानी कलायें थीं, और ज्योतिष विद्या थी जिसमें भारत सदा ही अग्रणी रहा है उसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है कि किसी विश्वविद्यालय में इसका अलग स्थान रहेगा या इसके अनुसन्धान के लिये कोई व्यवस्था की जायगी। तो मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि ये जो पुरानी कलायें हैं, और जो हमारे शास्त्र हैं जिनके जरिये हम उत्थान कर चुके हैं उनके लिये विशेष प्रबन्ध इस बजट में किया जाय और उसके लिये अलग से एक संस्था कायम की जाय जिससे हमारी पुरानी संस्कृति तथा कलाओं का लोप न हो।

श्रीमन्, मुझे मालूम हुआ है कि एक डेवलपमेंट प्लान बना है जिसमें यातायात के साधन जो सड़क आदि हैं उनकी प्रायरिटी दूसरे या चौथे नम्बर पर भी नहीं रखी गयी है। आज केवल सिंचाई या खाद्योत्पादन पर ही सारा रुपया खर्च कर देने से ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति का सुधार नहीं होगा जब तक कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की भी व्यवस्था न हो। अगर एक चीज जहां पर पैदा हो वहीं पर वह पड़ी रहे, मार्केट तक उस को ले जाने के लिये कोई साधन ही न हो तो वह उसी जगह रखे रखे सड़ जायगी या बर्बाद हो जायगी। लेकिन अगर उस उस स्थान से मार्केट तक ले जाने का प्रबन्ध हो जाय तो उससे बहुत मुनाफा हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सड़कों के लिये वे विशेष प्रबन्ध करें तथा सिंचाई और खाद्योत्पादन को जहां प्रायरिटी दी जाय उसके बाद के नम्बर पर ही रोड कंस्ट्रक्शन को प्रायरिटी दी जाय।

श्रीमन्, आप के द्वारा मैं कुछ और सुझाव माननीय मुख्य मंत्री जी को देना चाहता हूं। ये जो बी० डी० ओज० हैं इनके पास ४ ए० डी० ओज०, सोशल, एग्रीकल्चर और एनीमल हस्बेंडरी आदि न जाने क्या क्या के हैं और इस तरह से बी० डी० ओज० को मिला कर ५ आफिसर एक जगह हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि इन पांच आदमियों के स्थान पर केवल विकास अधिकारी तथा सहायक विकास अधिकारी द्वारा ही काम चलाया जा सकता है। इस तरह से तीन चार एकस्ट्रा हैंड्स रख कर उनकी तनख्वाह, भत्ता आदि पर जो इतना धन व्यय किया जाता है उसको बचा कर किसी दूसरे काम में लगाया जा सकता है।

इसी तरह से ग्राम सेवक तथा पंचायत सेक्रेटरी जो रखे गये हैं दोनों करीब-करीब एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, सिर्फ उनकी तनख्वाह में अन्तर रखा गया है। एक तो यहां से रिक्रूट हो कर जाता है जो सुपरह्यूमन हो जाता है उस का वेतन ११५-१२० हो जाता है और पंचायत सेक्रेटरी ८०, ८५ रुपये तक ही रह जाता है। केवल इतना ही उन दोनों में फर्क है। तो मैं चाहूंगा कि दोनों के कार्य को एक में मिला दिया जाय जिससे उचित रूप से और अच्छी तरह से गांव के कार्य की देखभाल हो सके। मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मेरे इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया और खासतौर से उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने हमारी मांग को सदन के सामने प्रस्तुत किया तथा समर्थन किया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जिनको मैं अपने गुरू तुल्य समझता

हूं इस बात की आशा करता हूं कि वे मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे और मेरे क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुये अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव का सदन से समर्थन करने के लिये निवेदन करता हूं।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द––अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब देते समय कटौती प्रस्ताव पेश करने वाले माननीय सदस्य ने दो एक बातों का जिक्र किया जो कि मेरी समझ में, जो अनुदान हमारे सामने है, उससे विशेष सम्बन्ध नहीं रखतीं। फिर भी चूंकि उन्होंने उनका जिक्र किया है, एक दो वाक्यों में मैं उनके सम्बन्ध में कुछ कह दूंगा। उन्होंने सीलिंग लगाने और कोआपरेटिव फार्मिंग का जिक्र किया। प्लानिंग का जो अनुदान है उसके सिलसिले में मेरी समझ में इस प्रश्न को उठाने की आवश्यकता नहीं थी, यह तो जब लैंड रेवेन्यू का विषय आयेगा उस समय उठाया जाता तो ज्यादा उचित होता। जो प्रमाण उन्होंने दिये और जिक्र किया और जो उदाहरण दिये वे अपनी जगह पर ठीक होंगे, लेकिन उनकी चर्चा कर के इस वक्त सदन का समय लेना उचित न होगा।

इसके साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि जो प्राचीन कलायें हैं उनकी रक्षा करना चाहिये और उनमें उन्होंने ज्योतिष का भी जिक्र किया। साधारण तौर से जैसे संगीत, चित्रकला है, इन चीजों का नाम कलाओं में आता है। इसका एक अनुदान पहले हो चुका है जिसमें इन चीजों की चर्चा थी, इत्तफाक से उस समय वह इस प्रश्न को नहीं उठा सके।

जहां तक चित्रकला की बात है, अपने यहां से उस के लिये एक कालेज आफ आर्ट मौजूद है और उसकी प्रतिष्ठा भी देश में अच्छी है और संगीत के लिये भी एक कालेज यहां मौजूद है जिसमें केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं बल्कि दूसरे तमाम प्रदेशों से और कभी-कभी तो दूसरे देशों से भी लोग पढ़ने आते हैं। और कलाओं के सम्बन्ध में मैं क्या कहूं, जहां तक ज्योतिष की बात है, ज्योतिष की गणना तो साधारण तौर से कलाओं में नहीं होती, वह तो विज्ञान का एक अंश है और जहां तक विज्ञान की बात है उस में प्राचीन और अर्वाचीन का भेद नहीं किया जा सकता।

उस जमाने को देखते हुए जबकि उनको काम करने का अवसर मिला था, हमारे ज्योतिषियों को अपने विषय का बहुत ज्ञान था। उन्होंने बहुत सी ज्ञान सामग्री संग्रह की। यह भी सही है कि हमारे प्राचीन ज्योतिषी उस जगह पर पहुंचे थे जहां कि आज से ढाई तीन सौ वर्ष पहले पश्चिम का ज्योतिष शास्त्र पहुंचा था, लेकिन ज्योतिष का एक छोटा-सा विद्यार्थी होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि पिछले ३०० वर्षों में जितना ज्ञान का संग्रह हुआ है उसका स्वप्न भी हमारे प्राचीन ज्योतिषियों को अपने काल में नहीं हुआ। फिर भी जो ज्ञान वह है वह आप के संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाया तो जाता ही है और यह भी कोशिश है कि मार्डन एस्ट्रा नामी का भी ज्ञान विद्यार्थियों को कराया जाय। (एक आवाज––कौन सी ज्योतिष?) मैं गणित ज्योतिष की बात कह रहा हूं जिसको सैद्धान्तिक ज्योतिष कहते हैं। इस सम्बन्ध में तो मुझे इतना ही निवेदन करना था।

अन्त में उन्होंने एक बात यह भी कही थी कि मैं उनकी कांस्टीटुएन्सी का खयाल करूं। क्या बताऊं? अभी थोड़ी देर पहले २ माननीय सदस्यों में एक विवाद उठ गया था कांस्टीटुएन्सी की बाबत, श्री राज नारायण और श्री राजबिहारी सिंह में.....

श्री राजनारायण––उसको छोड़ दीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––उस को मैं एक दम छोड़ ही रहा हूं, जो चर्चा उठाई गई उस का मैं जिक्र भी नहीं करता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

माननीय सदस्यों ने प्लानिंग के सम्बन्ध में अपनी राय प्रकट की। उनको हम मोटे तौर से दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक वर्ग तो उन माननीय सदस्यों का है जिनका कि ऐसा खयाल है कि पिछले १० वर्षों में प्लानिंग के नाम से जो कुछ काम हुआ वह सब व्यर्थ हुआ। एक-एक पैसा खराब किया गया। राष्ट्र की सम्पत्ति और समय नष्ट किया गया और कोई भी उन्नति इस दिशा में नहीं हुई। स्वभावतः ऐसे लोगों में माननीय राजनारायण अग्रगण्य हैं। मुझको आश्चर्य होता अगर उनका खयाल कोई दूसरा होता। मैं समझता हूं कि उनकी आंखों में बनारस की तंग गलियों वाला वह मोहल्ला बस गया है जिसका नाम है चौखम्भा। इसके सिवाय उनको कोई और चीज भाती भी नहीं। हां, यह जरूर है कि माननीय गौरीशंकर राय को इस जमात में देख कर मुझको कुछ थोड़ा-सा आश्चर्य हुआ। अस्तु। एक तो यह कि जो छोटी सी पुस्तिका बांटी गई है उसके प्राक्कथन को पढ़ने से उनको ऐसा लगा कि मेरा ऐसा खयाल है कि जो कुछ प्लानिंग का हमने काम किया है वह बहुत ही संतोषप्रद है और कोई शिकायत की बात नहीं है। यदि उस प्राक्कथन का यह अर्थ निकलता है तो मैं यही कहता हूं कि मेरे हिन्दी ज्ञान की कमी है। मैं जो कुछ समझता हूं उसको ठीक शब्दों में लिख नहीं सका क्योंकि कभी भी मेरा ऐसा खयाल नहीं है। एक तरफ मैं यह नहीं मानता कि हमारा सारा काम असफल रहा। काफी सफलता हुई। दिक्कतों के होते हुए भी सफलता हुई। लोगों का स्तर, भौतिक स्तर भी ऊंचा हुआ। मैं खुद ऐसे जिले का रहने वाला हूं जिसकी गिनती परमानेन्ट डेफीसिट्स डिस्ट्रिक्ट में है। जहां लोग अपने खाने भर के लिये नहीं पैदा कर पाते। लेकिन १० वर्षों के अन्दर जो तरक्की हुई है, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। खाने के मामले में, पहिनने के मामले में, २/४ जो पक्के मकान बन गये हैं उनके मामले में। पर कैपिटा इनकम से यह बात दिखाई देती है या नहीं लेकिन कोई भी शख्स हो यह तो देखता ही है। कोई भी डाक्टर हो, उसके पास अगर कोई रोगी आता है तो अगर वह डाक्टर यह समझ ले कि इस रोगी को कुछ नहीं हुआ है तो भी असफल रहेगा और अगर पहले ही समझ ले कि इस रोगी को इतना भयानक रोग है कि अवश्य ही मर जाएगा तो भी असफल रहेगा। ऐक्शन लेना ठीक होता है। मैं समझता हूं कि सफलता भी हुई है। लेकिन बहुत से काम अधूरे भी रह गये, पूरे नहीं हो सके। मैं यह मानने के लिये तैयार हूं कि जितना रुपया हमने लगाया उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं हुआ और ज्यादा उपयोग हो सकता था। बहुत सी कठिनाइयां लोगों की थीं उनको हम दूर नहीं कर सके। बिलकुल सही बात है। प्लानिंग का सारा मतलब यह है कि हम और आप मिल कर सोचें कि जो काम करना है वह किस तरह से हो सकता है।

जो हम काम नहीं कर सके पूरे तौर से उसके कई कारण हैं। मैं सबसे पहले इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि हममें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनकी काम करने की क्षमता हमसे अधिक होगी। जबकि मैं "हम" कहता हूं तो गवर्नमेन्ट की बात भी कहता हूं और सरकारी अफसरों की बात भी कहता हूं। साथ ही हममें अनुभव की कमी भी है। अनुभव का मतलब यह है कि आप देखें हमारे देश में जब प्लानिंग का काम शुरू हुआ तो इसके पहले केवल एक ही अच्छी मिसाल थी और वह थी रूस की। उसके सिवाय और किसी देश ने इस ंग की योजना से काम नहीं किया था। रूस की मिसाल से हम ज्यादा फायदा उठा नहीं सकते। हमारे यहां डेमोक्रेसी है। मैं सुन रहा था डेमोक्रेसी के सम्बन्ध में माननीय राजनारायण जी कह रहे थे लेकिन डेमोक्रेसी का जिन लोगों ने अध्ययन किया है वह जानते हैं कि डेमोक्रेसी में गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। लेकिन आन दी होल डेमोक्रेसी अच्छी है। गुण और अवगुण क्या हैं? कोई ऐसा शासक जो बहुत ही अच्छा आदमी हो चाहे वह डिक्टेटर हो या ऐबसोल्यूट मोनार्क हो, वह जितना अच्छा काम थोड़े समय में कर सकता है वह डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। साथ ही

अगर कोई बुरा शासक है तो डिक्टेटरशिप या ऐबसाल्यूट मोनार्क होने पर वह जितने बुरे काम कर सकता है उतने डेमोक्रेसी में नहीं कर सकता है। इसलिये कुछ न कुछ देर डेमोक्रेसी में होती ही है। रूस में डिक्टेटरशिप है, एक तो हमारे यहां और उनके यहां यह फर्क है। इसके अलावा रूस का देश बहुत बड़ा है, आबादी थोड़ी है, जमीन भी उनके पास हमारे यहां से ज्यादा है। देश की बात क्यों कही जाय, अपने प्रदेश की बात लीजिये कि यहां की जमीन तो बढ़ नहीं सकती और आबादी की हालत यह है कि चप्पे-चप्पे पर आबादी है, जोतें छोटी हैं। तो हमारी और उनकी परिस्थिति में यह फर्क है। इसलिये रूस की मिसाल हम अपने यहां ले नहीं सकते। अंग्रेजी में जिसको "blazing a new trail" कहते हैं तो अपनी परिस्थिति के अनुसार हमने नया रास्ता निकाला और उसमें गलतियां हो सकती हैं और हुई होंगी, मैं मानता हूं। जब हमारा काम पूरा नहीं हुआ तो जरूर गलतियां हुई। लेकिन आदमी ठोकर खा कर ही उठता है और सीखता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है।

एक चीज और है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमारे यहां शिक्षा की कमी है। आप जानते हैं कि जो जनता शिक्षित होती है वह नई बातों को, सुधार की बातों को बड़ी आसानी से पकड़ लेती है। जब मैं शिक्षा का जिक्र कर रहा हूं तो सम्भव है कि किसी माननीय सदस्य के दिमाग में यह बात हो कि शिक्षा की जिम्मेदारी भी आप की है। १० वर्ष में जो शिक्षा की कमी थी उसको क्यों नहीं आपने पूरा कर दिया? और कमी है। मालूम नहीं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर गया या नहीं कि स्टेट्स की सूची में शायद उड़ीसा और आसाम को छोड़कर हमारा प्रदेश सबसे पीछे है। यह कोई गौरव की बात नहीं है।

मैंने शिक्षा का जिक्र इसलिये किया, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा रोचक इतिहास है। अभी थोड़े दिन हुए, केन्द्रीय सरकार ने एक विशेष अफसर को नियुक्त किया था खास तौर से इस बात को देखने के लिये कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की इतनी कमी क्यों है। उनकी रिपोर्ट की एक प्रति मुझको देखने को मिली। उसमें एक आध ऐसी बातें मिली जिनका पहले मुझको ज्ञान नहीं था। उन्होंने दिखाया कि १८५७ के पहले जब ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य कायम हुआ तो पहले इस देश का नाम नार्थ वेस्ट फ्रंटियर प्राविंस था, जितने प्राविन्सेज ईस्ट इंडिया कम्पनी के थे उनमें यह प्रदेश शिक्षा में सबसे आगे था और ईस्ट इंडिया कम्पनी के डायरेक्टर ने और प्रदेशों की सरकारों को लिखा कि आप लोगों को उत्तर प्रदेश का अनुकरण करना चाहिये। उसके बाद १८५७ का जमाना आया और यहां विद्रोह हुए तो उस वक्त की सरकार के ध्यान में यह बात आयी कि इस प्रदेश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिये और जानबूझ कर इस प्रदेश को शिक्षा के मामले में पीछे डाल दिया। उनकी समझ में यह बहुत ही भयानक प्रदेश था, क्योंकि यहां लोग शिक्षित अधिक थे। इस तरह से एक चीज तो मुझे मालूम थी और शायद आप लोगों को भी मालूम हो कि १८५७ के पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी की जो फौजें थीं उनमें अधिकांश सिपाही उत्तर प्रदेश के थे और जितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां ईस्ट इंडिया कम्पनी की हुईं उनमें यहां के सिपाही अधिकांश थे। लेकिन १८५७ के गदर में उन्होंने यह तय किया कि उत्तर प्रदेश के आदमियों को फौज में न रखा जाय। तो यह तो हम सब को मालूम था। लेकिन शिक्षा में जो इस प्रदेश को डेलीबरेटली पीछे किया गया यह हमें नहीं मालूम था। तो इसके माने यह हैं कि करीब १०० वर्ष तक जो चीज पिछली सरकार ने बिगाड़ी थी उसको हमको सुधारना है। बहुत से लोगों के लिये यह एक नई चीज होगी इसलिये इसका जिक्र किया। यही दिक्कत पड़ती है। अगर प्रदेश में शिक्षा होती तो जरूर हमको मदद मिलती। इस

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

काम में इन सब दिक्कतों की वजह से अपने निकम्मेपन को देखते हुए, हमारी इनएफिशियेंसी को देखते हुए उतनी प्रगति नहीं हो सकी, जितनी हम चाहते थे। लेकिन बिलकुल नहीं हुई ऐसा कुछ मानना उचित नहीं है।

कम से कम एक बात हुई, जिसका जिक्र माननीय गोविन्द सहाय जी ने किया। लोग प्लान कांशस हुए और प्लान में ऐब देखने लगे कि यह काम यों होना चाहिये था। लोग प्लानिंग के काम में अगर ऐब निकालते हैं तो यह खुद इस बात का प्रमाण है कि लोग प्लान कांशस हुए। लोग इस बात को मानने लगे हैं कि प्लान से हमारा कल्याण हो सकता है। यही एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। फिर हमारा काम है कि जो लोगों की आकांक्षायें हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं उनको हम पूरा कर सकें प्लानिंग के काम के जरिये से।

एक-एक चीज का अलग-अलग जिक्र नहीं हो सकता, लेकिन एक चीज का जिक्र करना चाहता हूं। वह भी हिन्दी की गलती की वजह से हुई। माननीय गौरी शंकर राय जी ने जिक्र किया पूर्वी जिलों की बिजली के बारे में। उनका ऐसा खयाल है कि मैंने यह कहा कि थरमल पावर स्टेशन जब बन जायगा तो पूर्वी जिले के लोगों को बिजली मिलेगी। ५, ६ दिन पहले मैंने जिक्र किया था। हिन्दी की गलती की वजह से उस दिन भी साफ नहीं कर सका। मैंने यह जिक्र किया था कि सिद्धान्ततः केन्द्रीय सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि एक थरमल पावर स्टेशन हम बना लें जहां पर हमारी कोयले की खानें हैं, मिर्जापुर के दक्षिण के हिस्से में। ऐसा कहा जाता है कि कोयला इंफीरियर क्वालिटी का है और सिंगरौली के पास का जो कोयला है उससे बिजली अच्छी पैदा हो सकती है और ऐसी आशा है कि वह थरमल पावर स्टेशन वहां सेटअप किया जाय।

श्री अध्यक्ष--उत्तर प्रदेश के हिस्से में है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश के हिस्से में ही है। लम्बी चौड़ी कोयले की सीमा गयी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। पावर स्टेशन वहां बनेगा जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पूर्वी जिलों का इससे कोई ताल्लुक नहीं। जब बिजली पैदा होगी तो किस काम आयेगी, यह दूसरा सवाल है।

एक स्कीम यह है कि मऊ, गोरखपुर और सोहावल, इन तीनों पावर स्टेशंस की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान गया होगा। जहां पावर स्टेशन बनते हैं वहां यह होता है कि दो इंजन हुए तो एक खाली छोड़ देते हैं ताकि ब्रेक डाउन हो तो उस इंजन से काम चल सके। तो तीनों जगह पर एक एक इंजन फालतू पड़ा हुआ है। उनसे काम नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से ग्रिड सिस्टम अच्छा समझा जाता है। उसमें कई पावर स्टेशन एक में मिला दिये जाते हैं। पहली अप्रैल से इस स्कीम पर काम लग जायगा कि ये तीनों पावर स्टेशन और रिहन्द मिला दिये जायं। जिस समय रिहन्द से पावर मिलना शुरू होगी उस समय २० हजार किलोवाट बिजली मिल जायगी जो कि मैंने कहा कि पूर्वी जिलों के लिये काफी है। इससे कोई ताल्लुक नहीं कि थरमल पावर स्टेशन की बिजली का क्या होगा और वह बने या न बने। केवल एक ग्रिड बना देने से जो बिजली बेकार पड़ी हुई है, जिन इंजनों की शक्ति से अब तक काम नहीं लिया जाता रहा उनसे पूर्वी जिलों को बिजली मिल जायगी। इसलिये कोई चिन्ता की बात नहीं है।

एक बेकारी का सवाल उठा। माननीय सदस्य इस बात का खयाल फरमायेंगे कि छोटे-मोटे उपाय कुछ भी किये हों, लेकिन मुख्य रूप से हमारा ध्यान रहा है, प्लान के जमाने में ऐग्रिकल्चर के ऊपर और ऐग्रीकल्चर के जरिये से बेकारी दूर नहीं की जा सकती है। ऐग्रीकल्चर अगर इन्टेन्सिव हो तो उससे बेकारी कुछ बढ़ाई तो जा सकती है, जितने आदमी खेती में

लगे हों उनमें से कुछ को अलग तो किया जा सकता है, लेकिन बेकारी दूर नहीं की जा सकती। बेकारी दूर करने का तरीका सिवाय इंडस्ट्री के दूसरा कोई है नहीं और ऐसी आशा की जाती है कि जो थर्ड फाइव ईयर प्लान होगी उसमें ऐग्रीकल्चर को बगैर कम किये हुये, ऐग्रीकल्चर की तरक्की रखते हुये भी हम, हम क्या सारे देश की बात है और उत्तर प्रदेश की भी बात है, इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकें।

मैं बार-बार स्वीकार कर चुका हूं इस सदन में कि जहां तक बड़ी इंडस्ट्रीज की बात है हम उसके लिये बराबर लड़ते रहते हैं और पिछले २-३ वर्षों में निरन्तर कोशिश कर के कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज को अपने प्रदेश में ला भी सके हैं और हमको आशा है कि भविष्य में भी--कुछ इस साल में और कुछ अगले साल में--पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, जैसा भी हो, कुछ और बड़ी इंडस्ट्रीज को हम अपने प्रदेश में ले आयेंगे। लेकिन जहां बड़ी इंडस्ट्रीज से बहुत फायदा है वहां बड़ी इंडस्ट्रीज से अनएम्प्लायमेंट का मसला हल नहीं होता। दो-चार लाख आदमी अगर उनमें लग भी जांय तो यहां तो करोड़ों का सवाल है। इसलिये महज बड़ी इंडस्ट्रीज से अनएम्प्लायमेंट का मसला हल नहीं हो सकता। उसका तो सिवाय इसके कोई दूसरा तरीका है नहीं कि जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनका विस्तार किया जाय।

हम बार-बार कहते हैं कि हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है। यह अच्छी चीज है, लेकिन यह कहने से हम धोखे में पड़े हुये हैं। जब हम इंडस्ट्रीज को अपने प्रदेश में लाने की कोशिश करते हैं तो हम से बार बार कहा जाता है कि आपको इंडस्ट्रीज से क्या मतलब, आप तो कृषि प्रधान प्रदेश हैं? बात तो ठीक है, लेकिन आप सोचें कि कोई भी देश जिसमें ५० या ६० फीसदी से ज्यादा आदमी कृषि पर निर्भर करते हों वह देश किसी भी हालत में सम्पन्न नहीं हो सकता। अंग्रेजों के आने के पहले, हमारे यहां कोई स्टेटिस्टिक्स तो रखता नहीं था, लेकिन जो थोड़ी बहुत अंग्रेज ग्रंथकारों ने चर्चा की है उससे पता चलता है कि अपने देश में रफली ६० फीसदी आदमी खेती पर निर्भर रहते थे और बाकी ४० फीसदी लोग किसी न किसी रूप में किसी इंडस्ट्री में लगे रहते थे। आज हालत यह है कि ७६ फीसदी आदमी अपने यहां खेती पर लगे हैं। तो कम से कम ६० फीसदी तक तो ले ही आना चाहिये अगर उससे कम न कर सकें। और फिर जो आज ७६ फीसदी आदमी खेती पर लगे हैं वे सब फुली एम्प्लायड नहीं है। शहर के आदमी के एम्प्लायमेंट के बारे में तो पता लग जाता है कि नौकरी है या नहीं है, मगर देहात के आदमी के बारे में पता नहीं लग पाता। क्योंकि एक खेत है, घर में चार आदमी हैं, चारों उस पर लगे हुये हैं। तो वे चारों के चारों फुल्ली एम्प्लायड तो हैं नहीं, अनएम्प्लाएड नहीं, तो अन्डर एम्प्लाएड तो हैं ही। तो इतने आदमियों की शक्ति का जो ह्रास हो रहा है ऐसे लोगों को किसी न किसी प्रकार की इंडस्ट्री में लगाना ही होगा और वह इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री नहीं हो सकती, वह छोटी इंडस्ट्री ही हो सकती है। हम इस तरह थोड़ी बहुत कोशिश करते रहे हैं लेकिन आशा करते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना में हम इसके ऊपर और जोर दे सकेंगे। इसकी हम कोशिश करते रहे हैं और करते जायेंगे।

अभी एक मित्र ने अपनी स्पीच के दौरान में कहा कि देहात के बहुत से पुराने उद्योग धन्धे हैं जो खत्म होते जाते हैं। यह बात ठीक है। कई उद्योग धन्धे ऐसे हैं जिनको आगे चलाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस बात का खयाल रखना चाहिये कि समाज का रूप बदल रहा है, क्या शहर और क्या देहात, जिस किस्म की चीजें पहले लोग पसन्द करते थे, घरों में जो सामान रखते थे, खाने पीने का जो ढंग था उसमें परिवर्तन हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो जो चीजें पहले चलती थी ठीक वही चीजें आज भी चलें, यह नहीं हो सकता। देखना यह

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

है कि नये टेस्ट के मुताबिक चीजें तैयार होनी चाहिये। इसलिये कुछ पुराने रोजगार तो जरूर खत्म हो जायंगे लेकिन कुछ पुराने रोजगार जिन्दा किये जा सकते हैं जिनकी हम लोगों ने कद्र करना छोड़ दिया लेकिन विदेशों में उनकी मांग बढ़ रही है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि पहले हमारे यहां बांस की बहुत सी चीजें बनती थीं, जैसे पिटारी, पंखे वगैरह, लेकिन आज उन चीजों को हमारे यहां कोई भला आदमी रखता ही नहीं है, पढ़े लिखे आदमी उनकी कोई कद्र नहीं करते। लेकिन चेकोस्लोवाकिया में इन चीजों की बहुत मांग है और लाखों रुपये का सामान हम हर साल वहां भेज रहे हैं। वहां इन चीजों की कद्र है। तो यह जो रोजगार मर रहा था वह फिर जिन्दा हो गया।

अभी एक मित्र ने जामदानी का जिक्र किया। जामदानी को हम ने पुनर्जीवित किया है। अक्सर लोगों ने देखा है कि मैनपुरी वगैरह की तरफ से खड़ाऊं बन कर आते थे जिनमें बारीक तार का काम रहता था। आज कल लोग चाहे पूजाघर में न जाते हों लेकिन रसोईघर तक तो चम्पल पहन कर चले ही जाते हैं। तो खड़ाऊं कौन पहनता है? लेकिन हम ने देखा कि फर्नीचर में ये चीजें लगायी जा सकती हैं। उस चीज की हम कोशिश कर रहे हैं। कई ऐसे रोजगार हैं जो जीवित रहेंगे लेकिन नये टेस्ट के मुताबिक हमें रोजगारों को चलाना होगा। हमें बेकारी दूर करने के लिये उद्योग-धंधों की तरफ जाना होगा, क्योंकि यह बिल्कुल सही है कि अभी तक कृषि पर जोर देने से हम बेकारी को नहीं दूर कर सके हैं।

यह जो हमारा साल है जिसका हमने बजट रखा है यह दूसरे प्लान का अन्तिम वर्ष है। इसमें कुछ बातों की तरफ ध्यान देना होगा। आपको खयाल होगा कि हमारी दूसरी पंच-वर्षीय योजना २५३ करोड़ की थी। अब तक जो हमारा अन्दाज है उससे हम समझते हैं कि पूरे २३५ करोड़ तक हम नहीं पहुंच सकेंगे। २२३, २२४, २२५ करोड़ के करीब जा सकेंगे। इसके पीछे कई कारण हैं। आपने पिछले सालों के जो बजट मंजूर किये हैं उनको आप देखें, कुछ चीजों को पूरा करने के लिये फारेन एक्सचेंज की जरूरत थी। वह नहीं मिल सका। कुछ चीजों के लिये जमीन अक्वायर करनी थी, जमीन अक्वायर नहीं कर सके। कुछ हमारी भी सुस्ती हुई होगी। इन सब कारणों से हम पूरा नहीं कर सकें।

एक और बड़ी भारी दिक्कत होती है, जिसका मैंने सदन और सदन के बाहर जिक्र किया है। इस वक्त जो प्लानिंग का तरीका है उसमें भी कुछ सुधार की जरूरत है। एक तो मैं माननीय गौरीशंकर राय से बिलकुल सहमत हूं कि प्लान केवल पांच वर्ष का नहीं होना चाहिये। प्लान २५–३० का बनना चाहिये। उसमें एक तस्वीर बन जानी चाहिये कि हम प्रदेश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। उस प्लान के फिर टुकड़े हो सकते हैं। पांच वर्ष का तो प्लान बनता है। उसमें कुछ रिजिडिटी भी बहुत ज्यादा है। लचक बिलकुल नहीं है। जो बात प्लानिंग कमीशन की सलाह से तय हुई कि यह ५० करोड़ रुपया है, इतना एग्रीकल्चर के लिये, इतना इंडस्ट्री के लिये, इतना एजूकेशन के लिये और यही नहीं एजूकेशन में यह भी तय हो जाता है कि इतना प्राइमरी एजूकेशन पर, इतना सेकेंड्री एजूकेशन पर, उसी के अनुसार काम होना चाहिये।

प्लानिंग जहां भी हुई, किसी देश में भी, ऐसा नहीं हुआ कि जैसा कागज पर प्लान बनाया गया ठीक वैसा ही उतर आये। किसी काम में जल्दी हो जायगी और किसी में देर। जो काम हम सोचते हैं कि एक साल में हो जायगा वह आठ महीने में खत्म हो सकता है और किसी में जितना काम हम एक साल में करना चाहते हैं उसका तीन चौथाई ही हो पाता है। तो ऐसा होना चाहिये कि जिस मद में ज्यादा रुपया बचा हो उसको यहां से वहां ट्रांसफर कर सकें।

इसकी हमने कोशिश की लेकिन हम प्लानिंग कमीशन को राजी नहीं कर सके हैं। उसका नतीजा यह होता है कि अगर हम किसी काम को निर्धारित समय में नहीं कर पाये तो उसका रुपया लैप्स हो जाता है। इन कारणों से जो हमारा अन्दाज है वह यह है कि २२३ से २३० करोड़ के बीच में हम खर्च कर पायेंगे, पूरा २५३ करोड़ नहीं खर्च कर पायेंगे।

अगले प्लान में जो काम होते हैं, ऐग्रीकल्चर के, एजूकेशन के, मेडिकल के, आदि आदि, वह तो होंगे ही, लेकिन खासतौर से हमें जोर देना है इंडस्ट्री के ऊपर कि हमारे लिये सचमुच जीवन मरण का प्रश्न होता जा रहा है, इंडस्ट्री की तरक्की का होना। कौन-कौन सी इंडस्ट्री को हम अपने यहां अपने प्रदेश में लगायें, इसको हम चार आदमी गवर्नमेंट में बैठकर पूरे तौर से सोच नहीं सकते। तो इसके लिये हमने पन्द्रह बीस वर्किंग ग्रुप्स बनाये जिनमें कुछ तो हमारे सरकारी अफसर थे, कुछ हमारे यहां के विशेषज्ञ लोग थे और कुछ दूसरे प्रदेशों के विशेषज्ञों को भी हमने बुलाया था ताकि इन तमाम बातों का एक पूरा-पूरा खाका तैयार हो जाय कि फलां-फलां इंडस्ट्री हमारे यहां लग सकती है, उसके लिये हमें फलां-फलां सामान की जरूरत है, कौन-सी इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के लायक है, कौन-सी प्राइवेट सेक्टर के लायक है और कौन-सी छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं। तो उनकी रिपोर्ट आ गई है। उस पर हम विचार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो प्राइवेट सेक्टर में होने लायक चीजें हैं उनके लिये जो ऐसे इंडस्ट्रीयलिस्ट्स हैं जिनको कि दिलचस्पी है, तो उनको हम बताते भी हैं कि यह इंडस्ट्री हमारे पास है, प्राइवेट सेक्टर में लगने लायक है, आपको शौक हो तो लगाइए, हम आपकी मदद करेंगे। जहां तक गवर्नमेंट आफ इंडिया से बात करने का सवाल है, वह हम करेंगे। इतनी तो हमने तैयारी की है। प्लान का एक अंग तो यह हुआ।

लेकिन उसका एक दूसरा अंग और भी है और उसका यहां कई बार जिक्र हुआ। यह सही बात है कि अब तक प्लान का रूप यह रहा है कि गवर्नमेंट का बनाया हुआ प्लान, वह पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ पब्लिक कोआपरेशन से, होना यह चाहिये कि पब्लिक का बनाया हुआ प्लान हो और उसको पूरा होना चाहिये गवर्नमेंट के कोआपरेशन से। रुपये पैसे की मदद, टेक्निकल मदद जो कुछ गवर्नमेंट दे सके वह दे। उसकी तरफ भी हमने कदम उठाया है। जितनी भी ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज हैं उनको हमने लिखा है कि आप अपने यहां प्लान बनाइए कि आपके ब्लाक में किस-किस तरह की जरूरत है और यह समझकर बनाइए कि जितना रुपया इस प्लान में आपको मिला था कम से कम उतना रुपया आपको अवश्य मिलेगा। उसके आधार पर अपना प्लान आप बनाइए।

अभी हमने उनसे उसे मांगा नहीं है। हमने कहा है कि कुछ दिनों के बाद जब हमें अन्दाज हो जाय कि कितना रुपया हमें मिलेगा तब हम कुछ ऐक्चुअल फिगर्स दे सकेंगे कि कितना रुपया उसके लिये हम दे सकेंगे और वह आप समझ लें कि इतना रुपया होगा, इसके आधार पर आप प्लान बनाकर भेजिए। कुछ जगहों पर काफी उत्साह भी इसके लिये उन्होंने दिखाया है। कुछ लोगों ने हमसे यह पूछा है कि आप बता दीजिए कि किस तरह से हम बनायें और उसके लिये कोई प्रोफार्मा वगैरह बना दीजिए। बहरहाल, अगर ये चीज हमारी सफल होती है तो अच्छा है और कोई वजह नहीं है कि सफल न हो। तब हम यह नहीं कह सकते कि प्लान ऊपर से बना हुआ है। नीचे से प्लान बना कर वह भेजेंगे। उसको हम स्टेट के प्लान में इंटीग्रेट करेंगे और इस तरीके से जो प्लान होगा उसको हम समझते हैं ऐसा मानना चाहिये कि जनता का बनाया हुआ प्लान है और उसके लिये जनता का उत्साह भी होना चाहिये।

तो दो तरह से यह प्लान बनाने की कोशिश में हम हैं। एक तो जो बड़ी-बड़ी चीजें हैं उनके लिये वर्किंग ग्रुप्स बना दिये और दूसरे जो अस्पताल, स्कूल आदि इस तरह की चीजें हैं उनके लिये हमने उनसे प्लान मांगा है। हम आशा करते हैं कि इस तरह से हमारा जो प्लान होगा वह एक इंटीग्रेटेड प्लान होगा और अच्छा प्लान होगा।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

और अभी, मैं समझता हूं कि एक चीज का जिक्र माननीय सुल्तान आलम खां ने शायद किया होगा आपके सामने कि जो ग्राम सभायें हैं उनको हम कुछ नये अधिकार दे रहे हैं। उन्होंने जरूर जिक्र किया होगा। अभी हाल ही में एक सर्क्युलर हमने भेजा है कि हर तरह के कामों के लिये, दो तरह की कमेटियां बनायी जायं---एक कल्याण समिति और एक कृषि और उत्पादन समिति और जो कुछ भी रुपया ब्लाक के पास हो, वह उस रुपये को आबादी के हिसाब से इन ग्राम सभाओं को बांट दें। अब वहां क्या काम होना चाहिये, रोशनी का क्या इन्तजाम होना चाहिये, शिक्षा का क्या होना चाहिये, सड़क का क्या काम होना चाहिये, यह सब देखना उनका खुद का काम होगा। खुद ही वह तय करेंगे और खुद ही रुपया खर्च करेंगे। तो पहले मर्तबे के लिये तो हमने यह रखा है, क्योंकि रुपया बांटने के लिये कोई न कोई तरीका तो होना चाहिये। तो पहले साल के लिये तो हमने आबादी के आधार पर रखा। फिर दूसरे साल यह भी देखेंगे कि कौन-सी ग्राम सभा ने काम किया और कौन-सी ने नहीं किया। जिन्होंने काम किया होगा उनको अगले साल ज्यादा मिलना चाहिये बनिस्बत उनके जिन्होंने कि नहीं किया हो। तो यह तरीका रहेगा। इससे भी गांव वालों को उत्साह मिलना चाहिये और उनमें एक इनीशियेटिव बढ़ना चाहिये। अगर यह सफल हुआ तो आगे चलकर शायद और अधिकार हम उनको दे सकें।

एक चीज का जिक्र और कई बार आता है और वह यह है कि प्लानिंग कमेटी का अधिकार बढ़ाना चाहिये। यहां भी जिक्र उसका होता है, बाहर भी होता है। इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब बलवन्त राय कमेटी बैठी थी तो उसने यह राय जरूर दी थी कि जो ढांचा बने वह ऐसा बने कि जिसमें ब्लाक कमेटी के हाथ में काफी अधिकार हों और जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी हों उसको अधिकार कम मिले। इस सम्बन्ध में कई बातों को सोचने के बाद हम लोगों का जरूर ऐसा खयाल हुआ कि जो जिला कमेटी है उसके हाथ में ज्यादा अधिकार होने चाहिये और ब्लाक कमेटी के हाथ में अधिकार कम होने चाहिये। उसी के आधार पर हमने ढांचा बनाया और वह बिल अब सेलेक्ट कमेटी के सामने मौजूद है। लेकिन बहुत से लोगों की ऐसी राय है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिये और दूसरे प्रदेशों में भी ऐसा किया गया है कि इस ब्लाक कमेटी को अधिकार ज्यादा देना चाहिये तो अब सोचने की बात है। यदि ऐसा हो कि अधिकांश लोगों की राय ऐसी है कि ब्लाक कमेटी के अधिकार ज्यादा होने चाहिये तो इस बात को सोचते हुए कि गांव सभा में और जिला परिषद् में काफी बड़ा गैप पड़ जायगा तब भी हम इसको सोचने के लिये तैयार हैं। अगर ऐसी चीज लोगों की समझ में आवे कि यह बहुत हितकर नहीं है और ज्यादा हितकर दूसरे तरीके से हो सकता है तो इस पर सोचा जा सकता है। हम इस पर आग्रह नहीं करते और न कोई चीज आग्रह से हम तय करना ही चाहते हैं जिससे कि बाद में नुकसान हो।

आज भी इस पर कुछ विचार किया गया और उस पर राय जाहिर की गई। वैसे बहुत साफ शब्दों में राय नहीं मिली लेकिन इस पर सोचना चाहिये और यदि गम्भीरता के साथ इस पर सोचकर हमें कोई माननीय सदस्य अपनी राय दे सकें कि इस प्रकार का मत है कि ग्राम सभा के ऊपर ब्लाक कमेटी को ज्यादा अधिकार दिये जायं और वह जनता का ज्यादा भला कर सकती है तो उस पर हम विचार करने के लिये तैयार हैं। हम सब का एक ही उद्देश्य है कि जिस तरीके से हो सके लोगों को उठाना है। उसके लिये यदि रुपये पैसे की आवश्यकता हो तो वह दिया जा सकता है लेकिन वह खुद उठें, वह अपने भले की बात समझें, सोते हुए लोगों को हम जगा सकें तो उनमें काम करने की भावना पैदा होगी। बस इतना हमारा और आपका सब का उद्देश्य है। जो भी अच्छा तरीका हो, उसको हम सोचने के लिये तैयार हैं। हमको कोई आग्रह नहीं है। जो भी तरीका मुनासिब समझा जाय उसको सोचा जाय, उस पर हम विचार करने के लिये तैयार हैं।

हम आशा करते हैं कि इसके बाद ऐसा तरीका जरूर हो सकता है जिससे लोगों का सुधार हो और हम जनतान्त्रिक ढंग से लोगों का कल्याण करने में सफल हो सकेंगे। ऐसे तरीके जिससे लोगों के अधिकार बढ़ें, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात जरूर है कि इसको सोचने की जरूरत है और इस पर सोच विचार करने की आवश्यकता है। सोच समझकर कोई कदम उठाया जाय जिससे बाद में यह महसूस न हो कि कोई कदम गलत उठ गया, ऐसा नहीं होना चाहिये था। इन चीजों पर विचार भी हो रहा है।

जहां तक प्लान बनाने की बात है, हम लोगों से कह रहे हैं कि वे अपनी प्लान बनायें ताकि लोग अपनी प्लान समझकर कोशिश करें। उनके लिये रुपये पैसे की जितनी बात होगी या टेक्नीकल मदद की जरूरत होगी उसमें हम समझते हैं कि उनकी मदद हम करेंगे। इसमें वे ज्यादा उत्साह से काम कर सकेंगे।

सरकारी अफसरों की बहुत शिकायत की गई। उसका मैं क्या जवाब दूं? जैसे भी सरकारी अफसर हैं वे हैं किन्तु इतना मुझे जरूर विश्वास है कि वे अफसर जो ऊपर के हैं जिनका हमको सम्पर्क मिलता है, उनकी बाबत हमको कोई सन्देह नहीं है। मैं अपने निजी अनुभव से कहता हूं कि यदि मैं अपने को किसी माने में इस देश का हितू समझता हूं तो उन अफसरों को, जो ऊपर के काम को देखते हैं, उसी माने में देश का हितू समझता हूं। किसी माने में अपने से कम देश का हितु उनको नहीं मानता हूं। उनको भी देश के हित का उतना ही खयाल है जितना मुझको है। लेकिन इतने बड़े देश में और प्रदेश में नीचे आते-आते जो चीज रह जाती है उसके लिये मैं और क्या कहूं, सिवाय इसके कि हम और आप मिलकर कोशिश करें कि जो इस काम में लगे हुए हैं वह अफसर छोटे या बड़े अपने अन्दर से हुकूमत का भाव छोड़ दें। लोगों की सेवा भाव को अपने अन्दर स्थान दें। लोगों की सेवा उनकी बहुत बड़ी शोभा है।

अन्त में मैं इतना ही कहता हूं कि मुझे भरोसा है कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उस रास्ते पर चलकर देश और प्रदेश को ऊपर ले जाना चाहते हैं। उसमें हमारे और आपके बीच में कोई मतभेद नहीं है। दोनों का उद्देश्य एक ही है। हमें पूरा भरोसा करना चाहिये कि आपकी मदद और सहयोग के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आपकी मदद अगर मिलती रही तो इसमें सन्देह नहीं है कि इस काम को, जिसका हमने बीड़ा उठाया है, उसको पूरा कर सकेंगे। यही हमारी सब से बड़ी सेवा होगी। न इधर के बैठने वाले रहेंगे न उधर के बैठने वाले रहेंगे, यह उत्तर प्रदेश ही यहां रहेगा। यदि अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत हम इस उत्तर प्रदेश को बना सकें तो यह हमारे सब के लिये सौभाग्य की बात होगी और इसी चीज को सफल बनाने के लिये हमारा सब का पवित्र उद्देश्य है और दूसरा उद्देश्य नहीं है। मैं ऐसी आशा करता हूं कि जिस अनुदान को मैंने सदन के सामने रखा है सदन उसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—(श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह से) क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक: ६३–क, के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की धनराशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६—योजना और एकीकरण—लेखा शीर्षक: ६३—क—युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय, और ६३—ख—सामुदायिक विकास योजनायें—राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा स्थानीय विकास निर्माण-कार्य के अन्तर्गत ११,२५,८५,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६०—६१ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२६ फरवरी, १९६०।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६ पर।)

नाम तहसील	खरीफ १३६७ फसली	*रबी १३६७ फसली	योग १३६७ फसली
	रु०	रु०	रु०
१—उन्नाव	५,९८,९११.८९	५,२४,१८८.७२	११,२३,१००.६१
२—हसनगंज ..	६,९३,५०६.९५	६,०८,८७८.२४	१३,०२,३८५.१९
३—पुरवा	७,५३,०१९.१२	८,२४,१८७.११	१५,७७,२०६.२३
४—सफीपुर ..	६,५९,५७०.४७	४,९६,२८७.६४	११,५५,८५८.११
योग ..	२७,०५,००८.४३	२४,५३,५४१.७१	५१,५८,५५०.१४

*रबी १३६७ की मालगुजारी अभी निर्धारित नहीं हुई है। आंकड़े जो ऊपर दिये गये हैं अनुमानित हैं।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर।)

१ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक प्रदेश की कलेक्टरियों के मालखानों में बेंचे गये हथियारों व उनकी वसूल की गयी कीमतों का विवरण

क्रम-संख्या	हथियार का नाम	हथियार की संख्या	उनका विक्रय मूल्य
			रु०
१	रिवाल्वर	२३	७२५.००
२	पिस्तौल	३	५६.००
३	एकनाली कारतूसी बन्दूक	१४	४००.००
४	दुनाली कारतूसी बन्दूक	६३	४,७१५.२५
५	एकनाली टोपीदार बन्दूक	२४६	४,२७०.००
६	दुनाली टोपीदार बन्दूक	२०२	४,००४.००
	कुल योग		१४,१७०.२५

नोट—इस तालिका में ६ जिलों—आगरा, इटावा, झांसी, वाराणसी, नैनीताल तथा गढ़वाल के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४ पर)

List of Members of the Ophthalmate Advisory Council

1. Dr. K. M. Lal, Director of Medical and Health Services, U. P.—President.

2. Dr. P. D. Srivastava, Additional Director of Medical and Health Services U. P.—Vice-President.

3. Dr. Mohan Lal, Chief Medical Officer, Gandhi Eye Hospital, Aligarh (Member *ex officio*).

4. Dr. M. P. Mehray, Chief Medical Officer, Eye Hospital, Sitapur (Member *ex officio*).

5. Dr. K. N. Mathur, Head of the Department of Ophthalmology, Sarojini Naidu Medical College, Agra (Member).

6. Dr. S. P. Gupta, Head of the Department of Ophthalmology, King Georges Medical College, Lucknow (Member).

7. Dr. R. T. Singh, Department of Ophthalmology, Ganesh Shanker Vidyarthi Memorial Medical College, Kanpur (Member).

8. Dr. J. N. Jaswal, Civil Surgeon, Gorakhpur (Member).

9. Dr. Rajendra Rohtagi, Ophthalmic Surgeon, Kanpur (Member).

10. Dr. Siddiheshwar Nath, Varanasi (Member).

11. Sri Keshava Pandey, M. L. A., Gorakhpur (Member).

12. Sri Suresh Praksh Singh M. L. A., District Sitapur (Member).

13. Sri Badri Prasad Kacker, M. L. C., Fatehpur (Member).

14. Dr. K. C. Mathur, Eye Specialist, Meerut (Member).

15. Sri O. P. Agarwal, Personnel Assistant to Director of Medical and Health Services, U. P.—Honorary Secretary.

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५ पर)

कलक्ट्रेट में पुनः संगठन के कारण ३० जून, १९५९ तक निम्नलिखित पदों की कमी हुई

पद का नाम	कम किये गए पदों की संख्या
(१) मुख्य कापीस्ट	५०
(२) चीफ रीडर	३९
(३) रेवेन्यू रेकार्ड रूम में वीडर और अरेंजर	६६
(४) ट्रेजरी क्लर्क (कलेक्शन)	३८
(५) सहायक रेकार्ड कीपर	१४
(६) सहायक आर्म्स क्लर्क	३
(७) अहलमद	३५
(८) कापीस्ट	५
(९) लाइब्रेरियन	४
(१०) जेड० ए० सी० क्लर्क	१८
(११) सहायक इक्साइज क्लर्क	१
(१२) सहायक जनरल क्लर्क	२
(१३) सेल्स क्लर्क	५
(१४) रीडर	२
(१५) कुर्क अमीन	१
(१६) एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स क्लर्क	१
(१७) सीनियर असिस्टेंट	३
(१८) अतिरिक्त सहायक आफिस अधीक्षक	२
(१९) जुडिशियल सहायक	१
(२०) इनडेक्स क्लर्क	१
(२१) डेबुक राइटर	१
(२२) निम्न श्रेणी के पद	१८
कुल योग	३१०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १ एल० ए०—१९६०—८४५ ॥